german cooperation

WELT HUNGER HILFE
WHH

योजनाओं का संग्रह

(केन्द्रीय एवं राज्य)

प्रदान Pradan

phia
to end poverty

SGVK

दक्षिण

वे

यह पुस्तिका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) असंगठित मजदूरों के लिए चल रहे योजनाएं के तहत सरकारी योजनाओं का संकलन है, जो सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने पर केन्द्रित है। सामग्री और अन्य सभी संबंधित दस्तावेज केवल सूचना के उद्देश्य के लिए हैं, जिससे सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख हितधारकों को विभिन्न योजनाओं पर ज्ञान को बढ़ाया जा सके और समुदाय एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को योजनाओं तक की पहुँच की प्रक्रिया में मदद मिल सके।

यह पुस्तिका नागरिक सहायता केन्द्र की स्थापना के माध्यम से "भुख मुक्त पंचायत" सरकार एवं नागरिक समाज की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच के लिए झारखण्ड (भारत) में एक साझा पहल परियोजना के तहत विकसित की गयी है।

यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित है, जो तकनीकी रूप से जर्मन संघीय आर्थिक विकास सहयोग मंत्रालय (बी एम् जेड) एवं वेल्टहुंगरहिल्फ़ा (डब्लू एच एच) द्वारा वित्त प्रदत है और इसे प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन (प्रदान), पार्टनरिंग होप इंटू एक्शन फाउंडेशन (फिआ फाउंडेशन) और संपूर्ण ग्रामीण विकास केन्द्र (एसजीविके) नामक संस्थाओं के एक संघ द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य झारखण्ड राज्य में सार्वजनिक सेवाओं में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से गरीबी और भूख को कम करने (सतत विकास लक्ष्य 1 एवं 2) की दिशा में योगदान एवं रफ्तार प्रदान करना है।

यह पुस्तिका इस परियोजना की टीम, नागरिक सहायता केंद्र (एन एस के) स्वयंसेवकों, ग्राम पंचायत और इसके पदाधिकारियों के लिए एक उपयोगी दस्तावेज होगी, जो प्रखण्ड स्तर पर नागरिक सहायता केन्द्र के माध्यम से समुदाय और प्रशासन के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

वास्तव में हम आशा करते हैं कि यह पुस्तिका विभिन्न योजनाओं और इसकी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद करेगी। झारखण्ड में हाशिये पर रहने वाले लोग या अत्यंत पिछड़े या कमजोर वर्गों के परिवारों/व्यक्तियों की आर्थिक उत्थान में मदद करेगी। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि यह अंततः गरीब समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में मदद करेगी।

विषय सूची

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	हमारा संविधान	1
2.	ग्राम पंचायत : झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001	5
3.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (NFSA)	19
	i. जन वितरण प्रणाली योजना	22
	ii. मध्याह्न भोजन योजना (Mid - Day Meal)	31
	iii. एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS)	35
4.	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 (MGNREGA)	48
5.	प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण	56
6.	सिद्धू कान्हू आवास योजना	58
7.	झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना	59
8.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी	70
9.	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना	83

आभार

यह पुस्तिका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट (एमओआरडी) झारखण्ड, के तत्वाधान में डब्लू एच एच , प्रदान, फिआ फाउंडेशन, एस जी वि के, रोजी रोटी अधिकार अभियान झारखण्ड, सोशल ऑडिट यूनिट झारखण्ड और नरेगा वाच आदि के साझा प्रयास से तैयार की गई है। इस पुस्तिका के बहुत सारे भाग रोजी रोटी अधिकार अभियान के सम्पादित श्रृंखला पुस्तिकाओं, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के सदस्य हलधर महतो द्वारा बनाए गए पी पी टी, प्रदान द्वारा प्रकाशित बुकलेट, "परिचय - हमारा हक, अधिकार एवं जिम्मेवारियाँ", फिआ फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित "झारखण्ड राज्य योजनाओं का सार-संग्रह", सम्बंधित कानुन, दिशानिर्देश एवं कार्यालय आदेशों से संग्रह की गई है।

इस पुस्तिका को संकलित करने में हलधर महतो, जयश्री मोहंता (प्रदान) एवं अर्चना टोप्पो (फिआ फाउंडेशन) की अहम् भूमिका रही है। इसे अनुवाद करने में धीरज महतो (प्रदान) की महवपूर्ण भूमिका रही है । इसे संपादित करने में हलधर महतो एवं जयश्री मोहंता की मुख्य भुमिका रही है। इसे बलराम (रोजी रोटी अधिकार अभियान, झारखंण्ड), जेम्स हेरेंज (कन्वेनर, झारखण्ड मनरेगा वॉच), गुरजीत सिंह (सोशल ऑडिट युनिट), तारकनाथ दास (प्रदान) एवं विकाश कुमार (फिआ फाउंडेशन) ने अपनी प्रतिक्रिया देकर उस किताब को बेहतर बनाने में मदद किया। मूल संस्करण शैलेन्द्र कुमार सिंह, हिमांशु निगम, सुर्जोदय नंदी, धीरज महतो एवं जयश्री महंता ने किया था। रजनीकांत पाण्डेय (प्रदान) द्वारा हिंदी प्रूफ रीडिंग अथवा पुस्तिका में वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक की गई। इसे धरातल पर उतारने के लिए राजेश मीत (प्रदान), सुकांत सरकार (प्रदान), जॉनसन टोपनो (फिआ फाउंडेशन), विनोद कुमार (एस जी वि के) और सस्मिता जेना (डब्लू एच एच) का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं।

प्रस्तावना

भूख मुक्त पंचायत की स्थापना संघ के भागीदारों के बीच एक साझा पहल है, जिसमें सिविल सोसाइटी संगठन (सीएसओ), सरकार और डोनर (WHH और BMZ) शामिल हैं। पहल का उद्देश्य कमजोर परिवारों के साथ जुड़कर, उनकी खाद्य और पोषण सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को संबोधित करके और अभिसरण और आपसी सहयोग के माध्यम से उनकी आजीविका में सुधार करके गरीबी और भूख (SDG-1 और SDG-2) को कम करने की दिशा में योगदान करना है।

प्रदान, फिया फाउंडेशन और SGVK झारखण्ड में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से काम करते हैं, खासकर कमजोर लोगों के लिए। अपने काम के दौरान, हमने जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में गरीबों और वंचितों के सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ हासिल की है। हमारा प्राथमिकता वंचितों के उत्थान और कौशल विकास और ज्ञान वृद्धि के माध्यम से उन्हें सक्षम बनाने पर रहा है। अब यह अनिवार्य हो गया है कि वे सरकारी प्राधिकरणों और अन्य एजेंसियों के साथ प्रभावी रूप से जुड़ें। इसके लिए NSFA, NSAP, मनरेगा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए एक प्रभावी और व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

योजना के संग्रह का उद्देश्य सभी प्रासंगिक योजनाओं को एक स्थान पर एकत्र करना और योजनाओं की व्यापक समझ प्रदान करना है, जिसमें उनके नामांकन और योजना मिलने तक की प्रक्रिया शामिल है। इसमें अधिकांश योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है, जैसे उनकी नीतियाँ, नियम और प्रक्रियाएं, जिन्हें सावधानीपूर्वक कई खंडों में विभाजित किया गया है। योजना का संग्रह मुख्य रूप से मनरेगा, NFSA, NSAP, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना जैसी योजनाओं पर केंद्रित है। इस संग्रह का उद्देश्य जटिल प्रक्रियाओं में स्पष्टता और पारदर्शिता लाना और समुदाय के साथ जुड़ते हुए समाजसेवी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करना है।"

योजना का संग्रह खाद्य सुरक्षा के मुख्य मुद्दे को भी संबोधित करता है जिसमें आजीविका को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, आर्थिक सामूहिक और बाजार लिंकेज विकसित करने और विभिन्न सरकारी योजनाओं में संबंधित प्रावधानों और लाभों को रेखांकित करने के तरीकों को शामिल किया गया है। हम आशा करते हैं कि यह पुस्तिका समाजसेवी कार्यकर्ताओं को झारखंड और उसके बाहर राज्य के सीमांत वर्गों के जीवन, आजीविका और कल्याण में अधिकतम प्रभाव प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करेगी।

इसके माध्यम से, हम जमीनी संचालन की गहरी समझ पैदा करने और दिन-प्रतिदिन के कार्यों से उत्पन्न होने वाले परिणामों को दूर करने की परिकल्पना करते हैं। हम उन्हें सूचीबद्ध करने और योजना के संग्रह के अनुरूप आवश्यकता-आधारित प्रकाशनों को पेश करने की भी योजना बना रहे हैं।

सन्दर्भ

झारखण्ड, जिसे "जंगल की भूमि" भी कहा जाता है, पूर्वी भारत का एक राज्य है, जिसे 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। यह क्षेत्रफल के हिसाब से 15वां सबसे बड़ा और जनसंख्या के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा राज्य है। झारखण्ड जिसकी अनुमानित वर्तमान कुल जनसंख्या 36.4 मिलियन है, एनएफएचएस-4 (2015-16) के डेटा के अनुसार प्रमुख पोषण संकेतकों में सबसे अधिक है। 5 वर्ष से कम आयु के 45.3 प्रतिशत बच्चे (अखिल भारतीय स्तर पर तीसरी रैंक), 29 प्रतिशत वेस्टेड (अखिल भारतीय स्तर पर पहली रैंक) और 47.8 प्रतिशत कम वजन वाले (अखिल भारतीय स्तर पर पहली रैंक) है। प्रजनन आयु (15-49 वर्ष) में लगभग 65.2 प्रतिशत महिलाएं रक्ताल्पता (खून की कमी) (अखिल भारतीय स्तर पर चौथी रैंक) है और 31.5 प्रतिशत का शारीरिक वजन सूचकांक/शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक (बी एम आई) सामान्य से नीचे है (भारत का औसत 22.9%)। समग्र स्तर पर, राज्य में गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे रहने वाले 39.1 प्रतिशत लोगों को जो किसी भी प्रकार की आपदा के प्रति अधिक संवेदनशील है और वे गरीबी की सबसे खराब घटनाओं का सामना करते हैं और आमतौर पर प्रति वर्ष 3-5 महीने के लिए भोजन की कमी से पीड़ित होते हैं । बड़ी संख्या में राज्य की आबादी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से वंचित है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के कमजोर क्रियान्वयन अवधि के दौरान रोजगार की तलाश में 5% से अधिक श्रमिक दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। ढेर सारे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के बावजूद दलित, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन और प्रवासी मजदूर/किसान जैसे कमजोर वर्ग विशेष रूप से खाद्य और पोषण के दृष्टिकोण से असुरक्षित हैं। इनमें से कई लोग योजनाओं, अधिनियमों, अधिकारों, लीकेज और योजनाओं के कार्यान्वयन में कुप्रबंधन के बारे में जन जागरूकता की कमी के कारण सरकारी सेवाओं तक पहुँचने में असमर्थ हैं। गरीब और समाज के अंतिम व्यक्तियों तक दस्तावेजों की आवश्यकता के बारे में जानकारी की कमी, प्रक्रियात्मक जटिलताएँ जो लोग अपने दम पर हल करने में सक्षम नहीं हैं और डिजिटल आधारित आवेदन प्रक्रियाओं की शुरूआत जैसी समस्याओं से सामाजिक अधिकारों तक पहुँच बाधित होती है, जिसने व्यवस्था को और अधिक जटिल बना दिया है। यह आदिवासी बहुल स्थानों में अधिक गहरा रहा है, जहाँ ऐतिहासिक रूप से अभाव, भ्रष्टाचार और लापरवाही का स्तर ऊँचा रहा है।

नरेगा सहायता केंद्र (एन.एस.के.) झारखण्ड के चार जिलों यानी लातेहार, खूंटी, पलामू और गिरिडीह में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के सहयोग से 2009 से चालू है। प्रारंभ में यह केन्द्र मुख्य रूप से मनरेगा और इसके अधिकारों पर केन्द्रित था। अंततः एन.एस.के. नरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए समुदाय और स्थानीय सरकार के बीच एक सेतु बन गया। इस पूरी यात्रा में यह महसूस किया गया कि एन.एस.के. ने सरकार की कई अन्य योजनाओं जैसे मनरेगा, एनएफएसए, पेंशन, आवास, आईसीडीएस आदि से संबंधित समुदाय और स्थानीय सरकार के बीच एक अच्छा संबंध बनाया और लोगों के बीच पहुँच के मुद्दे को कम किया।

अब से एन.एस.के. मॉडल को सरकार और सिविल सोसाइटी के संघ के सहयोग से झारखण्ड के 100 प्रखण्ड तक बढ़ाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य एन.एस.के. के माध्यम से एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देना है, और सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करना और कमजोर लोगों को उनके अधिकारों और अधिकारों तक ध्यान केन्द्रित करने के लिए समर्थन करना है। मनरेगा प्लस योजनाओं पर जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और असंगठित सहित एनी कामगारों के लिए विभिन्न प्रकार के सरकारी योजनायें शामिल हो सकते हैं। ये केन्द्र सेवा पहुँच के अंतराल को घटाने में मदद करेंगे और अंततः झारखण्ड राज्य की कमजोर आबादी के बीच गरीबी और भूख को कम करने में योगदान देंगे। इस पहल को ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो डब्लू एच एच द्वारा पोषित है और प्रदान, फिआ फाउंडेशन और एस जी वि के सिविल सोसाइटी संगठन के एक संघ द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

हमारा संविधान

हमारे देश को जब अंग्रेजो से आजादी मिली, तब देश के लिए नियम बनाने की जरूरत पड़ी, उस समय देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए गए उनको हम संविधान कहते है। यह ऐसे नियम हैं जो दीर्घकालीन समय तक चलने वाले मूल्यों पर आधारित है और विशेषकर हम सभी के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये मुख्यतः निम्न मूल्यों की बात करते हैं, (1) समता, (2) समानता, (3) स्वतंत्रता, (4) न्याय एवं (5) बंधुता।

ये संवैधानिक मूल्य मनुष्य के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब मनुष्य इन मानवीय मूल्यों से जुड़े हुए हैं। ये सभी मूल्य हमारे संविधान के पहले पन्ने यानी उद्देशिका में लिखे गए हैं।

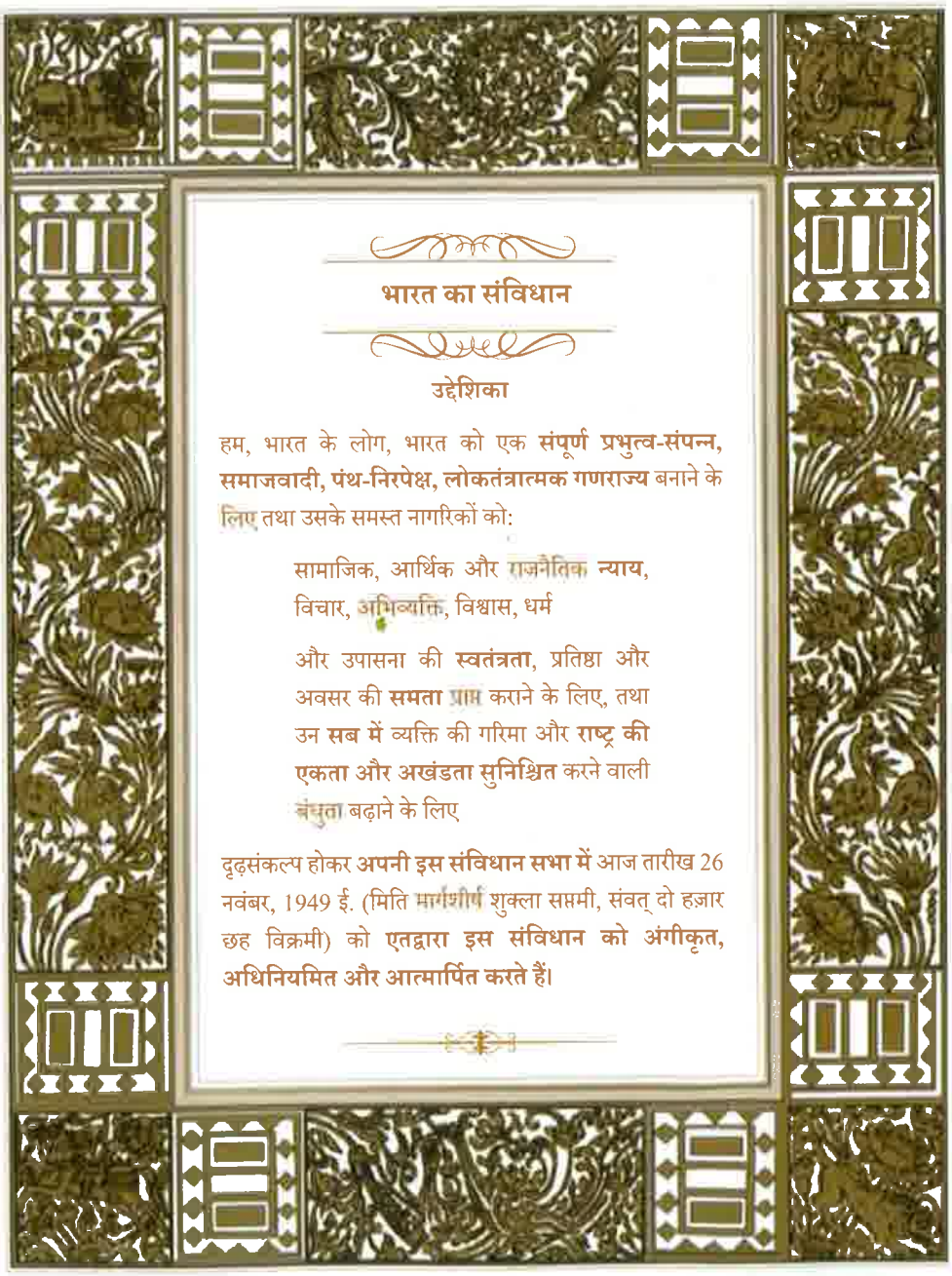

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय**, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता**, प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए, तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और **राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित** करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

1 दिसंबर 1976 में संविधान सभा की पहली बैठक की गयी जिसमें लगभग 300 लोगो ने हमारे देश के लिए नियम बनाने कि प्रक्रिया की शुरुआत की थी। भारत के संविधान को तैयार करने में 2 साल, 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान सभा के मुख्य सदस्य डॉक्टर बी. आर. अम्बेडकर जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे एवं उनके जैसे ही विभिन्न राजनैतिक विचारो के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग संविधान निर्माण में शामिल हुए। साथ ही साथ विभिन्न धर्म, जाति एवं विशेष समुदायों के लोग भी संविधान निर्माण में शामिल हुए। संविधान सभा में लगभग 9 प्रतिशत महिलायें भी शामिल थी जैसे सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत दुर्गाबाई देशमुख आदि। (अधिक जानकारी के लिए भारत का संविधान नामक 10 भागों के सीरीज को आप यू-ट्यूब पर देख सकते हैं।) झारखण्ड में जयपाल सिंह मुंडा भी इसका सदस्य थे एवं स्थानिय स्व-शासन को संविधान में डालने में इनकी भुमिका अहम रही।

प्रस्तावना की मान्यताओं/मूल्यों और मूल अधिकारों के बीच रिश्ता: संविधान की तुलना एक पेड़ से की जा सकती है (नीचे दिए गए चित्र को देखें)। इस पेड़ की जड़ें यदि मान्यता/मूल्य हैं तो तना मौलिक अधिकारों के जैसे हैं। जो शेष ढांचे को सहारा देती है। अतः यह कहा जा सकता है कि संविधान में दर्शाए गए मूल्यों के आधार पर नागरिकों के हितों की संरक्षण के लिए मौलिक अधिकारों की उत्पति हुई है। जिनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के रूप में की गयी है।

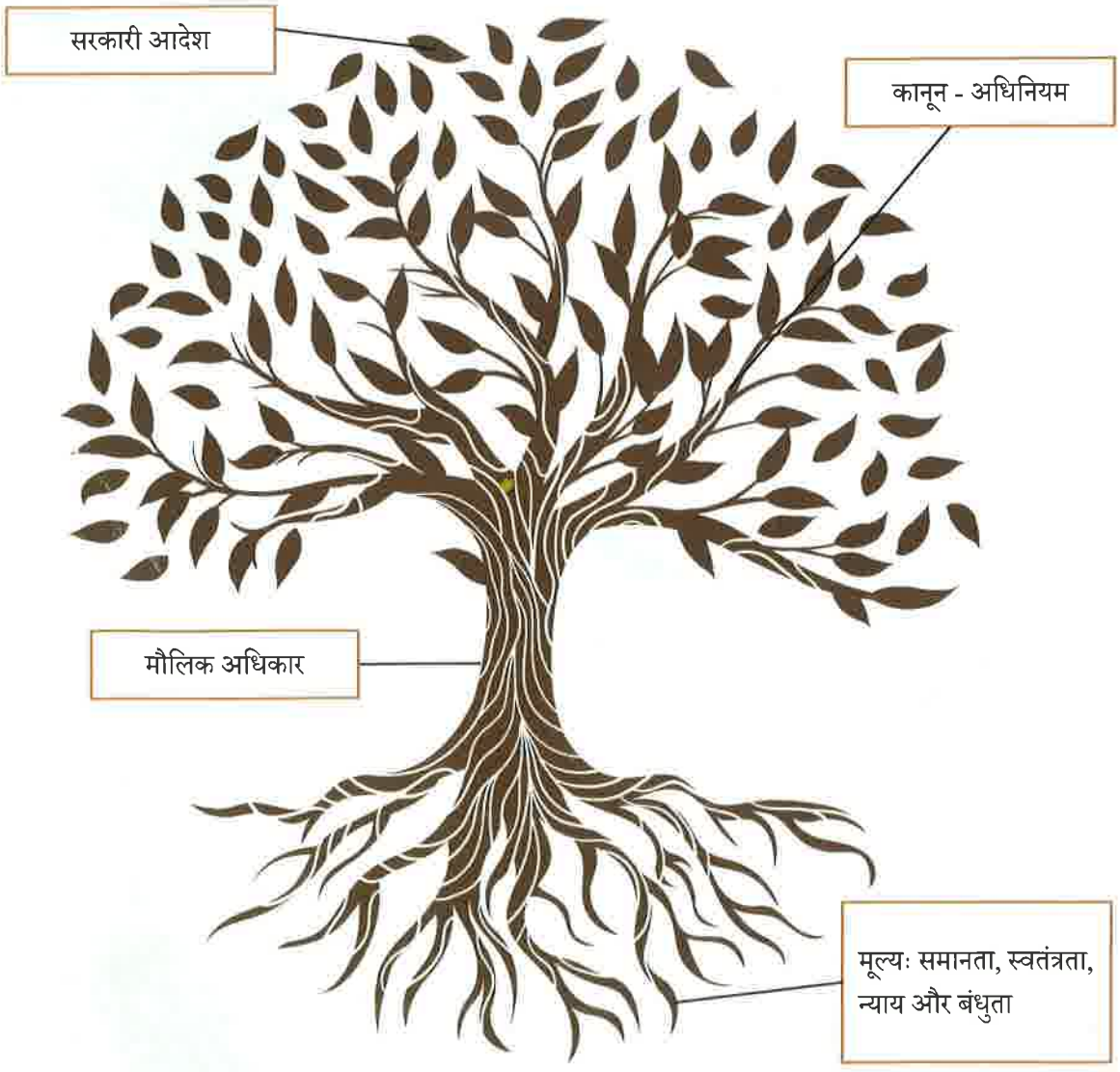

इन्हीं महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए - कानूनों का निर्माण किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद निम्न प्रकार के है -

1. अनुच्छेद 14: विधि (कानून) के समक्ष समता- (कानून के नज़र में सभी समान है)।
2. अनुच्छेद 15 : धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (भेदभाव पर रोक)।
3. अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन (सरकारी नौकरी) के विषय में अवसर की समता।
4. अनुच्छेद 19 : वाक् स्वातंत्र्य (बोलने की आजादी) आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण।
5. अनुच्छेद 20 : अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण।
6. अनुच्छेद 21 : प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (जीवन जीने का अधिकार)।
7. अनुच्छेद 21(क) : शिक्षा का अधिकार।
8. अनुच्छेद 22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण।
9. अनुच्छेद 23 : मानव के दुर्व्यापार और बालातश्रम का प्रतिषेध (बंधुआ मजदूरी एवं बेगारी)।
10. अनुच्छेद 24 : कारखानों आदि में बालकों का नियोजन (काम करने) का प्रतिषेध।
11. अनुच्छेद 25 : अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
12. अनुच्छेद 29 : अल्पसंख्यक वर्गों के हितो का संरक्षण।

मौलिक अधिकार एवं कानून

कानून नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाये जाते हैं। साथ ही साथ संविधान अधिकारों को कानूनी दर्जा एवं कानून उन्हें व्यावहारिक तंत्र प्रदान करता है। किसी भी कानून की रचना मौलिक अधिकारों और संविधान के बाहर जाकर नहीं की जा सकती क्योंकि संविधान को "सभी कानूनों की माता/जन्मी या महाकानून" कहा जाता हैं। कानून सभी नागरिकों और यहाँ तक कि यहाँ के नीति/कानून निर्माताओं पर लागू होता है। जैसा कि बड़े पेड़ में स्पष्ट है पेड़ की टहनियां/शाखाएं तना से निकलती है वैसे ही मौलिक अधिकारों से ही अलग-अलग तरह के कानूनों का निर्माण होता है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारी प्रमुख भूमिका कानून को समझना, पालन करना और हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून निर्माण में भाग लेना है। इस दस्तावेज में आप निम्नलिखित कानून एवं उनके तन्त्रों को समझेंगे- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून 2005 एवं इसके अंतर्गत निहित योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इत्यादि।

राष्ट्र का ढाँचा/संरचना/ तंत्र और जिम्मेवारी :

राष्ट्र/देश का ढाँचा या तंत्र

राष्ट्र/राज्य के तीन अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य कानून बनाना है। कानून को लागू करना कार्यपालिका की जिम्मेवारी है और यह सुनिश्चित करना कि कानून संविधान के अनुरूप बनाया और संविधान के अनुरूप लागू किया गया है, यह जिम्मेदारी न्यायपालिका की है।

राज्य संरचना का ग्रिड

सभी कानून संविधान को ध्यान में रखकर बनाए जाते है। विधायिका कानून बनाती है। कार्यपालिका कानून को लागू करने के लिए नियम एवं आदेश निकालती हैं जो कि योजना क्रियान्वयन के लिए बहुत जरूरी है। सभी न्यायिक आदेश कोर्ट द्वारा पारित किये जाते हैं जो कि संवैधानिक आधार पर लिए जाते है।

	कानून बनाना (विधान पालिका)	कानून लागू करना (कार्यपालिका)	कानून का विवेचना (न्याय पालिका)
केन्द्र	सांसद/केंद्र सरकार	विभिन्न विभागों के केंद्रीय सचिव, सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास एवं अन्य।	सर्वोच्च न्यायालय
राज्य	विधायक/राज्य सरकार	राज्य के अंतर्गत विभिन्न विभागों के सचिव	उच्च न्यायालय
जिला	राज्य सरकार	जिला कार्यालय एवं जिला स्तर पर उपायुक्त एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी	जिला अदालत
ब्लॉक	राज्य सरकार	प्रखण्ड कार्यालय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी	अनुमंडल स्तरीय न्यायपालिका
पंचायत	राज्य सरकार एवं ग्राम सभा	पंचायत सचिव, शिक्षक, रोजगार सेवक, ANM, स्वास्थ्य सहिया, सेविका इत्यादि	

ग्राम पंचायत : झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001

प्राचीन समय से पंचायत व्यवस्था चली आ रही है। पंचायत का अर्थ पंच आयात होता है। पंच का मतलब "पाँच" और आयात माने "जगह"। आज के समय में सरपंच और पंच (बोर्ड सदस्य) मिलकर गाँव के विकास के लिए काम करते हैं, जिसे हम पंचायत के नाम से जानते हैं। सन् 1993 में संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ जिसे हम 73वां एवं 74वां संशोधन के रूप में जानते हैं। जिसमें पंचायत जैसी संस्थाओं को मजबूत बनाने की बात कही गई। इसके आधार पर राज्यों ने अपने पंचायत अधिनियम में बदलाव किये। ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 छ) में कुल 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने का पानी जैसे जरूरी विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में शामिल अन्य विषय इस प्रकार हैं:

1. कृषि जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों के मध्य भूमिविकास।
4. पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय तथा मत्स्यपालन।
5. मत्स्य उद्योग।
6. वन जीवन तथा कृषि खेती (वनों में)।
7. लघु वन उत्पत्ति।
8. लघु उद्योग, जिसमें खाद्य उद्योग सम्मिलित है।
9. खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण विकास।
11. पीने वाला पानी।
12. ईंधन तथा पशु चारा।
13. सड़कें, पुलों, तटों, जलमार्ग तथा अन्य संचार के साधन।
14. ग्रामीण विघुत जिसमें विद्युत विभाजन समाहित है।
15. गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विघालय।
18. यांत्रिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा।
19. वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक कार्य।
22. बाजार एवं मेले।
23. स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं जिनमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा दवाखाने शामिल हैं।
24. पारिवारिक समृद्धि।
25. महिला एवं बाल विकास।
26. सामाजिक समृद्धि जिसमें विकलांग व मानसिक रोगी की समृद्धि निहित है।
27. कमजोर वर्ग की समृद्धि जिसमें विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग शामिल हैं।
28. लोक विभाजन पद्धति।
29. सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख।

झारखंड में बदलाव के आधार पर झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 बनाया गया। इस पाठ में अधिनियम में बताये गये पंचायत संबंधी मुद्दों के बारे में बताया गया है। संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही गई है, जैसे :

1. जिला परिषद

1.1 सभी पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की देखरेख करती है।

1.2 झारखंड में 24 जिला परिषद हैं।

2. पंचायत समिति

2.1 प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समितियाँ है।

2.2 झारखंड में 264 पंचायत समितियाँ है।

3. ग्राम पंचायत

3.1 ग्राम पंचायत के प्रमुख मुखिया होते हैं।

3.2 झारखंड में 4345 ग्राम पंचायतें हैं।

ग्राम पंचायत

यहाँ हम लोग विस्तार पूर्वक ग्राम पंचायत एवं ग्रामसभा को समझेंगे।

- 5000 की आबादी के बीच में एक ग्राम पंचायत का गठन होगा। अगर एक गाँव में इतनी आबादी नहीं होगी तो कई गाँव या टोला मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनेगा। (धारा 13(1)(2)झा०प०रा०अ०, 2001)
- यथा संभव 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होगा। चुनाव की सुविधा के दृष्टिकोण से ग्राम पंचायत को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में विभाजन 500 की निकटतम आबादी पर किया गया है। ग्राम पंचायत का नेता मुखिया होगा। मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होंगे। उपमुखिया निर्वाचित वार्ड सदस्यों के बीच से चुना जायेगा।

ग्राम पंचायत के कार्य

भारतीय संविधान की 11 वीं अनुसूची की 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। वैसे ही झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 के धारा 75 में पंचायतो के कार्यों का उल्लेख है।

पंचायत के कार्य (पंचायती राज निकायों के कार्य)

भूमि सुधार एवं प्रबंधन

कृषि

सड़के और पुल

ग्रामीण विद्युतीकरण

शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक स्कूल, वयस्क, तकनीकी

लघु सिंचाई, जल प्रबंधन

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

लघु उद्योग

पशुपालन, डेयरी और मुर्गीपालन मछली पकड़ना और चारा

परिवार कल्याण, समाजिक कल्याण (महिला और बाल विकास)

गरीबी उन्नमुलन कार्यक्रम

सामुदायिक सम्पत्ति का रख-रखाव

बाजार और मेले

ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां

ग्राम पंचायत अपने कार्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सात स्थायी समितियों का गठन करेगी।

कार्यकारिणी समिति

प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होने अनिवार्य है- जिसमें मुखिया, उपमुखिया तथा पंचायत सचिव अनिवार्य सदस्य के रूप में होंगे और 2 वार्ड सदस्य समिति के सदस्य होंगे। कोई वार्ड सदस्य दो से अधिक समिति के सदस्य नहीं हो सकेंगे।

पंचायत की कार्यकारिणी समिति

पंचायत के सभी वार्ड सदस्य को मिला के पंचायत की कार्यकारिणी समिति बनती है। कार्यकारिणी समिति की बैठक के अध्यक्ष मुखिया होते है और बैठक की गणपूर्ति के लिए बैठक में आधे से ज्यादा सदस्यों की उपस्थिती अनिवार्य है। समिति की बैठक महीने में एक बार ही होनी चाहिए। (धारा 69,70 झा.प.रा.अ. 2001) पंचायत के सभी महत्त्वपूर्ण कार्य, वित्तीय, योजना सम्बन्धी, कर सम्बन्धी प्रस्ताव, बजट, कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकता है।

साथ ही साथ एक विकासशील पंचायत ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को दो और फोरम बनाने ही चाहिए -

1. **कर्मियों के साथ समन्वयन :** ग्राम पंचायतो को अपने ग्राम पंचायत में कर्मियों जैसे प्रधान अध्यापक, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, सहिया, सेविका इत्यादि के साथ महीने में समन्वयन बैठक करना है। पंचायत में हो रहे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोजगार के मुद्दों को प्रगति देना चाहिए।
2. **महिला संगठन के साथ समन्वयन :** ग्राम पंचायतो को अपने गाँव में स्थित महिला मंडल/सखि मंडल एवं अन्य संगठनों जैसे - बाल

सभा, दिव्यंगों की संगठन, एकल महिला संगठन, मजदूर संगठन, वृद्ध व्यक्तियों का संगठन के साथ मासिक बैठक कर के पंचायत में अंतिम व्यक्ति की परेशानी एवं चुनौतियों से अवगत होना चाहिए और संगठनों के साथ मिलकर चुनौतियों पर जीत हासिल करने के लिए कार्ययोजना तैयार करना चाहिए।

ग्राम पंचायत मुखिया एंवं उपमुखिया के कार्य एवं दायित्व

1 पृष्ठभूमि

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण एवं जनता से सीधे जुड़ी निर्वाचित संस्था ग्राम पंचायत है, जिसका गठन सीधे चुने हुए ग्राम पंचायत सदस्यों (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र / वार्ड) और मुखिया से मिलकर बनता है। मुखिया एवं ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से उप-मुखिया का चुनाव करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में मुखिया का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। सदस्य एवं अध्यक्ष के 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं।

ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम पंचायत की कार्यकारणी, ग्राम पंचायत समन्वय समिति एवं ग्राम पंचायत की सात स्थायी समितियों होती है।

2. मुखिया के कार्य एवं दायित्व

1. ग्राम सभा संबंधी कार्य।
   - ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है।
   - अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता करना।
2. ग्राम पंचायत स्तर की बैठक संबंधी कार्य।
   - ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत कार्यकारणी) की बैठक माह में एक बार आयोजित करना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
   - ग्राम पंचायत समन्वय समिति की बैठक माह में एक बार आयोजित करना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
   - ग्राम पंचायत स्तर की स्थायी समितियों का गठन एवं उसकी बैठक आयोजन को सुनिश्चित ।
3. ग्राम पंचायतों के सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।
   - पंचायत सचिवालय को नियमित रूप से प्रत्येक कार्य दिवस में खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
   - मुखिया सप्ताह में कम से कम दो दिन पंचायत सचिवालय में कार्य दिवस के दौरान उपस्थित रहकर विकास कार्यों के अतिरिक्त जन समस्याओं का निष्पादन सुनिश्चित करना।
   - उप-मुखिया / वार्ड सदस्य के उपस्थित रहने के दिनों का निर्धारण इस प्रकार करना कि सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस में कोई न कोई वार्ड सदस्य पंचायत सचिवालय में उपस्थित रहे।
   - पंचायत सचिवालय में सुरक्षित एवं सर्वसुलभ स्थान में शिकायत पेटी लगाना एवं शिकायत पेटी वार्ड सदस्यों के समक्ष में पंचायत / रोजगार दिवस को खोला जाना तथा प्राप्त आवेदनों पत्रों का संख्याकन निर्धारित पंजी में संधारित करते हुए निष्पादन की कारवाई सुनिश्चित करना।
   - ग्राम पंचायत सचिवालय में अनिवार्य रूप से जालीदार सूचना पट ताला सहित लगाया जय तथा सभी वांछित सूचनाएं उसपर चिपकाये जाना सुनिश्चित करना।
4. ग्राम पंचायत के अधीन कार्यरत कर्मियों का पर्यवेक्षण
   - ग्राम पंचायत के कर्मियों एवं वैसे कर्मियों, जिनका सेवा किसी अन्य प्राधिकार द्वारा ग्राम पंचायत के अधीन सौंपी गई हों, के कार्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना एवं पयंवेक्षण करना।
5. ग्राम पंचायतों वार्षिक बजट एवं वार्षिक योजना ससमय बनाना सुनिश्चित करना।
   - पंचायतो को उपलब्ध वित्तीय संसाधनो के अनुरूप वार्षिक बजट तैयार करवाना एवं उसकी जानकारी से निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अन्य संबंधित सहभागियों को अवगत कराना।
   - ग्राम पंचायत के बजट के अनुरूप वार्षिक योजनाओ बनवाना।

- ग्राम पंचायतों स्तर पर अन्य सभी संबंधित विभागों के वार्षिक कार्ययोजना को ग्राम पंचायतो की योजना में शामिल करने हेतु आवश्यक कारवाई करना।
- ग्राम पंचायतो को कम लागत एवं बिना लागत की योजनाओ के चयन सुनिश्चित करना।
- ग्राम पंचायतों के सहभागी सहभागी वार्षिक योजना बनाने में सभी सहभागियों की सहभागिता सुनिश्चित करना।

6. सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना।

- ग्राम पंचायत की योजनाओं में सतत विकास लक्ष्य के तहत पंचायतों के लिए कार्य करने वाले चिन्हित अनुक्षेत्र से संबंधित गतिविधियों का समावेश सुनिश्चित करना एवं चिन्हित अनुक्षेत्रों के लिए स्थानीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।

7. ग्राम पंचायतों के वार्षिक योजना का योजना के अनुसार ससमय क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

- ग्राम पंचायतों के वार्षिक योजना के अनुसार गतिविधियों का क्रियान्वयन प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कारवाई करना।
- ग्राम पंचायत की कार्यकारणी के सहभागिता से ग्राम पंचायत स्तर की 5.00 (पांच) लाख तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना।
- पंचायतों के वार्षिक योजना के अनुसार क्रियान्वित गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण करना।
- पंचायतों के वार्षिक योजना के अनुसार क्रियान्वित गतिविधियों का प्रगति के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने में सहयोग करना।
- पंचायतों के वार्षिक योजना के अनुसार क्रियान्वित गतिविधियों का प्रगति के अनुसार उसके लिए निर्धारित पोर्टल में प्रगति की प्रविष्टि सुनिश्चित करना।
- पंचायतों के वार्षिक योजना के अनुसार क्रियान्वित गतिविधियों का प्रगति के अनुसार उसके लिए निर्धारित दस्तावेज़ का संधारण सुनिश्चित करना।
- पंचायतों के वार्षिक योजना के अनुसार गतिविधियों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाई से उच्च पदाधिकारीयों को अवगत कराना एवं कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

8. ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित अभिलेखों एवं पंजियों की समुचित संधारण एवं अभिरक्षा।

- ग्राम पंचायत के कामकाज एवं बैठक से संबंधित सभी दस्तावेज का संधारण एवं अभिरक्षा सुनिश्चित करना।
- ग्राम पंचायतों के वार्षिक योजना के अनुसार पूर्ण की गई गतिविधियों से संबंधित दस्तावेज का समुचित संधारण एवं अभिरक्षा सुनिश्चित करना।

9. ग्राम पंचायत निधि की सुरक्षित अभिरक्षा।

- ग्राम पंचायत निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
- ग्राम पंचायत निधि, जिसमें भुगतान के प्राधिकार, चेकों को जारी करना तथा वापसी आदि शामिल है, का अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संचालन करना।

10. पंचायतों के ई –एप्लीकेशन का समुचित प्रयोग सुनिश्चित करना।

- ग्राम पंचायतों के लिए बनाये गए एप्लीकेशन में ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों के सहयोग से सूचनाओं /आकड़ों की ससमय प्रविष्टि सुनिश्चित करना।

11. ग्राम पंचायत से संबंधित प्रतिवेदन

- ग्राम पंचायत के बनाये गये अधिनियम / नियम के द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित किये गये समस्त विवरणी तथा प्रतिवेदन तैयार करवाना।

- पंचायतों के वार्षिक योजना के अनुसार क्रियान्वित गतिविधियों का प्रगति, जैसा की अपेक्षित हो, तैयार करना एवं उसे संबंधित प्राधिकार / पदाधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करना।

12. ग्राम सभा द्वारा वार्षिक आय-व्यय का अनुमोदन

- ग्राम पंचायत के वार्षिक आय – व्यय विवरणी ग्राम सभा के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना।

13. ग्राम पंचायत के अपने आय के श्रोत

- ग्राम पंचायत के समग्र एवं समावेशी विकास के लिए पंचायतों के अपने आय के स्रोतों की पहचान करना एवं अधिकाधिक आय सृजन हेतु पहल करना।

14. ग्राम पंचायत स्तर एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित सामुदायिक संगठनों से समन्वय।

- ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत स्तर एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित सामुदायिक संगठनों यथा क्लस्टर संगठन / ग्राम संगठन / महिला स्वयं सहायता समूह से समन्वय एवं वैसे संगठनो को यदि संभव हो तो पंचायत सचिवालय में एक कमरा आवंटित करना।
- पंचायत स्तरीय नियोजन एवं क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित सामुदायिक संगठनों यथा क्लस्टर संगठन / ग्राम संगठन / महिला स्वयं सहायता समूह की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।

उप मुखिया के कार्य एवं दायित्व

मुखिया द्वारा सरकार से अधिसूचित नियमावली के अध्यधीन समय समय पर निश्चित अवधि के लिए लिखित रूप से प्रत्यायोजित किये गये कार्य।

मुखिया का निर्वाचन लंबित होने या किसी करणवश अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता तथा कार्यवाही का संचालन के साथ सभी कार्यों का निष्पादन एवं सभी कर्तव्यों का निर्वहन जो मुखिया से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित सदस्यों (वार्ड सदस्य) के अपेक्षित योगदान

1. पृष्ठभूमि

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण एवं जनता से सीधे जुड़ी निर्वाचित संस्था ग्राम पंचायत है, जिसका गठन सीधे चुने हुए ग्राम पंचायत सदस्यों (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र / वार्ड) और मुखिया से मिलकर बनता है। मुखिया एवं ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से उप-मुखिया का चुनाव करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में मुखिया का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। सदस्य एवं अध्यक्ष के 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं।

ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम पंचायत की कार्यकारणी, ग्राम पंचायत समन्वय समिति एवं ग्राम पंचायत की सात स्थायी समितियों होती है।

2. ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित सदस्यों (वार्ड सदस्य) के अपेक्षित योगदान

1. ग्राम सभा संबंधी कार्य।

- ग्राम सभा की बैठक के सफल आयोजन में सहयोग करना।
- ग्राम सभा की बैठक में अधिकाधिक लोगों की सहभागिता के लिए आवश्यक कदम उठाना।

2. ग्राम पंचायत स्तर की बैठक संबंधी कार्य।

- ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत कार्यकारणी) की बैठक में प्रत्येक माह अथवा जब भी आयोजित की जाये सक्रिय रूप से भाग लेना।
- ग्राम पंचायत समन्वय समिति की बैठक में प्रत्येक माह अथवा जब भी आयोजित की जाये सक्रिय रूप से भाग लेना।
- ग्राम पंचायत स्तर पर गठित स्थायी समितियों में नियमित भाग लेना।

- यदि ग्राम पंचायत स्तर पर गठित स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं तो उसकी बैठक का आयोजन सुनिश्चित करना।
- वार्ड / ग्राम स्तर के विकास संबंधित मुद्दों को ग्राम पंचायत स्तरीय समितियों की बैठक में लाना एवं उसके निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए सुझाव देना।

3. ग्राम पंचायतों के सुचारू संचालन में सहयोग।
   - रोअस्टर के अनुसार वार्ड सदस्य के लिए उपस्थित रहने के दिनों में पंचायत सचिवालय में उपस्थित रहना।
4. ग्राम पंचायतों वार्षिक बजट एवं वार्षिक योजना ससमय बनाना में सहयोग।
   - ग्राम पंचायतों के सहभागी सहभागी वार्षिक योजना बनाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
5. ग्राम पंचायतों के वार्षिक योजना का योजना के अनुसार ससमय क्रियान्वयन में सहयोग।
   - ग्राम पंचायतों के वार्षिक योजना के अनुसार गतिविधियों का क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
   - पंचायतों के वार्षिक योजना के अनुसार क्रियान्वित गतिविधियों का प्रगति के अनुसार भुगतान हेतु आयोजित पंचायत कार्यकारणी की बैठक में भाग लेना।
   - ग्राम पंचायत की योजनाओं में समाहित सतत विकास लक्ष्य के तहत पंचायतों के लिए कार्य करने वाले चिन्हित अनुक्षेत्र से संबंधित गतिविधियों के ससमय क्रियान्वयन में सहयोग करना।
6. ग्राम पंचायत स्तर एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित सामुदायिक संगठनों से समन्वय में सहयोग।
   - ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत स्तर एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित सामुदायिक संगठनों यथा क्लस्टर संगठन / ग्राम संगठन / महिला स्वयं सहायता समूह से समन्वय में आवश्यक सहयोग देना।
   - पंचायत स्तरीय नियोजन एवं क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित सामुदायिक संगठनों यथा क्लस्टर संगठन / ग्राम संगठन / महिला स्वयं सहायता समूह की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने में आवश्यक सहयोग देना।
7. मुखिया द्वारा सरकार से अधिसूचित नियमावली के अध्यधीन समय समय पर निश्चित अवधि के लिए लिखित रूप से ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित किसी सदस्य अथवा सदस्यों के समूह को प्रत्यायोजित किये गये कोई विशिष्ट / अन्य कार्य।

विभागों के द्वारा पंचायतों को प्रत्योजित शक्तियाँ

कार्य	कर्मी	निधि
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग		
• बीज, उर्वरक एवं ऋण की आवश्यकता का आकलन एवं वितरण	ग्राम पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर कर्मी/ पदाधिकारियों का प्रशासनिक नियंत्रण	अनुदान निधि
मानव संसाधन विकास विभाग		
• ग्राम पंचायत से संबंधित डाटाबेस तैयार करना • लाभुकों का चयन • छात्रवृत्ति • शिक्षण सामग्री एवं मध्याह्न भोजन का वितरण	• तीनों स्तर के पदाधिकारियों के समीक्षात्मक बैठक में भाग लेना एवं • पारा शिक्षक पर नियंत्रण	हस्तांतरित कोष का पर्यवेक्षण
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग		
• आंगनबाड़ी का अनुरक्षण, मरम्मती एवं सुसज्जीकरण • विभागीय कार्यक्रमों में सुझाव एवं अनुशंसा तथा जाँच एवं पर्यवेक्षण	सेविका एवं सहायिका का चयन ग्रामसभा के द्वारा	आंगनबाड़ी का अनुरक्षण, मरम्मती संबंधी राशि जिला परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी।
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग		
• योजनाओं का अनुश्रवण • महामारी एवं रोगों की रोकथाम • पशु परिसंपतियों के रखरखाव में सहयोग एवं • योजनाओं के लिए लाभुकों का चयन	तीनों स्तरों के कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण	अनुदान की निधि तथा प्रचार-प्रसार कार्यशाला पशुमेला आदि की निधि जिला परिषद् को।

कार्य	कर्मी	निधि
जल संसाधन विभाग		
• लघु सिंचाई योजनाओं का चयन, पर्यवेक्षण एवं रख-रखाव	प्रशासनिक नियंत्रण एवं आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति एवं वार्षिक चारित्री अभिलेखन	रख-रखाव एवं मरम्मती हेतु प्रति योजना 10.00 लाख जिला परिषद् को हस्तांतरित
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग		
• तीनों स्तर के पंचायतों को प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार • कार्य योजना तैयार करना। • स्थल चयन एवं योजनाओं का कार्यान्वयन, जल शुल्क/ प्रदूषण शुल्क एकत्र करना, योजना का रख-रखाव (GPMWSC) • एक प्रखंड के 2 या 2 से अधिक पंचायतों की कार्य योजना तैयार करना एवं विभाग के द्वारा कार्यान्वयन का अनुश्रवण (PS) • 2 या 2 से अधिक प्रखंडों की कार्य योजना तैयार करना एवं विभाग के द्वारा कार्यान्वयन का अनुश्रवण (ZP) • प्रशासनिक स्वीकृति : 10 लाख तक - GPNwsc 10-25 लाख तक - PS 25-50 लाख तक-ZP	प्रशासनिक नियंत्रण, अनुशंसानात्मक एवं आकस्मिक अवकास की स्वीकृति कार्य, अभि.- ZP सहायक/कनीय अभि.- PS नलकूप, खलासी, पलम्बर, मिस्त्री, पम्प चालक आदि कार्यभारित एवं श्रमपुस्त कर्मी	विभाग द्वारा DWSM को राशि दी जायेगी। 25 लाख तक की योजना के लिए राशि GPMWSc के खाते में सीधे हस्तांतरित की जायेगी। 25 लाख के ऊपर की राशि विभाग द्वारा कार्यान्वित
उद्योग विभाग		
• विभिन्न योजनओं के लाभान्वितों की सूची का अवलोकन • कार्य योजना तैयार करने में सहयोग • कतिपय योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण	स्थानीय पदाधिकारी पंचायतों के बैठक में भाग लेगें एवं योजनाओं के संबंध में जानकारी देंगे।	
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग		
• खाद्यान्न वितरण • राशन कार्ड, अन्नपूर्णा योजना एवं अन्य का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण	पंचायतस्तरीय बैठक में भाग लेना एवं सूचना उपलब्ध कराना।	
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग		
• स्वास्थ्य संबंधित आंकड़ों का डाटाबेस तैयार करना • नये अस्पताल के निर्माण हेतु स्थन चयन • योजना निर्माण एवं लाभुकों का चयन	प्रशासनिक नियंत्रण एवं आकस्मिक अवकाश	मुखिया की अध्यक्षता में गठित स्वास्थ्य समिति को दस हजार रू. untitled Fund के रूप में दी जायेगी।
कल्याण विभाग		
• छात्रवृत्ति, आवासीय, विद्यालय, नागरिक सुरक्षा, साईकिल वितरण बिरसा आवास योजना, अत्याचार निवारण अधिनियम		
ग्रामीण विकास विभाग		
• मनरेगा अन्तर्गत परियोजनाओं की पहचान निष्पादन एवं पर्यवेक्षण • इंदिरा आवास लाभार्थियों का चयन ग्राम पचांयत के द्वारा पंचायत समिति के द्वारा अनुमोदन एवं उच्च स्तर पर प्रेषण, जिला स्तर पर स्वीकति एवं पर्यवेक्षण	प्रशासनिक नियंत्रण	मनरेगा की राशि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित।
कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग		
• खेल मैदान का विकास, संचालन एवं रख-रखाव • खेलकूद का आयोजन • युवा कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण, सांस्कृतिक एवं पुरातत्विक धरोहरों के संरक्षण में सहयोग	जिला परिषद् की बैठक में भाग लेना एवं उनके अवकाश, अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा।	खेल आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि के अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

कार्य	कर्मी	निधि
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग		
• गैर मजरूआ आम भूमि के रख-रखाव एवं उसे अतिक्रमण से मुक्त करना • सार्वजनिक चारागाहों का विकास एवं रख-रखाव • सामुदायिक परिसंपतियों का रख-रखाव • गृह विहीनों को गृह स्थल का चयन ग्रामसभा द्वारा • ग्रामीण संपर्क पथों की आवश्यकता की सूची एवं उनके लिए भूमि उपलब्ध कराना • सैरातों की बन्दोबस्ती : GP-25000 तक, PS - 50000 से 100000 तक • ZP - 100000 से ऊपर	• ग्राम पचायत में बंदोबस्ती से प्राप्त राशि का उपयोग • 25% राशि सैरात का रख-रखाव • शेष ग्रामसभा की सहमति से विकास कार्य हेतु • पंचायत समिति क्षेत्राधिकार में बंदोबस्ती से प्राप्त राशि का उपयोग • 50% गाम पंचायतों को हस्तांतरित। • जिला परिषद् क्षेत्राधिकार में बंदोबस्ती से प्राप्त राशि का उपयोग • 50% ग्राम पंचायतों तथा 25% पंचायत समिति को हस्तांतरित • नया सैरात की पहचान एवं बंदोबस्ती की कार्रवाई	

ग्रामसभा

हमारे गणतंत्र में चार सभायें हैं- राज्यसभा, लोक सभा, विधान सभाऔर ग्रामसभा।

इसमें ग्रामसभा ही एक मूलसभा है, क्योंकि बाकी सभाओं में जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं सिर्फ ग्रामसभा में जनता सीधे भाग लेती है। साथ ही ग्रामसभा सदस्यों के लिहाज से सबसे बड़ी है और इसमें अवधि की कोई सीमा भी नहीं होती है।

ग्रामसभा की परिभाषा

- राजस्व गाँव के अंतर्गत पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनने वाली सभा को ग्रामसभा कहते हैं। परंतु अनुसूचित क्षेत्रों मे बसाहट या टोला या टोलो के समूह भी ग्रामसभा हो सकती है।
- ग्रामसभा एक मात्र संवैधानिक निकाय है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सुनिश्चित करता है।
- ग्रामसभा एक स्थायी संस्था है जो कभी भंग नहीं होती है।
- ग्रामसभा के सदस्य आजीवन उसके सदस्य बने रहते हैं।
- ग्रामसभा अभिवंचित समूह या महिलायें, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/जनजाति को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर प्रदान करता है।

ग्रामसभा के गठन की प्रक्रिया

प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिए एक ग्रामसभा गठित किये जाने का प्रावधान है।

अनुसूचित क्षेत्र में राजस्व ग्राम के भीतर एक या एक से अधिक ग्रामसभा गठित की जा सकती है।

सभी पंचायतों में नियमित रुप से ग्रामसभा की बैठक होनी चाहिए। ग्रामसभा के सदस्य से अर्थ है कि गाँव की मतदाता सूची में नाम है। (धारा 3 (2) झ.पं.रा.अ. 2001)

संविधान में हुए संशोधन में ग्रामसभा को गाँव के विकास में सहभागी होने की और निर्णय लेने की मान्यता दी गई है। ग्रामसभा के माध्यम से मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों से बातचीत का मौका मिलता है, और पंचायत के कामकाज को भी जानने-समझने का अवसर मिलता है।

क्या आप जानते हैं?

- 18 वर्ष से अधिक/मतदाता सूची में शामिल सभी महिला एवं पुरुष ग्रामसभा के सदस्य होंगे।
- ग्रामसभा की बैठक समय-समय पर होगी परन्तु किसी दो बैठक के बीच का अंतराल तीन महिने से ज्यादा ना हो (धारा-5)
- ग्रामसभा की बैठक की तारीख, समय तथा स्थान मुखिया द्वारा बैठक के कम-से-कम 7 दिन पूर्व (आपातकालीन स्थिति में 3 दिन पूर्व) नियत किया जायेगा।
- बैठक की ऐसी सूचना संबंधित ग्राम पचायत के प्रत्येक ग्रामों में सहजदृश्य/सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाशित की जायेगी।
- ग्रामसभा की कोरम गणपूर्ति ग्रामसभा के कुल सदस्यों की 1/10 भाग की उपस्थिति जिसमें कम-से-कम 1/3 महिला होंगी। (धारा-7) परंतु अनुसूचित क्षेत्रों में कुल सदस्यो की 1/3 भाग की उपस्थिती जिनमे 1/3 महिलयों का होना अनिवार्य है।
- ग्रामसभा में बैठक की अध्यक्षता मुखिया और उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया करेंगे। (धारा-8(i)
- मुखिया और उप मुखिया की अनुपस्थिति में ग्रामसभा द्वारा चुने हुए व्यक्ति ग्रामसभा के अध्यक्ष होंगे। (धारा-8ii)
- कोरम पूरा नहीं होने पर पीठासीन पदाधिकारी उस बैठक को आगामी तिथि एवं समय के लिए स्थगित कर देगा।
- ऐसी स्थगित बैठक के लिए अगले निर्धारित मीटिंग के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

बैठक हेतु कोरम (धारा 7)

ग्रामसभा की अध्यक्षता मुखिया करेंगे और उसकी अनुपस्थिति में उपमुखिया करेंगे।
दोनों की अनुपस्थिति में ग्रामसभा में बहुमत से निर्वाचित व्यक्ति सभा की अध्यक्षता करेंगे।

ग्रामसभा का कोरम

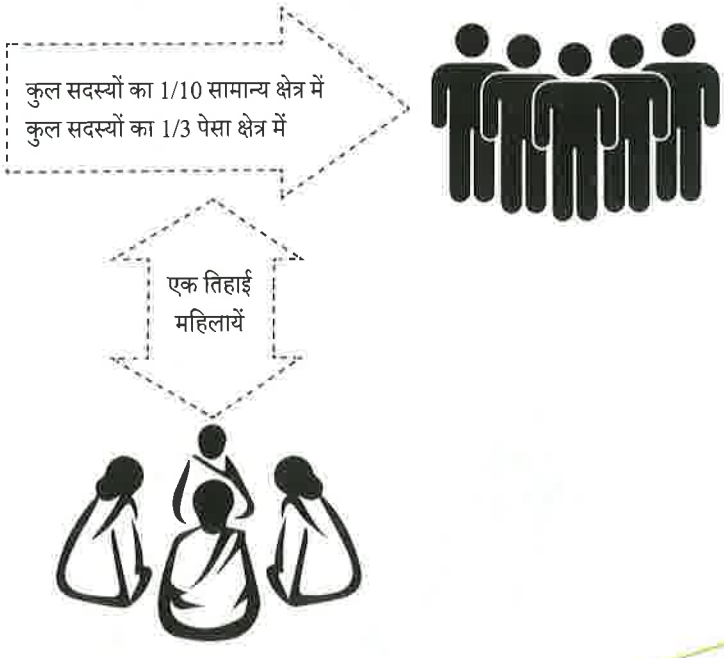

ग्रामसभा द्वारा स्थाई समिति की रचना

ग्रामसभा द्वारा 8 स्थाई समितियों की गठन की जायेगी। इस समितियों का मकसद ग्राम पंचायत में हो रहे काम-काज में भागीदारी बनाना है। (धारा 10.1.झा.पं.रा.अ., 2001)

ग्रामसभा की स्थायी समितियां

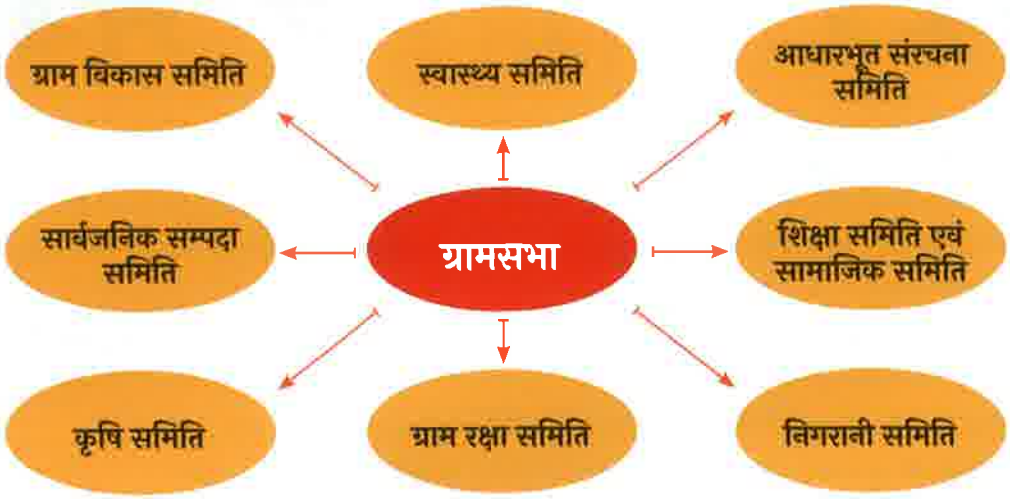

प्रत्येक स्थायी समिति में चार सदस्य होंगे, जो ग्रामसभा द्वारा चुने जायेंगे जिसमें से एक अध्यक्ष चुना जायेगा। सदस्यता के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। (नियम 15 (ख), (घ) ग्रामसभा नियमावली 2003) स्थायी समिति का कार्यकाल एक साल का होगा, पर सदस्य समिति में पुन: चयन किए जा सकते है (नियम 15 (ग) ग्रामसभा नियमावली 2003)

ग्रामसभा के कर्त्तव्य

- गांव से सम्बंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना।
- योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों की पहचान करना।
- सामुदायिक-कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों का सहयोग प्राप्त करना।
- गांव में वयस्क शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रम।
- समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सौहार्द को बढ़ाना।
- मुखिया एवं सदस्यों से लेखा-जोखा एवं योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना।
- गांव में शांति व्यवस्था बनाये रखना।
- निगरानी समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना।

योजना निर्माण की प्रक्रिया

स्थायी समितियों द्वारा विकास के मुद्दों की पहचान कर ग्रामसभा के समक्ष प्रस्तुत करना	ग्रामसभा स्थायी समितियाँ
ग्रामसभा के स्थायी समितियों द्वारा प्रस्तुत मुद्दों पर विचार करना एवं योजनाओं का चयन करना	ग्रामसभा
प्रत्येक राजस्व गाँव की योजनाओं का समेकन ग्राम पंचायत पर करना	ग्राम पंचायत स्थायी समितियाँ
बजट अनुसार योजनाओं का अंतिम प्रारूप एवं अनुमोदन	ग्राम पचायत कार्यकारिणी समिति
योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करना	ग्राम पचायत की कार्यकारिणी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (NFSA)
(10 सितम्बर 2013)

जनसाधारण को गारिमामय जीवन निर्वाह करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता पूर्ण खाद्य की सुलभता को सुनिश्चित करके मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है।
   1) इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है।
   2) यह जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय 5 जुलाई 2013 को प्रवृत हुआ समझा जायेगा।
2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो.
   1) आगंनबाड़ी से धारा 4, धारा 5 के उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 6 के अन्तर्गत आने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अधीन गठित बाल देख-रेख और विकास केन्द्र अभिप्रेत है।
   2) केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का ऐसा स्टाक अभिप्रेत है जो:
      i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा न्युनतम समर्थन कीमत संक्रियाओं के माध्यम से उत्पाद किया जाता है।
      ii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्य कल्याणकारी योजनायों जिनके अन्तर्गत आपदा राहत भी है और ऐसी अन्य योजनायों के अधीन भी है आबंटनों के लिए रखा जाता है।
      iii) उपखंड (ii) में निर्दिष्ट योजनायों के लिए आरक्षितियों के रूप में रखा जाता है।
   3) पात्र गृहस्थी से धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी और अंत्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत आने वाली गृहस्थी अभिप्रेत है।
   4) उचित दर दुकान से ऐसी दुकान अभिप्रेत है जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन जारी किये गए किसी आदेश द्वारा राशन कार्ड धारकों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है।
   5) खाद्यान्न से चावल गेहूँ या मोटा अनाज या उनका कोई ऐसा संयोजन अभिप्रेत है जो ऐसा क्वालिटी सन्नियमों के अनुरूप हो जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा अवधारित किए जाए।
   6) खाद्य सुरक्षा से अध्याय 2 के अधीन विनिर्दिष्ट खाद्यान्न और भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय अभिप्रेत है।
   7) खाद्य सुरक्षा भत्ता से धारा 8 के अधीन हकदार व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा संदत्र की जाने वाली धनराशि अभिप्रेत है।
   8) स्थानीय प्राधिकारी में पंचायत नगरपालिका जिला बोर्ड छावनी नगर योजना प्राधिकारी और असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्यों में जहाँ पंचायतें विद्यमान नहीं है, ग्राम परिषद या समिति या ऐसा कोई निकाय चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो जो स्वशासन के लिए संविधान या समय प्रवृत किसी विधि के अधीन प्रधिकृत है अथवा ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय सम्मिलित है जिसके किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर नागरिक सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंधन निहित है।
   9) भोजन में गरम पकाया हुआ या पहले से पकाया हुआ परोसे जाने के पूर्व गरम किया गया भोजन या घर ले जाया जाने वाला ऐसा राशन अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

10) न्युनतम समर्थन मूल्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित ऐसा सुनिश्चित मूल्य अभिप्रेत है जिस पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए किसानों से खाद्यान्न प्राप्त किए जाते है।

11) अधिसूचना से इस अधिनियम के अधीन जारी की गई और राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है।

12) अन्य "कल्याणकारी" योजनायों से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त ऐसी सरकारी योजनायें अभिप्रेत है जिनके अधीन स्कीमों के भाग रूप खाद्यान्नों और भोजन का प्रदाय किया जाता है।

13) निःशक्त व्यक्ति से निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की धारा 2 के खण्ड (न) में उस रूप में परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

14) गृहस्थी से धारा 10 के अधीन उस रूप में पहचान की गई।

15) विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

16) राशन कार्ड से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के क्रय के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश या अधिकार के अधीन जारी किया गया कोई दस्तावेज अभिप्रेत है।

17) ग्रामीण क्षेत्र से तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन स्थापित या गठित किसी नगरीय स्थानीय निकाय या छावनी बोर्ड के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के सिवाय किसी भी राज्य का कोई क्षेत्र अभिप्रेत है।

18) अनुसूची से इस अधिनियम से उपबंध अनुसूची अभिप्रेत है।

19) वरिष्ठ नागरिक से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 2 के खण्ड (ज) के अधीन उस रूप में परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

20) सामाजिक संपरीक्षा:- से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या स्क्रीम की योजना और उसके कार्यान्वयन को सामूहिक रूप से मॉनीटर और उसका मूल्यांकन करती है।

21) राज्य आयोग:- से धारा 16 के अधीन गठित राज्य खाद्य आयोग अभिप्रेत है।

22) राज्य सरकार :- से किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है।

23) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली:- से उचित दर दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण के प्रणाली अभिप्रेत है।

24) सतर्कता समिति से इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का प्रर्यवेक्षण करने के लिए धारा 29 की अधीन गठित कोई समिति अभिप्रेत है।

25) उन शब्दों और पदों के जो इसमें परिभाषित नहीं है किन्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ होगे जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

राशन कार्ड बनने पर ही होगा
राशन पाने का अधिकार।
आओ जानें कितने प्रकार के हैं राशन कार्ड।

रा.खा.सु.अ. 2013 क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसमें किन-किन लोगों को लाभ मिलेगा?

उद्देश्यः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत एक अच्छे, स्वस्थ और क्रियाशील इंसान के लिए पोषण एवं खाद्य सुरक्षा की गारंटी देती है।

- धारा 3 के तहत सभी पुर्ववित्ता परिवारों को पाँच किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति प्रति महिना उपलब्धता, ये योजना 75% परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र तथा 50% शहरी क्षेत्र में लागू होगी। (PDS)
- धारा 4 के तहत सभी गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मुफ्त राशन आंगनबाड़ी के माध्यम से। (THR)
- धारा 4(ख) के तहत सभी गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं प्रथम बच्चे के लिए को वित्तीय सहायता जो कि छः हजार से कम न हो।
- धारा 5(क) के अनुसार छः माहसे छः वर्ष के बच्चों को मुफ्त भोजन आंगनबाड़ी के माध्यम से।
- धारा 5 (ख) के अनुसार कक्षा आठवीं तक के बच्चों को (14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को) मुफ्त एक समय का मध्याह्न भोजन।
- धारा 5 के अनुसार सभी आंगनबाड़ी, स्कूलों में भोजन बनाने की सुविधा।
- धारा 6 के अनुसार ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि वो कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाएँ।
- धारा 8 के अनुसार अगर लोगों को समय पर भोजन या तय मात्रा में खाद्यान्न नहीं मिलता है तो वे खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने के हकदार होंगे।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 20(2) या राज्य खाद्य आयोग नियमावली के नियम 10 (viii) - राज्य खाद्य आयोग द्वारा किसी भी मामले को आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 346 के तहत कार्रवाई हेतु मजिस्ट्रेट को जांच हेतु अग्रसारण।
- धारा-33 शस्तियाँ : अगर कोई लोक सेवक या प्राधिकारी, जिसे राज्य आयोग द्वारा, किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश किये गए अनुतोष को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उपलब्ध करवाने असफल रहने का या ऐसी सिफारिश को जानबुझकर अवज्ञा करने का दोषी पाया जायेगा, 5000/- रूपये (पांच हजार रूपये) से अनधिक की शास्ति का दायी होगा।

झारखण्ड सरकार द्वारा जारी कंट्रोल ऑर्डर 2019 के अनुसार तीन प्रकार के गृहस्थ/व्यक्ति राशन कार्ड पाने के पात्र होंगे:

1. केन्द्र सरकार द्वारा 25 दिसम्बर 2000 को चालु किए गए अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आलोक में चयनित किए गए परिवार। इस प्रकार के व्यक्ति प्रति परिवार 35 किलोग्राम राशन प्रति माह प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति/परिवारों को पीला कार्ड राज्य सरकार के द्वारा मुहैया करवाया जायेगा।
2. पुर्विकता प्राप्त गृहस्थ (प्रायोरिटी परिवार)। इस श्रेणी के व्यक्ति प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम प्रति माह राशन पाने के हकदार होंगे। ऐसे व्यक्तियों/परिवारों को गुलाबी कार्ड राज्य सरकार द्वारा मुहैया करवाया जायेगा।
3. सभी अन्य गृहस्थ/परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लक्षित नहीं है, लेकिन जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा विचार किये जाने पर अन्य योजनाओं का लाभ दिया जायेगा जैसे किरासन तेल आदि। ऐसे परिवारों को सरकार द्वारा सफेद कार्ड मुहैया करवाया जायेगा।
4. इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा जारी हरा राशन कार्ड पर राज्य सरकार द्वारा प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज 1 रूपये/किलो की दर पर।

जन वितरण प्रणाली अंतर्गत सस्ते दर पर अनाज

(i) जन वितरण प्रणाली योजना

PHH/पूर्ववित्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार को (गुलाबी कार्ड)	5KG/व्यक्ति (1 रूपये प्रति किलो)	
अंत्योदय अन्न योजना या पीला कार्डधारक	AAY में शामिल प्रत्येक परिवारों को 35KG अनाज (1 रूपये प्रति किलो)	
डाकिया योजना सभी पी.वी.टी.जी. (विशिष्ट जनजाति) के परिवार को	1. AAY अंतर्गत 35 किलोग्राम अनाज 2. बिना कोई मूल्य चुकाए 3. सीलबन्द बोरा में 4. घर पहुँचाकर	

एक राष्ट्र एक कार्ड - अब पुरे देश में एक राष्ट्र एक कार्ड लागु है। इसके तहत वैसे सभी राशन कार्डधारी जिनके परिवार के सदस्यों का आधार लिंक राशन कार्ड से हो गया है देश के किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान से राशन ले सकते है।

झारखण्ड सरकार द्वारा जारी पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2019 एवं खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के संकल्प संख्या 2413, दिनांक 15.09.2020 के अनुसार चार प्रकार के गृहस्थ/व्यक्तिगत राशन कार्ड पाने के पात्र होंगे।

पात्रता-किनको मिलेगा राशन कार्ड और किन्हें नहीं मिलेगा?

इनको मिलेगा राशन कार्ड

- 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति जो किसी सरकारी नौकरी में नियोजित/सेवानिवृत न हो।
- सभी विधवा जो किसी सरकारी नौकरी में नियोजित/सेवानिवृत न हो।
- सभी निःशक्त व्यक्ति जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक हो जो किसी सरकारी नौकरी में नियोजित/सेवानिवृत न हो।
- सभी आदिम जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो किसी सरकारी नौकरी में नियोजित/सेवानिवृत न हो।
- कैंसर, एड्स, कुष्ठ एवं अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में नियोजित/सेवानिवृत न हो।
- सभी भिखारी एवं गृहविहीन व्यक्ति।

अगर आप निम्नलिखित में से किसी भी मानक के अंतर्गत आते हैं, तो राशन कार्ड के हक़दार नहीं होंगे।

अपवर्जन मानक निम्नवत है

- परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद् / उद्यम / प्रक्रम / उपक्रम / अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि / नगर निगम / नगर पार्षद/नगरपालिका / न्यास इत्यादि में नियोजित हो, अथवा;

- परिवार को कोई सदस्य, आयकर / सेवा कर / व्यावसायिक कर देते है, अथवा
- परिवार के पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि / दस एकड़ से अधिक भूमि है, अथवा
- परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर गाड़ी है, अथवा
- परिवार के किसी सदस्य, सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है, अथवा;
- परिवार का पास रेफ्रिजरेटर / एयर कंडिशनर / वॉशग मशीन है, अथवा
- परिवार के पास कमरों में पक्की दीवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है, अथवा ;
- परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) है।

अपवर्जन एवं समावेशन मानकों में विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्तन किया जाएगा। अपवर्जन एवं समावेशन मानकों को विभागीय वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।

झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 की धारा 7 के अनुसार अयोग्य कार्ड धारियों को दंड प्रावधान

- आपराधिक कार्रवाई
- जुर्माना - कुल राशन उठाव का शुरूआती तारीख से 12% का ब्याज जोड़कर जुर्माना वसूल किया जाएगा। राशन का मूल्य बाजार आधारित मूल्य पर तय की जायेगी।
- यदि कोई सरकारी नौकरी में है तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
- **कम राशन दिए जाने पर प्रावधान:** झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 की धारा 28(v) के अनुसार जन वितरण प्रणाली दुकानदार या डोरस्टेप डिलीवरी अभिकर्ता के द्वारा कम सामग्री उपलब्ध करने पर प्रति किलो ग्राम 100 रूपये की दर से सम्बंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा विभाग के निर्देश पर दंड अधिरोपित किया जा सकता है।

अन्य वैधानिक प्रावधान

- **राशन कार्ड गृहस्थी की मुखिया के नाम पर होगा (महिला)**

  राशन कार्ड गृहस्थी की मुखिया के नाम से ही जारी किया जायेगा। प्रत्येक पात्र गृहस्थी में सबसे बड़ी महिला, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो, जहाँ पर किसी परिवार में किसी समय 18 वर्ष या उससे अधिक की महिला नहीं है। तब परिवार के बड़े पुरूष सदस्य के नाम से राशन कार्ड जारी किया जायेगा। लेकिन महिला के 18 वर्ष होते ही परिवार की मुखिया वो ही मानी जाएगी और कार्ड उनके नाम पर हस्तांतरित किया जायेगा।

राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया

- वैसे परिवार जो राशन कार्ड पाने की पात्रता रखते हैं लेकिन किसी कारणवश राशन कार्ड नहीं बनवायें हैं, वे नए राशन कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं।
- अगर नया कार्ड मिल जाने पर खोया हुआ कार्ड मिल जाता है, तो पुराना कार्ड सरेंडर करना/लौटा देना पड़ेगा।
- नए कार्ड आवेदन के लिए लाभुक आहार पोर्टल (https://aahar.jharkhand.gov.in/) पर जाकर कार्ड का आवेदन कर सकते हैं।
- राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली के डेटाबेस से लाभार्थी के स्वेच्छापूर्वक वापसी, उनके अपात्र होने की जानकारी प्राप्त होने पर या फिर मृत्यु होने पर लाभार्थी का नाम हटा दिया जायेगा।
- लाभार्थी परिवार के बंटवारे की स्थिति में राशन कार्ड के दो या अधिक कार्डों में बंटवारे हेतु लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। लाभार्थी को प्राप्त राशन कार्डों में से एक पुराने नंबर बाकी नए नम्बरों से जारी किये जायेंगे।

आवेदन की प्रक्रिया

नोट :- राशन लेने के बाद सभी लाभुक E-Pos से निकलने वाला रसीद जरूर लें। यदि डीलर रसीद नहीं दें तो इसकी शिकायत करें।

खाद्य सुरक्षा भत्ता

रा.खा.सु.का. की धारा 8 के तहत अगर किसी राशन कार्ड धारी को राशन नहीं मिलता है या तय खाद्यान्न के अनुसार नहीं मिलता है तो खाद्य भत्ता का हकदार होगा।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1.25 गुणा में राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत लाभुकों को उस समय में उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्न का मूल्य जो कि वर्तमान में एक रूपये प्रति किलोग्राम है, को घटाकर अंतर राशि को आपूर्ति न की गयी खाद्यान्न की मात्रा से गुणा करने पर आने वाली राशि के रूप में दी जाएगी।

खाद्य सुरक्षा भत्ते का भुगतान 90 दिन के अन्दर करना है।

खाद्य भत्ते की वसूली 90 दिन के अन्दर दोषी व्यक्ति से की जानी है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 3001, दिनांक 09/10/2019 द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले को 2(दो) लाख रूपये आवंटित की गई है जिसका उपयोग अगर किसी कार्डधारी को ससमय सरकार राशन उपलब्ध न करा पाई तो कार्डधारी को खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में देय होगा।

शिकायत निवारण प्रणाली

जिला स्तर पर

1. इस माह का राशन इस माहके किसी भी दिन (दुकान बंदी के दिन (सोमवार) को छोड़कर) राशन दुकान से ले सकते हैं।
2. निर्धारित अवधि में योग्य कार्डधारी को राशन न मिलने अथवा हकदारी से वंचित रखने की स्थिति में धारा 8 के तहत कानून के अनुरूप खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान है।
3. राशन न मिलने अथवा हकदारी से वंचति रहने एवं खाद्य सुरक्षा भत्ता न मिलने पर अपर समाहर्ता-सह (प्रतेक जिला के समाहरणालय भवन में) जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास अगले ही माह लिखित रूप से शिकायत दर्ज करायें।
4. डी जी आर ओ के द्वारा 30 दिन के अन्दर शिकायत का निवारण हेतु आदेश पारित करना है। 30 दिन अतिरिक्त उपायुक्त की अनुशंसा पर लिया जा सकता है।
5. डी जी आर ओ के आदेश से संतुष्ट न होने पर अगले 30 दिन के अन्दर झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग में अपील दर्ज करायें।
6. डी जी आर ओ को जमा किये गए शिकायत की एक प्रति झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के व्हाट्सअप्प नंबर -9142622194 पर भी भेज सकते है या आयोग के ई-मेल jharfoodcommission@gmail.com पर भी भेज सकते है।

राज्य स्तर पर

राज्य खाद्य आयोग

1. डी जी आर ओ के आदेश से संतुष्ट न होने अथवा तय समय पर शिकायत का निपटारा न होने की स्थिति में राज्य खाद्य आयोग में शिकायत निवारण हेतु लिखित अपील
2. अपील आयोग को ई-मेल jharfoodcommission@gmail.com या mail@jharkhandsfc.in पर भेज सकते हैं। अथवा,
3. झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के एकीकृत ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र www.jharkhandsfc.in पर सीधे ऑनलाइन दर्ज कर सकते है। अथवा,
4. झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा जारी व्हाट्सअप्प नंबर 9142622194 पर लिखित अपील के माध्यम से कर सकते है।

शिकायत लिखते समय कम से कम निम्न 4 (चार) विवरण शिकायत पत्र में जरूर से जरूर होने चाहिए

1. शिकायत या अपीलकर्ता का पूरा नाम, पता, फोन नम्बर सहित (यदि हो तो) स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य लिखा हो ताकि जब पत्राचार किया जा सके तो उन तक पत्राचार के पते पर पहुँचा जा सके।
2. शिकायत या अपील प्राप्त करने वाले का स्पष्ट नाम/पदनाम एवं पता ताकि आपकी शिकायत सही जगह पर पहुँच सके। यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपने सही जगह पर शिकायत या अपील की है। अगर आपकी शिकायत या अपील सही कार्यालय/अधिकारी तक नहीं पहुँच पायी है तो किसी भी स्तर पर कार्रवाई करने में असुविधा होती है।।
3. शिकायत क्या है यह स्पष्ट रूप से लिखें ताकि समझ में आ सके कि मामला क्या है। शिकायत के साथ कोई उचित साक्ष्य जरूर उपलब्ध

कराएँ जिससे सुनवाई के क्रम में आपकी शिकायत/अपील को साबित किया जा सके और आपको न्याय मिल सके।

4. आप क्या कार्रवाई चाहते हैं यह भी शिकायत या अपील में जरूर लिखें ताकि उसके अनुरूप कार्रवाई की जा सके।

- भेजने वाले का पूरा नाम एवं पता स्पष्ट हो (फोन नंबर सहित, यदि हो तो)।
- शिकायत जमा करने की तारीख जरूर दें ताकि आप शिकायत जमा करने के बाद कार्यवाही तक के दिन का हिसाब रख सकें।
- शिकायत क्या है इसको स्पष्ट रूप से लिखने का पूरी कोशिश करें ताकि इसे समझने में कोई दिक्कत न हो।
- शिकायत में अगर एक से अधिक व्यक्ति हैं तो सभी का नाम, गाँव, राशन कार्ड नम्बर/या आंगनबाड़ी केन्द्र या विद्यालय का स्पष्ट पता या अन्य सम्बंधित विवरण जरूर दें। साथ में उपलब्ध कोई भी दस्तावेज जो प्रमाण के रूप में हो उसकी एक छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।
- कोशिश करें कि कुछ प्रमाण-जितना अधिक हो सके जरूर उपलब्ध कराएँ।
- अगर शिकायत सामूहिक है और एक से अधिक व्यक्तियों को अपने हक से वंचित किया जा रहा हो तो वैसे सभी व्यक्ति जो अपने हक से वंचित हैं का विवरण एवं हस्ताक्षर भी करवा लें ताकि उनसे भी पुछताछ कर सत्यता की जाँच की जा सके।
- आप कार्रवाई में क्या अपेक्षा करते हैं - समाधान चाहते हैं या कार्यवाही। यह भी लिखें।
- और अंत में शिकायतकर्ता/शिकायतकर्ताओं का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान कराना न भूलें।
- शिकायत जमा करने की पावती या एक पावती की प्रति अपने पास जरूर रखें ताकि समय पर शिकायत का निपटारा न होने की स्थिति में अपील का दावा समय पर कर सकें।

जानकारी के श्रोत

- रा.खा.सु.का. 2013 के ऊपर प्रस्तुतिकरण-श्री हलधर महतो (सदस्य झा.रा.खा.आ)।
- झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत किया गया कंट्रोल आर्डर 2017, 2019 एवं 2022।
- रा.खा.सु.का 2013 का राजपत्र।

शिकायत दर्ज करने का नमूना प्रपत्र

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में प्रदत्त
अधिकारों से वंचित किये जाने के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

दिनांक.....

प्रेषक,

.....

.....

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह

अपर समाहर्ता

जिला ..... (झारखण्ड)

योजना के संबंध में हमें निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है:

1)

2)

3)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम सम्मत अधिकार दिलाया जाय, इसके साथ ही दोषी अधिकारियों एवं कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

धन्यवाद

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम .....पिता/पति का नाम .....

कार्ड सं0..... (यदि है तो) मोबाईल सं0 ..... (यदि है तो)

आधार कार्ड सं0..... (यदि है तो) डीलर का नाम एवं पता .....

लाइसेंस नं० (यदि हो तो) .....

(सामुहिक शिकायत आवेदन कम अनाज मिलने पर)
जन वितरण प्रणाली योजना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में प्रदत्त अधिकारों से वंचित किये जाने के बाबत आवेदन पत्र

दिनांक .....

प्रेषक,

ग्राम ..... टोला ..... पंचायत ..... प्रखंड ..... जिला .....

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह

अपर समाहर्ता

जिला..... (झारखण्ड)

योजना के संबंध में हमें निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है:

1. हमें ..... माह में कम अनाज दिया गया है।
2. अन्य किसी प्रकार की शिकायत यदि हो तो स्पष्ट रूप से लिखें

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम सम्मत अधिकार दिलाया जाय, इसके साथ ही दोषी अधिकारियों एवं कर्मियों पर याथोचित कार्यवाई सुनिश्ति की जाय।

धन्यवाद

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल,
हरमु हाउसिंग कॉलोनी, राँची-834002

शिकायत आवेदकों का विवरण इस प्रकार हैं:

क्र० सं०	शिकायतकर्ता का नाम एवं (मोबाईल नं० हो तो)	राशन कार्ड सं०	राशन कार्ड में दर्ज मात्रा	वास्तविक प्राप्त मात्रा	आवेदक का हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

डीलर का नाम एवं पता ..... लाइसेंस नं० (यदि हो तो .....

(सामूहिक शिकायत आवेदन अनाज ना मिलने पर)

जन वितरण प्रणाली योजना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में प्रदत्त अधिकारों से वंचित किये जाने के बाबत आवेदन पत्र

दिनांक.....

प्रेषक,

ग्राम .....टोला ..... पंचायत .....

प्रखंड ..... जिला .....

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह

अपर समाहर्ता

जिला ..... (झारखण्ड)

योजना के संबंध में हमें निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है:

1)

2)

3)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम समस्त अधिकार दिलाया जाय, इसके साथ ही दोषी अधिकारियों एवं कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

धन्यवाद

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार

शिकायत आवेदकों का विवरण इस प्रकार है:

क्र०सं०	शिकायतकर्ता का नाम	राशन कार्ड सं0	मोबाइल नं हो तो	आवदक का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

डीलर का नाम एवं पता ..... लाइसेंस नं० (यदि हो तो) .....

योजना में पंचायत की भूमिका

- निर्धारित किए गए पंचायतवार लक्ष्य को पंचायत अपने कार्यालय में प्रदर्शित करेगा और इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा।
- प्राप्त आवेदनों को संबंधित ग्राम पंचायत के सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका, प्रधानाध्यापक, शिक्षक द्वारा गठित समिति द्वारा जाँच कर प्राप्त लक्ष्य के दोगुनी संख्या में आवेदकों की प्रारूप प्राथमिकता सूची तैयार करके इसका प्रकाशन जिला वेबसाइट तथा प्रखण्ड एवं पंचायत कार्यालय में किया जाएगा।
- प्रकाशित की गई प्रारूप प्राथमिकता सूची पर आपत्तियाँ प्राप्त करते हुए "परिशिष्ट-3" के अनुसार आपत्तियों का निराकरण संबंधित पंचायत के मुखिया के अध्यक्षता में आयोजित सभा के माध्यम से किया जाएगा जिसमें पंचायत के अंतर्गत गठित समिति के सदस्य भाग लेंगे। इस बैठक की उपस्थिति दर्ज कराते हुए विधिवत कार्रवाई तैयार की जाएगी जिसकी प्रति पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर संधारित की जाएगी। बैठक की कार्रवाई तैयार करने का दायित्व संबंधित बीडीओ द्वारा प्राधिकृत पंचायत स्तरीय कर्मी पर होगा।
- पंचायत स्तरीय सभा का यह दायित्व होगा कि अंतिम प्राथमिकता सुची में उक्त पंचायत के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति का नाम किसी भी हालात में छूटने न पाये। जिस क्रम में विशेष परिस्थिति में उपर्युक्त वर्णित अधिमनता सूची को उस हद तक अवक्रमित किया जा सकेगा।
- आपत्तियों का निराकरण के पश्चात संबंधित पंचायत स्तरीय सभा की अनुसंशा के आधार पर जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा प्राथमिकता सूची एवं लक्ष्य के आलोक में संबंधित योजनांतरर्गत लाभूकों को हरा रंग का पृथक राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा तथा शेष लाभूकों की प्रतिक्षा सूची तैयार की जायेगी।

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत लाभूकों की प्राथमिकता सूची तैयार करने हेतु क्रमवार मानक

1. अति विशिष्ट पिछड़ी जनजाति
2. विधवा/परित्यक्ता/ट्रांसजेंडर
3. 40% या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति
4. कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति
5. अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग/एकल परिवार
6. अनुसूचित जनजाति
7. अनुसूचित जाति
8. अन्य

(ii) मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal)

मध्याह्न भोजन योजना, भारत सरकार की एक योजना है जिसके अन्तर्गत पूरे देश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षाअधिनियम की धारा 5-1 (B) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित तय मेनू के अनुसार प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में 6 से 14 साल तक के या कक्षा 1 से 8 तक पढने वाले सभी छात्र छात्राओं को प्रत्येक विद्यालय दिवस में दोपहर को गरम पका पकाया पौष्टिक भोजन निम्न मानक अनुसार मिलेगाः

वर्ग	खाना का प्रकार	कैलोरी की मात्रा	प्रोटीन की मात्रा
कक्षा I से V तक	पका-पकाया गर्म भोजन	520	15
कक्षा VI से VIII तक	पका-पकाया गर्म भोजन	760	23

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रत्येक दिन (छुट्टी और अवकाश के दिनों को छोड़कर) मध्याह्न भोजन उपरोक्त मानक अनुसार बिना बाधा के लगातार मिलना है।
- मध्याह्न भोजन का स्कीम हर हाल में चालु रहेगा "प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका" को सशक्त अधिकार दिया गया है कि वे विद्यालय में उपलब्ध निधि का उपयोग वह इस कार्य के लिए करे [मध्याह्न भोजन नियम 7(2)]।

कानून का उल्लंघन और भत्ता का प्रावधान

1. यदि किसी भी स्कूल दिन के स्कूल में मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो नियम 3 मे निर्दिष्ट प्रत्येक बच्चे को राज्य सरकार नियम 2 के उपबंध (ग), में परिभाषित खाद्य सुरक्षा भत्ता बच्चों के पात्रता अनुसार अगले माह की 15 तारीख तक उपलब्ध कराएगी [नियम-9-(1)]।
2. स्कुल दिनों में लगातार तीन दिन अथवा एक महीना में कम से कम पाँच दिन तक मध्याह्न भोजन नहीं कराया जाता है तो राज्य सरकार अभिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार व्यक्ति अथवा अभिकरण पर जिम्मेवारी नियत करने के लिए कार्रवाई करेगी [नियम - 9 - (3)]।

मध्याह्न भोजन (हकदारियाँ)

[रा.खा.सु.का. की धारा 5 -1(ख) अनुसूची -2]

राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित तय मेनू अनुसार प्रत्येक विद्यालय दिवस में
दोपहर को विद्यालय में गरम पका पकाया पौष्टिक भोजन

किसको और क्या मिलेगा - 6 से 14 साल तक के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को निम्न अनुसार अंडा/फल सहित):

वर्ग	खाना का प्रकार	कैलोरी की मात्रा	प्रोटीन की मात्रा
कक्षा I से V तक	पका-पकाया गर्म भोजन	520	15
कक्षा VI से VIII तक	पका-पकाया गर्म भोजन	760	23

Prepared by Haldhar Mahto, Member, State Food Commission, Jharkhand

मध्याह्न भोजन

खाद्य पदार्थों एवं पोषण की मात्रा का विवरण

क्रम सं०	खाद्य सामग्री (सप्ताह में 3 दिन) अंडा सहित	प्राथमिक (कक्षा-I से V) (लागत- Rs. 4.48)			मध्य विद्यालय (कक्षा -VI से VIII) (लागत- Rs. 6.71)		
		मात्रा	कैलोरी	प्रोटीन (ग्रा० में)	मात्रा	कैलोरी	प्रोटीन (ग्रा० में)
1	खाद्यान्न (गेहूं/चावल/मोटा अनाज)	100	340	8	150	510	12
2	दाल/दालें	20	105	7	30	175	11
3	सब्जियां	50	30	0	75	30	0
4	तेल और वसा	5	45	0	8	45	0
5	नमक और मसाले	जरुरत के अनुसार					
6	इंधन	जरुरत के अनुसार					
7	अंडा,फल,मांस व अन्य	जरुरत के अनुसार					
	कुल	175	520	15	263	760	23

Prepared by Haldhar Mahto, Member, State Food Commission, Jharkhand

विशिष्ट

भोजन का स्कीम हर हाल में चालु रहेगा। प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका को सशक्त अधिकार होगा कि स्कुल में उपलब्ध निधि का उपयोग वह इस कार्य के लिए करे। [मध्याह्न भोजन नियम 7 (2)]	**(आंतरिक व्यवस्था)** Toll Free No. 18003457025 **3. SMS द्वारा मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी -** http://mdmreport.jharkhand.gov.in:8072/mdm/exportRe port

Prepared by Haldhar Mahto, Member, State Food Commission, Jharkhand

मध्याह्न भोजन- कानून का उल्लंघन होने की स्थिति मे खाद्य

सुरक्षा भत्ता एवं उसमें प्रावधान

[रा.खा.सु.का. की धारा -8 एवं मध्याह्न भोजन नियम 9]

1. यदि किसी भी स्कूल दिन के स्कूल मे मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो नियम 3 मे निर्दिष्ट प्रत्येक बच्चे को राज्य सरकार नियम 2 के उपबंध (ग)] मे परिभाषित खाद्य सुरक्षा भत्ता बच्चों के पात्रता अनुसार अगले माह की 15 तारीख तक उपलब्ध कराएगी [नियम-9 - (1)] |
2. स्कुल दिनों में लगातार तीन दिन अथवा एक महीना में कम से कम पाँच दिन तक मध्याह्न भोजन नहीं कराया जाता है तो राज्य सरकार अभिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार व्यक्ति अथवा अभिकरण पर जिम्मेवारी नियत करने के लिए कार्रवाई करेगी [नियम - 9 - (3)] |

Prepared by Haldhar Mahto, Member, State Food Commission, Jharkhand

शिकायत निवारण

हक का उल्लंघन की स्थिति में और नियम समय पर खाद्य सुरक्षा भत्ता न मिलने पर लिखित शिकायत जिला डी जी आर ओ के यहाँ करें।

शिकायत की एक प्रति झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के व्हाट्सअप्प नंबर 9142622194 पर भी भेज दें। एक माह के अन्दर DGRO के यहाँ से आदेश पारित या कार्रवाई या शिकायत का निपटारा न होने पर झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग में अपील

1. अपील आयोग के ई-मेल jharfoodcommission@gmail.com पर अथवा,
2. झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के एकीकृत ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र www-jharkhandsfc-in पर सीधे ऑनलाइन अथवा,
3. झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा जारी व्हाट्सअप्प नंबर 9142622194 पर लिखित रूप से कर सकते हैं.

कानून के अनुसार मध्याहन भोजन न मिलने की स्थिति में शिकायत पत्र का एक प्रस्तावित नमूना/प्रारूप

प्रेषक, दिनांक:.....

नाम .....

ग्राम .....,पंचायत ..... प्रखंड ....., जिला .....

फ़ोन नंबर (यदि हो तो).....

सेवा मे,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी सह

अपर उपायुक्त /अपर समाहर्ता, ...(जिला का नाम)

विषय :- ..... (प्राथमिक/मध्य) विद्यालय ..... (गाँव/टोला का नाम) में ..... (महिना का नाम) महीना में..... (कितने दिन) दिन तक मध्याहन भोजन बच्चों को न दिए जाने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शिकायत।

महोदय,

हमारे गाँव (गाँव/टोला का नाम) के ..... (प्राध्यमिक/मध्य) विद्यालय में ..... (महिला का नाम) महीना में स्कूल के बच्चों को लगभग (कितने किट), दिन तक मध्याहन भोजन (दिनांक:- ..... एवं ..... को) स्कूल मे नहीं मिला है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की धारा:- 5-1(b) का उल्लंघन है। कानून के नियम:-2, उपबंध:-(ग) एवं नियम:-9 के अनुसार सभी बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिनांक: ..... (अगले माह की 15 तारीख तक) तक मिल जाना चाहिए जो अब तक नहीं मिला है।

महोदय, निवेदन है कि कानन के उल्लंघन के आलोक में:- विद्यालय के उल्लिखित दिनों में सभी बच्चों को मध्याहन भोजन न दिये जाने के बदले खाद्यान सुरक्षा भत्ता व मुआवजा दिया जाय एवं कानून का उल्लंघन करने के आरोप में दोषी पदाधिकारी को कानून सम्मत दंड दिया जाए।

संलग्न :- 1) हाजिरी बही का copy (यदि हो तो)।
2) अन्य कोई कागजात / फोटो / गवाह। इत्यादि जो आपके शिकायत की पुष्टि कर सकने में मदद कर सकें।
प्रतिलिपि : अध्यक्ष राज्य खाद्य आयोग, रांची, झारखंड

हस्ताक्षर

आवेदक .....

अभिभावक (अभिभावकों) का नाम एवं हस्ताक्षर)

(iii) एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS)

(आंगनबाड़ी केन्द्र से दी जानेवाली सेवाएँ)

यह भाग केंद्र प्रायोजित Umbrella ICDS के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाएँ योजना के अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के बारे मे जानकारी प्रदान करती है।

भारत में बच्चों के पोषण की स्थिति कैसी है?

हर बच्चे को कुपोषण से मुक्त रहने का अधिकार है। परन्तु भारत में लगभग एक तिहाई बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण को नापने के लिए बच्चे के वजन या ऊँचाई की तुलना उसी आयु के एक सुपोषित बच्चे से की जाती है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2013-14 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, देश के 29% बच्चों का वजन उनकी आयु के हिसाब से कम पाया गया। वो 39% बच्चों की लंबाई, उनकी आयु के हिसाब से कम थी। पिछले एक दशक में कुपोषण में सुधार लाने में कुछ प्रगति जरूर हुई है। उदाहरण के लिए कम वजन वाले बच्चों का अनुपात 2005 में 42% से घट कर 2013-14 में 29% हो गया। परंतु यह सुधार पर्याप्त नहीं है। भारत में कुपोषण का स्तर आज भी विश्व के अधिकांश देशों से कहीं अधिक है। देश के अलग अलग भागों में भी कुपोषण के स्तर में अंतर है। जहां तमिलनाडू या केरल जैसे राज्यों मे लगभग 20% बच्चे कुपोषित हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में लगभग 50% बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। गरीब और सम्पन्न वर्गों में कुपोषण के स्तर में भी अंतर है। गरीब बच्चों मे कुपोषण की दर सम्पन्न वर्ग के बच्चों की तुलना तीन गुना अधिक है।

झारखण्ड में कुपोषण की स्थिति

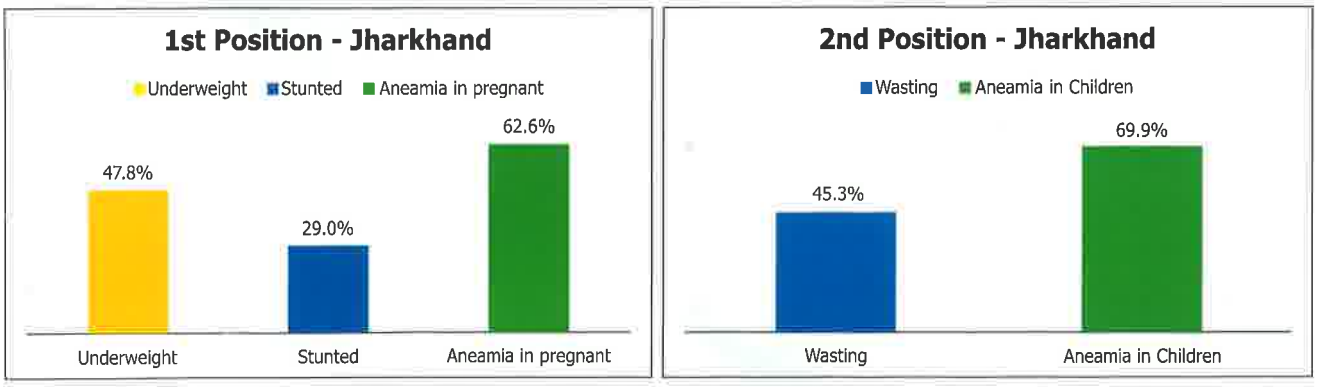

श्रोत : NFHS - 4

बच्चे कुपोषित क्यों हो जाते हैं?

बच्चे भोजन, स्वास्थ्य और देखभाल की कमी के कारण कुपोषित हो जाते हैं। गरीब माता-पिता अपने बच्चों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं दे पाते हैं। बच्चों को जो भोजन मिल पाता है, उसकी विविधता और गुणवत्ता भी कम रहती है। कुपोषण का एक और कारण है- बीमारियाँ। सर्दी, खाँसी, बुखार और साथ में दस्त जैसी बीमारियाँ जो साफ पानी की कमी के कारण होती हैं। गरीब माताओं को काम का अत्यधिक बोझ होने के कारण अपने छोटे बच्चों की देखभाल करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है।

कई बच्चे जन्म से ही कुपोषित होते हैं। इनका जन्म के समय वजन 2.5 किग्रा से कम होता है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि जन्म देनेवाली माता स्वयं कुपोषित होती हैं। एक कुपोषित किशोरी बालिका बड़ी होकर एक कुपोषित माता बनती है। और कुपोषित बच्चे को जन्म देती है। इस तरह कुपोषण का चक्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मे जारी रहता है।

यह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है?

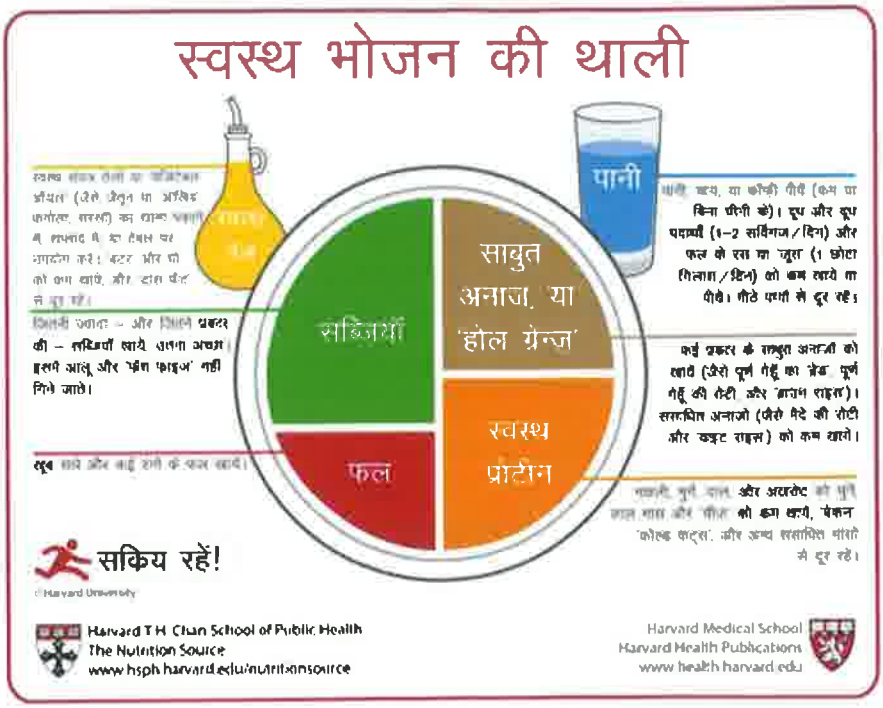

गर्भधारण से जन्म के बाद 2 वर्ष तक बच्चों में शारीरिक और बौद्धिक विकास बहुत तेजी से होता है जो जिंदगी के और किसी भी समय नहीं हो पाता है। इस समय अगर भरपूर पोषण गर्भवती महिला, धात्री माता और बच्चों को नहीं मिला तो इसका असर उनके शारीरिक और बौद्धिक विकास पर पड़ता है। इसका मतलब भविष्य में उसके पढने लिखने की शक्ति या काम करने की क्षमता इसी उम्र में तय हो जाती है। वे बच्चे आगे जाकर कितना तरक्की कर पाएंगे यह भी लगभग इसी उम्र तक तय हो जाता है। कुपोषण का इस पर व्यापक नकारात्मक असर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने भी योजनायें केन्द्रित की हैं ताकि हमारे बच्चे आगे जाकर तरक्की करें और बेहतर जिंदगी जी सकें।

बच्चों को क्या चाहिए?

हर बच्चे को सम्पूर्ण रूप से विकसित होने का अधिकार है। पर्याप्त पोषण, बीमारी से मुक्ति, खेल और अन्य गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर, ये हर बच्चे का अधिकार हैं। किशोरियों और महिलाओं के लिए भी पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चों में कुपोषण कम करने के लिए जरूरी है। साथ ही, गर्भवती महिलाओं को मातृत्व सहायता मिलनी चाहिए ताकि उन्हें छोटे बच्चों की देखभाल करने में मदद मिल पाये। आंगनबाड़ी कार्यक्रम का उद्देश्य इन सभी जरूरतों को पूरा करना है।

अधिकार की व्याख्या

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 39 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उप-खंड (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों क प्रयोग करते हुए, राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्र सरकार एतद द्वारा बच्चे के जन्म के बाद 6 माह तक प्रत्येक गर्भवती एवं धात्री माता, तथा 6 माह से 6 साल के आयुवर्ग के प्रत्येक बच्चे (कुपोषण के शिकार बच्चों सहित) के लिए वर्ष में 300 दिन के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट पात्रताओं को उक्त अधिनियम की सूची मे निर्दिष्ट पोषण मानकों के अनुसार विनियमित किए जाने हैं।

इस अधिनियम के भाग

सामान्य प्रावधान के अनुसार इससे संबधित नियमों को पूरक पोषाहार (समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के तहत) नियमवाली, 2015 कहा जाएगा।

(क) 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र से मिलने वाला पोषाहार

आंगनबाड़ी केन्द्रों मे कौन-कौन सी सेवाएँ दी जाती हैं

समेकित बाल विकास सेवाएँ आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जाती हैं। इस कार्यक्रम की सेवाएँ हैं - छ: सेवाएं पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जाँच, रेफरल सेवाएँ, टीकाकरण, शालापुर्व शिक्षा, परामर्श सेवाएँ।

फिलहाल हमारा कार्य आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जाने वाली सेवा पोषण पर केन्द्रित रहेगा जिसमें पात्रता का स्वरूप निम्न है :

- अधिनियम की धारा 4, 5 एवं 6 में उल्लिखित पात्रताएं केंद्र सरकार की समेकित बाल विकास सेवा योजना के पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाएगी।
- ICDS के तहत पूरक पोषण का मुख्य उद्देश्य संतुष्ट आहार की जरूरत तथा दैनिक आहार ग्रहण के बीच के अंतर को मिटाना है।

पोषण की सेवाओं में पूरक पोषण, वृद्धि की निगरानी और पोषण परामर्श शामिल हैं। पूरक पोषण-3 से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र मे गरम पका भोजन मिलना है। 3 साल से छोटे बच्चों और गर्भवती व धात्री महिलाओं को घर ले जाने के लिए सूखा राशन (टीएचआर) मिलना है।

6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र से मिलने वाला पोषाहार (कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों सहित) - (हकदारियां) रा.खा.सु.का. की धारा 5-1 (क)			
किनको मिलेगा?	**6 माह से 6 वर्ष तके के सभी बच्चों को(कुपोषण से ग्रसित बच्चों सहित)**		
क्या मिलेगा?	(रा.खा.सु.का. की धारा 5 - 1(क) - अनुसूची - 2 के अनुसार)		
वर्ग	**खाना का प्रकार/ क्या मिलेगा?**	**कैलोरी की मात्रा**	**प्रोटीन की मात्रा**
6 से 36 माह तक के बच्चे	THR (घर ले जाने वाला राशन)	**500**	**12-15**
3 से 6 साल तक के बच्चे	सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का गर्म पका-पकाया भोजन मेन के अनुसार - सप्ताह में 3 दिन अंडा सहित (साल में कम से कम 300 दिन)	**500**	**12-15**
6 माह से 6 साल तक के कुपोषित/अति कुपोषित बच्चे	THR के साथ कुल 800 किलो कैलोरी ऊर्जा का पूरक खाद्यान्न कुल 20-25 ग्राम प्रोटीन के साथ	**800**	**20-25**

(ख) गर्भवती महिला एवं धात्री माता को आंगनबाड़ी केन्द्र से मिलने वाला अतिरिक्त पोषाहार (हकदारियां)

(बच्चे के जन्म के बाद 6 माह तक)

(रा.खा.सु.का. की धारा 4(क) – अनुसूची - 2)			
किसको मिलेगा?	**गर्भवती महिला एव धात्री माता को**	**कैलोरी**	**600**
		प्रोटीन	**18-20**
क्या मिलेगा?	गर्म पका-पकाया भोजन अथवा अधिनियम के अनुसार आंगनबाड़ी से मिलने वाली सेवाओं के लिए तय घर ले जाने वाला राशन (THR)		

पूरक पोषण के लागत मानक	
श्रेणियाँ	दर (प्रति लाभार्थी)
बच्चे (6 माह से 6 वर्ष तक)	8.00 रुपये
कुपोषित बच्चे (6 माह से 6 वर्ष तक)	12.00 रूपये
गर्भवती महिलाएँ और धात्री तथा नर्सिंग माताएँ	9.50 रूपये

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
समेकित बाल विकास योजना (ICDS) अन्तर्गत
Take Home Ration (THR)
(आपूर्तिकर्ता- झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी)

गर्भवती एवं धात्री माता

सामग्री	मात्रा (प्रति माह)
चावल	2.5 किलो
अरहर दाल	0.75 किलो
मूंगफली	1 किलो
गुड़	0.625 किलो
आलू	3.125 किलो
कुल	8 किलो

केवल समेकित बाल विकास योजना (ICDS) अन्तर्गत उपयोग हेतु
बिक्री के लिए नहीं

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
समेकित बाल विकास योजना (ICDS) अन्तर्गत
Take Home Ration (THR)
(आपूर्तिकर्ता- झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी)

6 माह से 3 साल तक के बच्चे

सामग्री	मात्रा (प्रति माह)
चावल	1.25 किलो
अरहर दाल	0.75 किलो
मूंगफली	0.75 किलो
गुड़	.075 किलो
आलू	2.5 किलो
कुल	6 किलो

केवल समेकित बाल विकास योजना (ICDS) अन्तर्गत उपयोग हेतु
बिक्री के लिए नहीं

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
समेकित बाल विकास योजना (ICDS) अन्तर्गत
Take Home Ration (THR)
(आपूर्तिकर्ता- झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी)

अति कुपोषित बच्चा

सामग्री	मात्रा (प्रति माह)
चावल	1.875 किलो
अरहर दाल	0.875 किलो
मूंगफली	1.25 किलो
गुड़	0.625 किलो
आलू	2.5 किलो
कुल	7.75 किलो

केवल समेकित बाल विकास योजना (ICDS) अन्तर्गत उपयोग हेतु
बिक्री के लिए नहीं

आंगनबाड़ी से सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

आंगनबाड़ी केंद्र से सम्बंधित हितधारकों एवं समितियों की भूमिका

आंगनबाड़ी की दो समितियाँ

क. माता समिति

1. माता समिति शिशुओं, गर्भवती एवं धात्री माताओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार की गयी एक समिति है। माता समिति मे कुल 12 सदस्य होते हैं। माता समिति के सदस्य पुरुष नहीं हो सकते। इस समिति का गठन ग्राम पंचायत मुखिया एवं राजस्व अधिकारियों के सहयोग से आंगनबाड़ी सेविका द्वारा होता है।

माता समिति के अध्यक्ष के कार्य निम्नांकित हैं:

1. आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से खुले इसकी निगरानी करना।
2. आंगनबाड़ी केंद्र में नियमित रूप से पोषाहार का वितरण करवाना।
3. टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण,स्वास्थ्य शिक्षा आदि में अपना योगदान देना।

ख. अनुश्रवण समिति

अनुश्रवण समिति का गठन ग्रामसभा द्वारा होता है। अनुश्रवण समिति के मुख्य कार्य होते हैं:

1. आंगनबाड़ी केंद्र में 3-6 वर्ष के बच्चों का नामांकन करवाना।
2. आंगनबाड़ी केंद्र में आ रही समस्याओं का समाधान करवाना।
3. आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यों की नियमितता की जांच करना।

4. आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा लाभार्थी को प्राप्त अनुपूरक आहार की समीक्षा करना।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर टेक होम राशन की आपूर्ति के पश्चात इसके लाभूकों को वितरण के अनुश्रवण हेतु अनुश्रवण समिति का गठन निदेशक, समाज कल्याण, झारखंड द्वारा संबन्धित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) के माध्यम से कराया जाएगा। अनुश्रवण समिति का स्वरूप इस प्रकार होगाः

1.	वार्ड सदस्य	अध्यक्ष
2.	आंगनबाड़ी सेविका (01)	सदस्य-सचिव
3.	महिला स्वयं सहायता समूह की एक सदस्या स्वयं सहायता समूह द्वारा नामित सदस्य	(1) सदस्य
4.	0-36 माह के बच्चों की माताएँ अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य	(2) सदस्य
5.	गर्भवती महिलाएं - अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य	(2) सदस्य
6.	धात्री माताएँ - अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य	(2) सदस्य

अनुश्रवण समिति की संयोजक आंगनबाड़ी सेविका होती है।

आंगनबाड़ी केंद्र में अभिभावकों की भूमिका

1. आंगनबाड़ी में 3-6 वर्ष के बच्चों को नियमित रूप से भेजना।
2. बच्चों के साफ-सफाई पर ध्यान देना।
3. आंगनबाड़ी स्तर की बैठकों में भाग लेना।
4. आंगनबाड़ी के विभिन्न क्रियाकलापों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना।

कार्य एवं जिम्मेवारी

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सामान्यतः उस गाँव की होती है तथा वह गाँव के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और उसकी आवश्यकताओं से पूरी तरह से अवगत होती है क्योंकी वह अपने क्षेत्र में परिवारों के साथ संपर्क बनाए रखती है। वह आंगनवाड़ी की प्रमुख कार्यकर्ता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित करती है।

- प्रत्येक माह प्रत्येक बच्चों के वजन की जाँच करना तथा विकास कार्ड में दर्ज करना।
- 6 वर्ष कम आयु के बच्चों के लिए मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्डों का रख- रखाव करना तथा दौरे पर आए चिकित्सा अथवा अर्द्ध-चिकित्सा कर्मियों को कार्ड दिखाना।
- 3-6 वर्ष के आयु-वर्ग में बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व गैर औपचारिक गतिविधियों को संचालित करना।
- स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन तथा स्थानीय व्यजंनों के आधार पर व्यंजन - सूची की आयोजन करते हुए 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती स्त्रियों तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं के लिए अनुपूरक पोषणयुक्त आहार की व्यवस्था करना।
- स्वास्थय एवं पोषण शिक्षा प्रदान करना तथा शिशुओं को अपना दूध पिलाने/शिशुओं एवं आहार संबंधी प्रक्रियाओं पर माताओं को परामर्श देना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के कर्मचारियों को टीकाकरण और स्वास्थय जाँच तथा साथ ही प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर जाँच में सहायता करना।
- घरों में दौरों के दौरान बचों में विकलांगता की पहचान करना तथा उन मामलों को निकटतम पीएचसी अथवा जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र में भेजना।
- दस्त, हैजा आदि के आपातकालीन मामलों को स्वास्थय केंद्र में भेजना।
- किशोरों के लिए विभिन्न योजनायों के क्रियान्यवन में मदद करना।
- स्टैंडिंग कमिटी और ग्राम पंचायत को नियमित रूप से रिपोर्ट देना।

ग्राम पंचायत की भूमिका

ग्राम पंचायत की विकास योजना के अंतर्गत कम लागत वाली योजना में कुपोषणमुक्त पंचायत आती है। ग्राम पंचायत में शिशुऔर महिलाओं के लिए पूर्ण पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण तथा उसके कल्याण संबधित मुख्य कार्य हैं।

हम नागरिक क्या कर सकते हैं

आंगनबाड़ी एक बहुत उपयोगी कार्यक्रम है। यह बच्चों के अधिकार के लिए अनिवार्य है। अगर इस कार्यक्रम को पर्याप्त संसाधन मिले तो यह चमत्कारी परिणाम ला सकता है। इस कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए और इसे पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। ऐसी कार्रवाई हर स्तर पर जरूरी है। गाँव से लेकर दूरस्थ राजधानी तक। इसमें हर किसी की भूमिका है माता-पिताओं, शिक्षकों, पत्रकारों,राजनैतिक नेतृत्वकर्ताओं, शोधकर्ताओं और समाज के चिन्हित सदस्यों की।

हम क्या कर सकते हैं इसके कुछ उदाहरण नीचे वर्णित हैं:

क. लोगों को आंगनबाड़ी की सेवाओं और उनके महत्वों के बारे मे बताना,

ख. सरल सर्वेक्षण करना,

ग. सार्वजनिक रूप से बच्चों का वजन लेने और पोषण श्रेणी दर्शाने से लोगों को इस मुद्दे से जोड़ने और कुपोषण की समस्या को समझाने में मदद मिलती है।

घ. आंगनबाड़ी की सामुदायिक निगरानी और अन्य कार्रवाई ।

ङ. आंगनबाड़ी को बेहतर चलाने में हाथ बटाना।

च. शिकायत निवारण प्रक्रिया कानून के अनुसार मध्यान भोजन की तरह आंगनबाड़ी में भी प्रत्येक 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों को प्रत्येक दिन (अवकाश के दिनों को छोड़कर) मेनू के अनुसार सुबह का नाश्ता एवं दोपहर को गर्म पका-पकाया भोजन दिया जाना है। अगर किसी कारण से किसी भी दिन (छुट्टी के दिन को छोड़कर) सुबह का नाश्ता एवं गर्म पका-पकाया भोजन नहीं मिलता है तो आंगनबाड़ी केंद्र से पंजीकृत प्रत्येक 3 से 6 साल के बच्चे को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता मिलेगा।

उपरोक्त नियम का उल्लंघन होने की स्थिति में अथवा आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने, आंगनबाड़ी केंद्र समय पर न खुलने, टीएचआर का वितरण नहीं होने, अथवा

उपरोक्त हकदारियों के न मिलने पर अथवा कानून का उल्लंघन होने पर लिखित शिकायत जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ सीधे दर्ज कराएँ।

शिकायत की एक प्रति झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के व्हाट्सअप्प नंबर 9142622194 पर भी भेज दें। एक माह के अन्दर DGRO के यहाँ से आदेश पारित या कार्यवाई या शिकायत का निपटारा न होने पर झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग में अपील :

- अपील आयोग के ई-मेल jharfoodcommission@gmail.com पर अथवा,
- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के एकीकृत ऑनलाईन शिकायत निवारण तंत्र www.jharkhandsfc.in पर सीधे ऑनलाईन अथवा,
- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा जारी व्हाट्सअप्प नंबर 9142622194 पर लिखित रूप से कर सकते है।

(ग) प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की धारा 4 (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की धारा 4 का खंड (ख) के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत प्रत्येक गर्भवती महिला एवं धात्री माताओं को 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद की गर्भवती महिलाएँ एवं धात्री माताएँ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एवं सहिया (आशा) सहित सभी महिलाओं को गर्भाधारण से बच्चे के जनम के बाद 6 माह तक की अवधि में निम्न किस्तों एवं शर्तों के अनुसार पूरक पोषाहार के अतिरिक्त पोषण भत्ता आंशिक सहयोग के रूप में नकद राशि उनके बैंक खाते के माध्यम से दी जाएगी।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (सिर्फ 1 बच्चे के लिए)	
पूरक पोषाहार के अतिरिक्त पोषण भत्ता	
[रा०खासु०का० की धारा 4(ख)]	
किनको	सभी गर्भवती महिला एवं धात्री माता को [1 जनवरी 2017 को या उसके बाद की गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताएं (आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं सहिया सहित)]
कब	गर्म धारण से बच्चे के जन्म के बाद 6 माह तक
क्यों	• गर्भावस्था के दौरान मजदूरी में नुक्सान की आंशिक भरपाई • गर्भवती महिला एवं धात्री माता को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन राशि एवं • पोषण युक्त आहार के लिए आंशिक सहयोग
किस प्रकार	नगद बैंक ट्रान्सफर - किस्तवार बैंक खाता में

किस्त का विवरण		
नगद ट्रांसफर (बैंक खाता में)	**कब**	**कितना रूपया**
प्रथम किस्त	पहले रजिस्ट्रेशन के बाद	1000/-
दुसरा किस्त	कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच के बाद (गर्भधारण के 6 माह के बाद)	2000/-
तिसरा किस्त	1. बच्चे के जन्म का निबंधन एवं 2. BCG, OPV, DPT एवं Hepatitis-B या इसके समतुल्य टीकाकरण के प्रथम चरण पूर्ण होने पर	2000/-
BPL कार्डधारी महिला को	संस्थागत प्रसव के उपरान्त (JSY योजना अंतर्गत नगद प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत)	1000/-

लक्षित लाभार्थी

- ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में हैं या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं, को छोड़कर सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं।
- सभी पात्र गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को परिवार में पहले बच्चे के लिए जो 01.01.2017 या इसके बाद गर्भवती हुई हैं।
- लाभार्थी के लिए गर्भधारण की तिथि तथा चरण की गणना एमसीपी कार्ड में यथा उल्लेखित उसकी पिछले माहवारी चक्र की तिथि के आधार पर की जाएगी।

गर्भपात/मृत जन्म का मामला

- लाभार्थी योजना के अंतर्गत केवल एक बार लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। गर्भपात/मृत जन्म के मामले में लाभार्थी किसी भावी गर्भधारण की स्थिति में शेष किस्त (किस्तो) का दावा करने के लिए पात्र होंगे। इस प्रकार पहली किस्त प्राप्त करने के बाद यदि लाभार्थी का गर्भपात हो जाता है तो वह पात्रता के मानदंडों एवं योजना की शर्तों की पूर्ति के अधीन भावी गर्भधारण की स्थिति में केवल दूसरी एवं तीसरी किस्त प्राप्त करने की पात्र होगी। इसी तरह यदि पहली और दूसरी किस्त प्राप्त करने के बाद लाभार्थी का गर्भपात हो जाता है या मृत शिशु का जन्म होता है तो वह पात्रता के मानदंडों एवं योजना की शर्तों की पूर्ति के अधीन भावी गर्भधारण की स्थिति में तीसरी किस्त प्राप्त करने की पात्र होगी।
- शिशु मृत्यु का मामला - लाभार्थी योजना के अंतर्गत केवल एक बार लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। अर्थात शिशु की मृत्यु हो जाने की स्थिति में वह योजना के अंतर्गत लाभों का दावा करने की पात्र नहीं होगी, यदि उसने पीएमएमवीवाई के अंतर्गत पहले ही मातृत्व लाभ की सभी किस्तें प्राप्त कर ली है।
- गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा/सहिया/स्वास्थ्य सहिया भी योजना की शर्तों की पूर्ति के अधीन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

दावे की प्रक्रिया

मामलों को प्रोसेस करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि सुनिश्चित हो कि योजना के अंतर्गत शर्ते पूरी होने तथा पूर्ण विवरण के साथ दावे की प्रस्तुति एवं पंजीकरण होने के अधिकतम 30 दिन के अंदर पात्र लाभार्थी के खाते में किस्त का भुगतान हो जाए।

पंजीकरण तथा आंगनबाड़ी सेविका/स्वास्थ्य सहिया/एएनएम को दावे की प्रस्तुति

योजना के अंतर्गत पंजीकरण

क. मातृत्व लाभ प्राप्त करने की इच्छुक पात्र महिलायें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यान्वयन विभाग के आधार पर आंगनवाड़ी केंद्र/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में योजना के अंतर्गत पंजीकरण करायेगी।

ख. पंजीकरण के लिए लाभार्थी स्वयं तथा अपने पति द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित वचन पत्र/सहमति पत्र तथा संगत दस्तावेजों के साथ निर्धारित आवेदन फार्म 1क, जो हर दृष्टि से पूर्ण हो, आंगनवाड़ी केंद्र/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में प्रस्तुत करेंगे। फार्म प्रस्तुत करते समय लाभार्थियों से योजना में आधार प्रयोग करने पर लाभार्थी एवं उसके पति का लिखित सहमति, अपना/पति/परिवार के सदस्य का मोबाइल नम्बर तथा अपने (लाभार्थी) बैंक/डाकघर खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी।

ग. आंगनवाड़ी केंद्र/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र से निर्धारित फॉर्म निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। फॉर्म महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट (www.wcd.nic.in) से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

घ. लाभार्थियों से पंजीकरण तथा किस्त के दावे के लिए योजना के अंतर्गत निर्धारित फार्म भरने तथा आंगनवाड़ी केंद्र/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में उसे जमा करने की अपेक्षा होगी। लाभार्थी को चाहिए कि वे रिकार्ड तथा भावी संदर्भ के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ सहिया/एएनएम से पावती लें।

ड. निर्धारित फार्म भरने के लिएं संक्षिप्त अनुदेश निम्नानुसार हैं :

1. पंजीकरण तथा पहली किस्त का दावा करने के लिए, एमसीपी कार्ड (जच्चा-बच्चा संरक्षण कार्ड),लाभार्थी एवं उसके पति के पहचान के प्रमाण, दोनों का आधार कार्ड या पहचान पात्र के रूप में केवल आधार कार्ड, जिसमें पत्नी के आधार कार्ड में पति का नाम जुड़ा होना अनिवार्य है तथा लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते के विवरणों के साथ विधिवत रूपसे भरा गया फार्म 1क प्रस्तुत करना होगा।
2. दूसरी किस्त का दावा करने के लिए, लाभार्थी से गर्भधारण के 6 माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच को दर्शाने वाले एमसीपी कार्ड की प्रतिलिपि के साथ विधिवत रूप से भरा गया फार्म 1ख प्रस्तुत करना होगा।
3. तीसरी किस्त का दावा करने के लिए, लाभार्थी से बच्चे के जन्म के पंजीकरण की प्रति तथा एमसीपी कार्ड जिसमें दर्शाया गया हो कि बच्चे ने टीकाकरण का पहला चक्र या इसके समतुल्य/एवजी प्राप्त कर ली है, की प्रति के साथ विधिवत रूपसे भरागया फार्म 1 ग प्रस्तुत करना होगा।
4. यदि लाभार्थी ने योजना के अंतर्गत निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया है परंतु निर्धारित समय के अंदर पंजीकरण नहीं करा पायी है/दावा प्रस्तुत नहीं कर पायी है तो वह पैरा 3.6 में निर्धारित ढंग से दावा(दावे) प्रस्तुत कर सकती है।
5. यदि पहले से बैंक/पोस्ट आफिस खाता लाभार्थी के नाम नहीं है तो आंगनबाड़ी सेविका/स्वास्थ्य सहिया/एएनएम लाभार्थी का आधार से जुड़ा बैंक/डाकघर खाता खुलवाने में सहायता प्रदान करेगी। यदि पहले से ही उसके नाम खाता है तो विद्यमान बैंक/डाकघर खाते के साथ आधार नम्बर नहीं जुड़ा है तो उसे आधार से जोड़ने में मदद करेगी।

पहली किस्त के लिए दावे की प्रक्रिया

क. पहली किस्त का दावा करने के लिए लाभार्थी आंगनवाड़ी केंद्र/गांव/अनुमोदित स्वास्थ्य सेवा केंद्र में संगत दस्तावेज़ों के साथ विधिवत रूप से भरा गया फार्म 1क जमा करेंगे।

ख. योजना के अंतर्गत पहली किस्त का दावा करने के लिए लाभार्थी तभी पात्र होंगे जब वे आंगनवाड़ी केंद्र में अथवा स्वास्थ्य सहिया/ एएनएम के यहां एलएमपी तिथि (एमसीपी कार्ड पर दोनों तिथियों का उल्लेख होता है) से 5 माह (अर्थात 150 दिन) की समय-सीमा के अंदर अपने गर्भधारण का पंजीकरण कराएंगे।

ग. लाभार्थियों को लाभों के संवितरण के लिए प्रक्रिया का कार्य आंगनवाड़ी केंद्र/गांव/अनुमोदित स्वास्थ्य सेवा केंद्र में पंजीकरण की तिथि से 30 दिन पहले पूरा कर लिया जाएगा ताकि योजना के अंतर्गत पंजीकरण की तिथि से 30 दिन के अंदर लाभार्थियों को लाभों का अंतरण हो सके।

घ. पीएमएमवीवाई के अंतर्गत लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ स्वास्थ्य सहिया/एएनएम को फार्म 1क में शर्तों की पूर्ति तथा पंजीकरण फार्म में यथा निर्धारित विवरण प्रस्तुत करेंगे।

ङ. पूर्ण आवेदन पत्र तथा अपेक्षित दस्तावेज़ प्राप्त होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहिया/एएनएम लाभार्थी को पीएमएमवीवाई के अंतर्गत पंजीकृत करेगी तथा एक सप्ताह के अंदर पर्यवेक्षक/एएनएम को विवरण भेजेगी।

च. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहिया/एएनएम से प्राप्त प्रस्ताव की पर्यवेक्षक/एएनएम द्वारा समेकित रूप में जांच की जाएगी तथा भुगतान/प्रक्रिया

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उसे हर सप्ताह संबंधित सीडीपीओ/ स्वास्थ्य ब्लॉक अधिकारी (चिकित्सा अधिकारी) को प्रस्तुत किया जाएगा।

दूसरी किस्त के लिए दावे की प्रक्रिया

क. दूसरी किस्त का दावा करने के लिए लाभार्थी अपेक्षित दस्तावेज़ों के साथ आंगनबाड़ी सेविका/स्वास्थ्य सहिया/एएनएम को विधिवत रूपसे भरा गया फार्म 1ख प्रस्तुत करेंगे।

ख. लाभार्थी अपेक्षित दस्तावेजों की छाया प्रतियों के साथ फार्म 1ख में शर्तों की पूर्ति का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।

ग. दावे का पूर्ण फार्म तथा अपेक्षित दस्तावेज़ प्राप्त होने पर आंगनबाड़ी सेविका/स्वास्थ्य सहिया/मातृत्व लाभ की दूसरी किस्त के संवितरण की प्रक्रिया हेतु एक सप्ताह के अंदर महिला पर्यवेक्षिका विवरण भेजेगी।

घ. आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/आशा/एएनएम से प्राप्त प्रस्ताव की पर्यवेक्षक/एएनएम द्वारा समेकित रूप में जांच की जाएगी तथा भुगतान/प्रक्रिया के लिए उसे हर सप्ताह संबंधित सीडीपीओ को प्रस्तुत किया जाएगा।

ङ. लाभार्थियों को मातृत्व लाभ की दूसरी किस्त के संवितरण की प्रक्रिया शर्तों की पूर्ति के प्रमाण से संबंधित फार्म 1ख में दावा प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन पहले पूरी की जाएगी।

तीसरी किस्त के लिए दावे की प्रक्रिया

क. इस किस्त का दावा करने के लिए लाभार्थी आंगनबाड़ी सेविका/स्वास्थ्य सहिया/एएनएम को संगत दस्तावेजों के साथ विधिवत रूपसे भरा गया फार्म 1ग प्रस्तुत करेंगे।

ख. लाभार्थी अपेक्षित दस्तावेज़ों की छाया प्रतियों के साथ फार्म '1ग' में शर्तों की पूर्ति का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।

ग. पीएमएमवीवाई के अंतर्गत यह किस्त प्राप्त करने हेतु पात्र बनने के लिए लाभार्थी के लिए अपना और अपने पति का आधार नम्बर प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यदि पहले प्रस्तुत नहीं किया गया है।

घ. दावे का पूर्ण फार्म तथा अपेक्षित दस्तावेज़ प्राप्त होने पर आंगनबाड़ी सेविका/स्वास्थ्य सहिया/एएनएम मातृत्व लाभ की तीसरी किस्त के संवितरण की प्रक्रिया करने हेतु एक सप्ताह के अंदर पर्यवेक्षक/एएनएम को विवरण भेजेगी।

ङ. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहिया/एएनएम से प्राप्त प्रस्ताव की पर्यवेक्षक/एएनएम द्वारा समेकित रूप में जांच की जाएगी तथा भुगतान/प्रक्रिया के लिए उसे हर सप्ताह संबंधी सीडीपीओ/स्वास्थ्य ब्लॉक अधिकारी (चिकित्सा अधिकारी) को प्रस्तुत किया जाएगा।

च. लाभार्थी को मातृत्व लाभ की तीसरी किस्त के संवितरण के लिए प्रक्रिया का कार्य शर्तों की पूर्ति के प्रमाण से संबंधी फार्म '1ग' में दावा प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन पहले पूरा कर लिया जाएगा।

सारणी: समूहबद्धता के संयोजन

क्र.सं.	मामला	लाभार्थी द्वारा भरे जाने वाले फार्म	एडब्ल्यूडब्ल्यू /आशा/एएनएम द्वारा सत्यापन
1	लाभार्थी ने योजना के अंतर्गत पहली किस्त के लिए दावा नहीं किया है तथा केवल पहली किस्त के लिए दावा हेतु आवेदन किया है।	फार्म 1-क	• एलएमपी की तिथि से 150 दिन के अंदर गर्भधारण का पंजीकरण
2	लाभार्थी जिन्होंने योजना के अंतर्गत पहली किस्तके लिए दावा नहीं किया है परंतु केवल दूसरी किस्त के दावे के लिए सीधे आवेदन किया है।	फार्म 1-क; फार्म 1-ख	• कम से कम एक प्रसव-पूर्व जाँच
3	लाभार्थी जिन्होंने योजना के अंतर्गत पहली किस्त का दावा नहीं किया है परंतु पहली और दूसरी दोनो किस्तों का दावा करने के लिए सीधे आवेदन किया है।	फार्म 1-क; फार्म 1-ख	• एलएमपी की तिथि से 150 दिन के अंदर गर्भधारण का पंजीकरण • कम से कम एक प्रसव-पूर्व जाँच
4	लाभार्थी जिन्होंने योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराया है तथा पहली किस्त के लिए दावा कर लिया है तथा योजना के अंतर्गत केवल तीसरी किस्त का दावा करने के लिए सीधे आवेदन किया है।	फार्म 1-ग	• बच्चे के जन्म का पंजीकरण • बच्चे ने बीसीजी, ओपीवी डीपीटी तथा हैप्टाइटिस बी अथवा इसके समतुल्य/एवजी का पहला चक्र प्राप्त कर लिया है।
5	लाभार्थी जिन्होंने योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराया है तथा पहली किस्त के लिए दावा कर लिया है तथा योजना के अंतर्गत एक साथ दूसरी और तीसरी किस्त का दावा करने के लिए सीधे आवेदन किया है।	फार्म 1-ख; फार्म 1-ग	• कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच • बच्चे के जन्म का पंजीकरण • बच्चे ने बीसीजी, ओपीवी डीपीटी तथा हैप्टाइटिस बी अथवा इसके समतुल्य/एवजी का पहला चक्र प्राप्त कर लिया है।
6	लाभार्थी जिन्होने योजना के अंतर्गत पहली और दूसरी किस्त का दावा नहीं किया है तथा योजना के अंतर्गत केवल तीसरी किस्त का दावा करने के लिए सीधे आवेदन किया है।	फार्म 1-क; फार्म 1-ग	• एलएमपी की तिथि से 150 दिन के अंदर गर्भधारण का पंजीकरण • बच्चे के जन्म का पंजीकरण • बच्चे ने बीसीजी, ओपीवी डीपीटी तथा हैप्टाइटिस बी अथवा इसके समतुल्य/एवजी का पहला चक्र प्राप्त कर लिया है।
7	लाभार्थी जिन्होने योजना के अंतर्गत पहली एवं दूसरी किस्त का दावा नहीं किया है तथा योजना के अंतर्गत दूसरी और तीसरी किस्त का एक साथ दावा करने के लिए सीधे आवेदन किया है।	फार्म 1-क; फार्म 1-ख; फार्म 1-ग	• कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच • बच्चे के जन्म का पंजीकरण • बच्चे ने बीसीजी, ओपीवी डीपीटी तथा हैप्टाइटिस बी अथवा इसके समतुल्य/एवजी का पहला चक्र प्राप्त कर लिया है।
8	लाभार्थी ने योजना के अंतर्गत पहली और दूसरी किस्त के लिए दावा नहीं किया है तथा योजना के अंतर्गत पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का एक साथ दावा करने के लिए सीधे आवेदन किया है।	फार्म 1-क; फार्म 1-ग फार्म 1-ख;	• एलएमपी की तिथि से 150 दिन के अंदर गर्भधारण का पंजीकरण कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच • बच्चे के जन्म का पंजीकरण • बच्चे ने बीसीजी, ओपीवी डीपीटी तथा हैप्टाइटिस बी अथवा इसके समतुल्य/एवजी का पहला चक्र प्राप्त कर लिया है।

सम्मिलित Stakeholders एवं उनकी भूमिका

पर्यवेक्षक/एएनएम द्वारा प्रक्रिया

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहिया/एएनएम से प्राप्त फार्म का सत्यापन किया जाएगा तथा प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अंदर सीडीपीओ/एमओ को प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत अनुदेश अनुलग्नक-ख और अनुलग्नक-ग में उपलब्ध हैं।

सीडीपीओ/एमओ द्वारा प्रक्रिया

व्यावहारिक रूप से देखें तो स्वास्थ्य विभाग मातृ वंदना योजना के लाभ प्रदान करने हेतु झारखंड राज्य में अधिकृत नही किया गया है | इसे महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जिले में संचालित समाज कल्याण शाखा के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है|

पर्यवेक्षक/एएनएम से प्राप्त फार्म का सत्यापन किया जाएगा तथा पीएमएमवीवाई-सीएएस सॉफ्टवेयर के लिए प्रयोक्ता मैनुअल में दिए गए विवरणों के अनुसार पात्र लाभार्थियों को लाभों के संवितरण के लिए वेब आधारित एमआईएस (www. pmmvy-cas.gov.in) में दर्ज किया जाएगा। सीडीपीओ/एमओ यह सुनिश्चित करेंगे कि फार्म प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर विवरण डाटाबेस में दर्ज हो जाएं और संस्वीकृति जारी हो जाए।

राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) द्वारा भुगतान आरंभ करने के लिए प्रक्रिया

एसएनओ यह सुनिश्चित करेंगे कि डाटा की सटीकता के सत्यापन के बाद सीडीपीओ/एमओ से संस्वीकृति सूची की प्राप्ति से 3 कार्य दिवस के अंदर भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाए।

शिकायत निवारण प्रक्रिया

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 4 (ख) के अनुसार PMMVY के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत प्रत्येक योग्य महिला को तय राशि ससमय उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है एवं महिलाओं का कानूनी हक है। उपरोक्त नियम अथवा कानून का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रत्येक योग्य महिला को खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने का हक है।

हकदारियों के न मिलने पर अथवा कानून का उल्लंघन होने पर लिखित शिकायत जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ सीधे दर्ज कराएँ।

शिकायत की एक प्रति झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के व्हाट्सअप्प नंबर 9142622194 पर भी भेज दें । एक माह के अन्दर DGRO के यहाँ से आदेश पारित या कार्रवाई या शिकायत का निपटारा न होने पर झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग में अपील -

1. अपील आयोग के ई-मेल jharfoodcommission@gmail.com पर अथवा,
2. झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के एकीकृत ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र www-jharkhandsfc-in पर सीधे ऑनलाइन अथवा,
3. झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा जारी व्हाट्सअप्प नंबर 9142622194 पर लिखित रूप से कर सकते हैं।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 (MGNREGA)

भूमिका

यह पुस्तिका मजदुर साथियों के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए, क्योंकि यह आपके जीने के अधिकार से जुड़ी हुई है। पहले आपको काम के लिए दर-दर भटकना पड़ता था। अपना गाँव क्षेत्र छोड़कर बाहर जाना पड़ता था।

खराब परिस्थितियों में आपसे ज्यादा काम लिया जाता था। बदले में आपको, आपके हक से कम, मनमाने ढंग से बांटी गई मजदूरी मिलाती थी। महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब थी। महिलाओं को मजदूरी पुरुषों से कम मिलती थी। काम मांगने के लिए आपको ठेकेदार या सरकारी अधिकारियों की कृपा पर आश्रित रहना पड़ता था। पर अब हालात बदल रहे हैं। आप जैसे कई मजदूरों के संघर्ष से देश में रोज़गार गारंटी कानून (जिसे नरेगा भी कहा जाता है) बना है। यह पहली बार है जब देश में एक कानून मजदूरो के लिए बना है।

आइये इस कानून को और विस्तार से समझते है

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा जो कि 2 फरवरी 2006 से भारत में लागू है। यह कानून गाँव के हर परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी प्रदान करता है।

नरेगा को कानून के रूप में लाने कि क्या आवश्यकता थी, यह एक योजना के रुप में भी हो सकता था।

- नरेगा कानून रोजगार की गारंटी देता है। इससे मजदूरों को काम मुहैया कराने की जिम्मेदारी तय होती है। मजदूर को काम पाने का कानूनी हक है और उसे सरकारी अधिकारियों की दया पर निर्भर नहीं रहना है।
- योजना आती जाती रहती है मगर कानून अधिक स्थायी होते है। योजनाओं को सीमित करने या उन्हें ख़त्म कर दिये जाने का भी डर रहता है, जबकि कानून में परिवर्तन संसद द्वारा ही संभव है।

नरेगा से ग्रामीण समाज का शक्ति समीकरण बदल सकता है, जो सामाजिक समता की गति को और तेज़ करेगा।

मनरेगा में काम पाने का अधिकार किसे है?

- गाँव में रहने वाला हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है।
- काम किसी भी उम्र तक माँगा जा सकता है (जैसे 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जिन्हें पेंशन मिलता है, वे भी नरेगा में काम पाने के हकदार है)। बुजुर्ग व्यक्ति कार्यस्थल पर पानी पिलाने या बच्चों की देखभाल करने का काम आसानी से कर सकते है।

नरेगा से क्या संभावित लाभ है?

- नरेगा गरीबी व भूखमरी कम करने में मदद करता है।
- नरेगा गाँव से शहर मज़बूरी में पलायन कम करने में सहयोग करता है।
- महिला सशक्तिकरण- नरेगा महिलाओं को अपने ही ग्राम पंचायत में काम पाकर मजदूरी कमाने का अवसर देता है, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है।
- चूँकि नरेगा के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की अहम् भूमिका है, यह कानून पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने का सुनहरा मौका प्रदान करती है।
- नरेगा से ग्रामीण समाज का शक्ति समीकरण बदल सकता है, जो सामाजिक समता की गति को तेज़ करेगा।

काम पाने के लिए क्या करना होगा?

मनरेगा में काम करने के इच्छुक हर परिवार को अपना जॉब कार्ड बनवाना होगा और प्रत्येक मजदूर को अपना बैंक खाता खुलवाना होगा।

परिवार का मतलब?

एकल परिवार (यानी पति, पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे)।* एकल महिलाओं को अपना अलग से जॉबकार्ड बनवाने का अधिकार है।

जॉबकार्ड कैसे बनवाये?

- जॉब कार्ड बनवाने के लिए ग्राम पंचायत या प्रखण्ड के कार्यालय में कभी भी आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदन कि प्राप्ति रसीद उसी समय प्राप्त करने की तारीख के साथ लें।
- जॉब कार्ड मांग करने के 15 दिनों के अन्दर मिलना है।
- जॉबकार्ड मुफ्त में बनना है। फोटो का भी पैसा नहीं लगता है।

याद रखें-जॉबकार्ड संभाल कर अपने पास रखे मेट या मुखिया को बिलकुल न दें।

जॉब कार्ड कि एक प्रति ऊपर दी गई है ताकि हम यह जान सके कि उसमे क्या क्या जानकारियां लिखी होती है (उसे ध्यान पूर्वक पढ़ें)।

"कार्ड मिल गया माँगो काम, काम का लो उचित दाम!"

जॉब कार्ड बनने के बाद परिवार साल में 100 दिन काम पाने का हकदार बन जाता है। अब परिवार ही मिल बैठकर यह तय करेगा कि 100 दिन का काम आपस में कैसे बांटे,यानी कौन कब कम पर जायेगा साथ ही साथ परिवार ही यह तय करेगा कि 100 दिन का काम उसे कब चाहिए।

काम का आवेदन कैसे करे?

- काम पाने के लिए ग्राम पंचायत में सादे कागज पर या आवेदन फॉर्म भर कर आवेदन कर सकते हैं।
- काम का आवेदन सामूहिक रूप से या अकेले भी कर सकते है।
- आवेदन में कम से कम 14 दिनों के लिए काम मांगना होगा।
- आवेदन के 15 दिनों के अन्दर रोज़गार मिलना है।

याद रखें :- आवेदन की प्राप्ति रसीद उसी समय आवेदन प्राप्त करने वाले का हस्ताक्षर व तारीख के साथ लेना न भूलें।

ध्यान दें अगर आपको काम का आवेदन करने से 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता तो नरेगा अधिनियम के तहत काम मांग रहा व्यक्ति बेरोज़गारी भत्ता का हकदार बन जाता है।

पहले तीस दिनों के लिए सरकारी मजदूरी दर का रेट का कम से कम एक चौथाई, उसके बाद सरकारी मजदूरी का आधा।

बेरोज़गारी में कितनी राशि मिलनी है?

अप्रैल 2020						
रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरू	शुक्र	शनि
				1	2	3
7	8	9	10	11	12	13
14	15 (इस दिन तक काम मिलना है)	16 काम नहीं मिला तो (इस दिन से बेरोजगारी भत्ता चालु)	17	18	19	20

मई 2020						
रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरू	शुक्र	शनि
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14 (इस दिन तक मजदूरी का एक चौथाई)	15 (इस दिन से मजदूरी का आधा)	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

काम कहाँ मिलेगा?

- जहाँ तक संभव हो,आवेदक के घर से 5 किलोमीटर की दूरी तक
- अगर काम 5 किलोमीटर से दूर मिलेगा तो आने जाने का भाड़े के तौर पर चल रही मजदूरी का 10 प्रतिशत अतिरिक्त मिलना है।

मनरेगा में क्या-क्या काम होता है :- नरेगा के तहत कई ऐसे काम हो सकते हैं जिससे गाँव का विकास हो। नरेगा में निचे टेबल में दर्शाए गए सारे काम उनके मौसम के हिसाब से दिए गए हैं।

मौसमी कैलेंडर		
मौसम	अवधि	योजनाओं का प्रकार
मॉनसून से पहले	मार्च से जून	डोभा, पोखर, तालाब, स्टैगर्ड ट्रेंच, गली प्लगिंग 30x40 मोडेल, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर, भूमि समतलीकरण व मेढ़बंदी, वृक्षारोपण के लिए पिट की खुदाई, कच्ची सड़क आदि।
मॉनसून	जुलाई से सितम्बर	भूमि समतलीकरण व मेढ़बंदी, स्टैगर्ड ट्रेंच, गली पलैगिंग, 30x40 मोडेल, शेड, मुर्गी शेड, गाय के लिए पक्का फर्श व मूत्र टैंक, वृक्षारोपण (पिट खुदाई के बाद की गतिविधियाँ) आदि।
मॉनसून के बाद	अक्टूबर से फरवरी	कुआँ, स्टैगर्ड ट्रेंच, गली पलैगिंग, 30x40 मॉडयूल, भूमि समतलीकरण व मेढ़बंदी, डोभा, पोखर, तालाब, कच्ची सड़क आदि।

मस्टर रोल क्या है?

- मजदूर जब काम का आवेदन करते हैं तो उन्हें काम मिलता है। इसका मतलब है कि मजदूर का नाम मस्टररोल में आना।
- मस्टर रोल एक उपस्थिति शीट है जिसमें काम शुरू करने से पहले मजदूर का नाम होना अनिवार्य है।
- मस्टर रोल में- मजदूर का नाम, जॉब कार्ड संख्या, योजना का नाम व कोड, पंचायत प्रखण्ड व जिला का नाम, मस्टर - रोल कि तिथि इत्यादि होती है।

याद रखें: काम करने से पहले मजदूर अपना नाम मस्टर रोल में है या नहीं यह सुनिश्चित कर लें। अगर है तभी काम करें अन्यथा मेट/रोज़गार सेवक को तुरंत सूचित करें।

मानव दिवस क्या है?

- मानव दिवस का तात्पर्य मनरेगा में काम कर रहे मजदूरों ने कितनी मिट्टी काटी है, से है।
- मानव दिवस को दिन के हिसाब से नहीं गिना जाता है।
- मानव दिवस "चौके" में गिना जाता है, जो अलग-अलग योजनायों के लिए अलग होता है।
- चौके का मतलब, एक दिन में कितनी घन फीट मिट्टी काटनी है। जो कि मिट्टी की कठोरता पर निर्भर करता है।

उदाहरण के लिए- डोभा में 73 cft एक दिन में काटनी है क्योंकि प्रायः मिट्टी हल्की व नरम होती है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई मजदूर एक दिन में 73 cft मिट्टी काट ले तो वो एक मानव दिवस कहलायेगा।

कार्यस्थल पर मजदूरों को मिलने वाली सुविधाएँ

मनरेगा कानून के तहत कार्यस्थल पर मजदूरों को पीने के लिए साफ़ पानी, आराम के लिए छाया, दवाई और अगर 6 वर्ष से कम उम्र के छोटे बच्चे कार्यस्थल पर हो तो उनकी देख रेख के लिए एक व्यक्ति का होना अनिवार्य है जिसे नरेगा के तहत बराबर मजदूरी का प्रावधान है।

याद रखें: पानी पिलाने वाले एवं बच्चे की देख रेख करने वाले को भी (बुजुर्ग महिला या पुरुष) रखा जा सकता है एवं उनको भी समान मजदूरी दिया जाना है

काम के दौरान निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें

- कार्यस्थल पर जब तक मस्टर रोल न आये तब तक काम शुरू न करें, अपना नाम व बैंक खाता संख्या सही है या नहीं सुनिश्चित कर लें।
- मिट्टी के प्रकार के हिसाब से चौके का माप बदलता है- नरम मिट्टी के लिए 73 cft, कड़ी मिट्टी ले लिए 54 cft एवं पथरीली मिट्टी के लिए 49 cft ही काटनी है।
- सप्ताह के अंत में मस्टर रोल पर हस्ताक्षर करते समय यह सुनुश्चित कर लें कि आपने जितना दिन काम किया है उतना दिन की हाजरी लिखी हो।

याद रखें: हमारे राज्य झारखण्ड में वर्तमान अकुशल मजदूरी दर 225.00 रुपये है,साथ ही साथ ये मजदूरी काम करने के 15 दिन के अन्दर मिलनी है। ये मजदूरी दर हर साल के 1 अप्रैल को बढ़ती है।

मजदूरी कैसे मिलेगी?

- भुगतान के लिए बचत खाता बैंक में बिना पैसे के खुलना है।
- खाता खुलवाने के लिए मजदूर स्वयं ही बैंक जाए, महिलाओं का खाता अलग से खुलना है।
- मजदूर खाते की पासबुक खाता खुलवाते ही प्राप्त करें। इसे अपने पास संभालकर रखें। मेट, मुखिया या अन्य किसी और को न दें।
- बैंक से जब भी मजदूर अपनी मजदूरी का भुगतान प्राप्त करे तो पासबुक में जरुर दर्ज कराएँ।

याद रखे: मजदूर अपना पैसा खुद निकालने जाए एवं अपना पासबुक किसी को भी न दे।

काम तय करने का तरीका

- गाँव के लोग ही ग्रामसभा में यह तय करेंगे कि उनके क्षेत्र में क्या काम होगा।
- ग्रामीण अपनी गाँव के जरूरत के हिसाब से विभिन्न योजनायों का चयन करेंगे।
- ग्रामसभा में कार्य सूची तय की जाती है एवं इसी सूची के अनुसार ग्राम पंचायत कार्य योजना बनती है एवं प्राथमिकीकरण तय करती है।
- योजनायों की सूची पंचायत के मुखिया के पास भेजी जाती है जिसे पंचायत कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा योजनायों की प्राथमिकता को तय करते हुए स्वीकृति दी जाती है।

पंचायत कार्यकारिणी की जिम्मेदारियां

- ग्रामसभा की सूचना सभी ग्रामीणों तक पहुँचाना।
- ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनुमोदित योजनाओ को अनुमोदित कर प्रखण्ड तक भेजना।
- पंचायत समिति द्वारा प्रखण्ड में संचालित मनरेगा योजनाओ की मासिक समीक्षा बैठक करना।
- पंचायत समिति मनरेगा योजनाओं सम्बंधित जानकारी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी से मांगसकती है।

याद रखे: ग्रामसभा में भागीदारी हम सबकी है जिम्मेदारी।

नरेगा मेट

- सभी चल रहे मनरेगा योजनायों के लिए एक मेट का चुनाव किया जाता है।
- प्रत्येक गाँव/टोले में हर 40 परिवारों के लिए कम से कम 1 मेट का चयन किया जाता है।

नोट: अधिक जानकारी के लिए पत्र देखें, जिसमें मेट सम्बंधित सभी जानकारियां उपलब्ध हैं जैसे कि मेट का चयन प्रक्रिया, मेट का पंजीकरण, मेट की भूमिका व जिम्मेदारियाँ इत्यादि।

नरेगा मेट का भुगतान

मेट का भुगतान अर्ध कुशल मजदूरी दर से किया जाता है जो कि वर्तमान में 287.90 रुपये है और यह भुगतान सामाग्री मद से होता है।

- मेट का भुगतान योजना के तकनीकी प्राक्कलन में दिए गए मानक अनुसार किया जाना है, जैसे, अगर किसी योजना के प्राक्कलन के अनुसार 20 अकुशल मजदूर मानव दिवस पर मेट के एक दिन की हाज़री बनती है, और प्रतिदिन उस योजना पर 10 मजदूर काम करते हैं, तो हर दो दिन पर मेट की एक दिन की हजारी बनेगी।
- मेट के भुगतान हेतु NREGASOFT से प्रत्येक कार्य सप्ताह के लिए अर्ध कुशल मस्टररोल निर्गत किया जायेगा। जो मेट छोटी योजनायों पर काम करेंगे, उनके लिए एक साथ एक से अधिक योजना का मस्टर रोल निर्गत किए जाने का प्रावधान है।
- मेट का भुगतान कार्य-सप्ताह समाप्त होने के 15 दिन के अंदर सुनिश्चित किया जायेगा।

याद रखें: योजनायों में सामाग्री की व्यवस्था करना मेट की जिम्मेदारी नहीं है साथ ही साथ जो मेट तीन साल से अधिक समय से मेट के पद पर कार्यरत हैं उन्हें हटा कर नये मेटों का चयन किया जाना है।

भ्रष्टाचार से सावधान

- नरेगा कानून के तहत होने वाले कामों की निगरानी करने का अधिकार मजदूरों को भी दिया गया है। मजदूर को भी इस कानून के तहत होने वाले कामों में गड़बड़ियों को रोकना है।
- याद रखें जब भी काम का आवेदन करें, आवेदन की पक्की रसीद जरूर लें।
- मस्टररोल और भुगतान में हेराफेरी हो तो तुरंत आवाज उठाने की जरूरत है।

अगर आपको लगे कि :

- मस्टररोल के बजाये कच्चे रजिस्टर में हाजिरी ली जा रही हो;
- कार्यस्थल पर हर रोज मस्टररोल नहीं रखा जा रहा हो;
- मजदूरों से खाली मस्टर रोल या गलत हाजिरी पर हस्ताक्षर कराया जा रहा हो;
- मस्टररोल पर फर्जी हस्ताक्षर या अंगूठा लगाया जा रहा हो;
- सरकारी मजदूरी से कम भुगतान किया जा रहा हो;
- मजदूरी का भुगतान नियमित समय पर नहीं किया जारहा हो;
- जॉब कार्ड में फर्जी इंट्री की जा रही हो, यानि योजना का नाम, हाजिरी आदि गलत भरी जारही हो; अथवा
- मनरेगा के किसी अधिकार का हनन होता है तो मजदूर नीचे दिए गए पते पर शिकायत कर सकते हैं।

किसी भी तरह की नरेगा सम्बन्धित शिकायत के लिए
अपने पंचायत अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी से सीधा सपर्क करें
नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर से सम्पर्क करें।
1800111555, 18003134242 NREGA Cell: 7369018090

- प्रशासन को शिकायत करने पर सात दिनों के अन्दर कार्यवाही करनी होगी।
- मनरेगा के किसी भी अधिकार का उलंघन करने वाले व्यक्ति पर नरेगा अधिनयम के धारा 25 के तहत 1000.00 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया निचे दिए गए फ्लो चार्ट से समझते है -

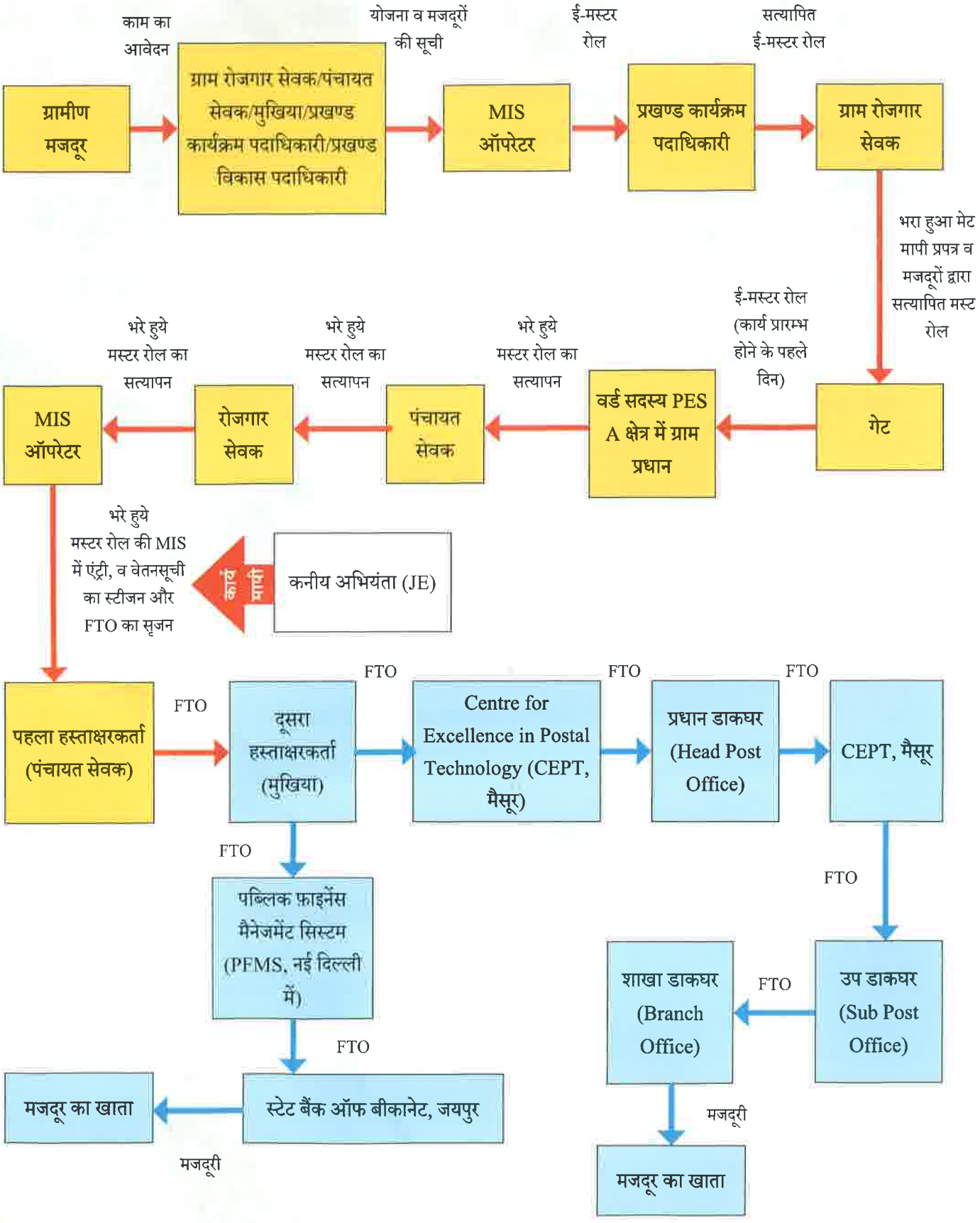

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

योजना का संक्षिप्त विवरण

इस योजना का उद्देश्य वैसे परिवार जिनके पास घर नहीं है या जिनके पास कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घर है, उन परिवारों को सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराना।

पात्रता

सामाजिक-आर्थिक की जातीय जनगणना 2011 में चिन्हित कमजोर / अतिसंवेदनशील परिवार प्राथमिकता आधार इस प्रकार है

1. अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवार या अन्य जिनके पास घर न हो या कमरों की संख्या (निम्नलिखित 0.1 और 2 इस क्रम में)।
2. ऊपर वर्णित कमजोर वर्गों के अंतर्गत आश्रय विहीन परिवारों बेसहारा झुग्गी बस्तियों में रहने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, विशिष्ट जनजाति समूहों और कानूनी रूप से मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है।

अ - उप-समूहों के अंदर पहचान की गई प्राथमिकता अंक गणना के आधार पर दी जाती है जिसमें निम्नलिखित मानदंड शामिल है-

- जिन परिवारों में 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं हो।
- महिला प्रधान परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है।
- जिन परिवारों में 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई साक्षर वयस्क नहीं हो।
- किसी भी दिव्यांग सदस्य वाला परिवार जिनमें कोई और सक्षम वयस्क सदस्य नहीं हो।
- भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा मजदूरी /शारीरिक श्रम से प्राप्त करते हैं।

यदि एक ही उप-श्रेणी के एक से अधिक परिवारों का अंक गणन समान है, तो प्राथमिकता सूची के सत्यापन के समय ग्रामसभा (स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली इकाई) निम्नलिखित प्राथमिकता मानदंड के आधार पर परिवारों की श्रेणी तय करती है

- युद्ध कार्रवाई में मारे गए रक्षा /अर्धसैनिक/ पुलिस बलों के सदस्यों की विधवाओं और संबंधी निकट परिजनों के परिवार
- ऐसे परिवार जिनमें कोई सदस्य कुष्ठ, कैंसर से पीड़ित है या एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति है
- एकल बालिका वाले परिवार
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के लाभार्थी परिवार
- ट्रांसजेंडर/किन्नरों / विपरीत लिंगी

नोट:- ग्रामसभा / स्थानीय स्वशासन का निम्नतम स्तर ग्रामसभासंकल्प में एक अलग सूची दर्ज कर सकता है जिसमें उन परिवारों के नाम शामिल हैं जो व्यवस्था द्वारा बनाई गई सूची में शामिल नहीं है, लेकिन सिद्धान्तः इसके लिए अर्हता रखते हैं।

वैधानिक अधिकार/सरकार समर्थित अनुदान

- एक स्वच्छ खाना पकाने की जगह के साथ 25 वर्ग मीटर के घर निर्माण के लिए सहायता। आई ए पी में 1,20,000/- रु. की एकल सहायता राशि और पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और एकीकृत कार्य योजना वाले को जिलो में 1,30,000/-रु.की एकल सहायता राशि का प्रावधान है।

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में 90-95 श्रम दिवसों तक कार्यरत अकुशल (आईएपी 95 गैर-आईएपी 90 दिन)।
- यदि योग्य व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसे एक वित्तीय संस्थान से 70,000/- रुपये तक का ऋण लेने की सुविधा दी जाएगी।

नोट :- शौचालयों के निर्माण के लिए सहायता राशि (12000/- रुपये) स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, मनरेगा या वित्तपोषण के अन्य संबंधित स्रोतों के साथ कार्य प्रगति के माध्यम से प्राप्त की जानी है। पाइप से जलापूर्ति, बिजली और एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ अभिसारित किया जाता है।

आवेदन कहाँ जमा करें

स्वचालित व्यवस्था जनित प्राथमिकता सूची तैयार की जाती है जिसे ग्रामसभा (स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली इकाई) द्वारा सत्यापित किया जाता है।

आवेदन जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आवेदन पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाता का पासबुक
- सहमति प्रपत्र (https://pmayg-nic-in/netiay/Document/PMAYG-Registratio-Manual-pdf)
- बीपीएल कार्ड /नंबर
- भू-स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज

संस्था के द्वारा कार्यान्वित/परिपालित

समाज कल्याण विभाग,झारखण्ड सरकार

अधिक जानकारी के लिए देखें

योजना की अधिक जानकारी के लिए भारत सरकार की वेबसाइट देखें:

https://pmayg-nic-in/netiay/home-aspx

सिद्धू कान्हू आवास योजना

योजना का संक्षिप्त विवरण

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

पात्रता

ग्रामसभा के द्वारा लाभार्थियों की पहचान की जाती है। पहचाने गए लाभार्थियों को अन्य किसी सरकारी आवास योजना के तहत सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। योजना के लिए चयनित गांवों के लिए आवश्यक शर्त -

- 50 से अधिक परिवार हो और 200 से अधिक की आबादी होनी चाहिए
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से अधिक हो

वैधानिक अधिकार/सरकार समर्थित अनुदान

मकान निर्माण के लिए 45,000/- रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान।

आवेदन कहां जमा करें

प्रखंड कार्यालय / डीआरडीए।

आवेदन जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आवेदन पत्र
- आधार कार्ड
- मूलवासी प्रमाणपत्र
- बीपीएल कार्ड /नंबर
- जाति प्रमाण-पत्र

संस्था के द्वारा कार्यान्वित/परिपालित

ग्रामीण विकास विभाग, प्रखंड विकास कार्यालय झारखण्ड सरकार एवं ग्राम पंचायत

झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना

श्रमिक पंजीकरण

कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी श्रम शक्ति से रोजगार प्राप्त करके अपना जीवन यापन करता है तो वह एक मजदूर है। मजदूर अपना श्रम मुख्यत दो क्षेत्र में देते है।

क) संगठित क्षेत्र ख) असंगठिट क्षेत्र

असंगठित श्रमिक को "असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत परिभाषित किया गया है, असंगठित क्षेत्र में घरलू आधारित श्रमिक, स्वरोजगार या दैनिक मजदूरी श्रमिक के रूप में और इसमें संगठित क्षेत्र में एक श्रमिक शामिल है। अधिनियम की अनुसूची-द्वितीय में उल्लिखित अधिनियमों अर्थात कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 (1923 का 3), औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 (1948 का 34), कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का 19), मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (1961 का 53) और उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 (1972 का 39)।

संगठित श्रमिक, कंपनी प्रबंधन के साथ सामूहिक श्रम शक्ति के माध्यम से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और काम करने की स्थिति में सुधार करने के लिए एक एकल, प्रतिनिधि इकाई के रूप में एकजुट श्रमिकों का एक संघ है।

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को पंजीकरण करने के लिए , तीन तरह की योजना लायी गयी है जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए योजना लायी गयी है।

क) झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना

असंगठित कर्मकार :- 18 से 59 वर्ष आयु तक के स्वनियोजित कर्मकार जो ढ़ाई एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि धारित करते हों, या भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधन नहीं होने वाले नियोजनों में मजदूरी कर्मकार जिसकी मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से बहुत अधिक नहीं हो।

निबंधन :- निःशुल्क।

लाभकारी योजनायें

1. **झारखण्ड असंगठित कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना :-** निबंधित असंगठित कर्मकार जिनकी 18-60 वर्ष की आयु में झारखण्ड राज्य में सामान्य मृत्यु होने पर 50,000 (पचास हजार रूपये) एवं दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में 1,00,000/- (एक लाख रूपये) का सहायता अनुदान आश्रित को दिया जाएगा। यह योजना 25.01.2021 से लागू होगी।
2. **अंत्येष्टि सहायता योजना :-** निबंधित कर्मकारां के सामान्य मृत्यु (60 वर्ष की आयु तक) होने की स्थिति में आश्रित को 15,000 रुपये एवं कार्य के दौरान दुर्घटना एवं व्यवसायजनित रोग से मृत्यु हो जाने पर 25,000 रुपये दिया जायेगा। आवेदन के साथ निबंधन प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में FIR/Post Mortem Report की प्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
3. **असंगठित कर्मकारां के बच्चां के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना :-**

क्र. सं.	कक्षावार विवरण	वार्षिक छात्रवृति	
		छात्र	छात्रा
1.	1ली से 4थी तक	250 रुपये	250 रुपये
2.	5वीं से 8वीं तक	500 रुपये	950 रुपये
3.	9वीं	700 रुपये	1100 रुपये
4.	10वीं	1400 रुपये	1800 रुपये
5.	11वीं से 12वीं तक	3000 रुपये	3400 रुपये
6.	उच्च शिक्षा गैर तकनीकी एवं गैर व्यवसायिक पाठ्यक्रम	4000 रुपये	4000 रुपये
7.	इंजीनियरिंग तथा मेडिकल में अध्ययनरत	8000 रुपये	8000 रुपये

4. **कौशल उन्नयन योजना :-** निबंधित असंगठित कर्मकार स्वयं या उनके दो पुत्र/पुत्री के इच्छा एवं योग्यता के अनुसार कौशल उन्नयन हेतु चयनित सदस्यां को झारखण्ड कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण।

5. **चिकित्सा सहायता योजना :-** निबंधित महिला असंगठित कर्मकारां के प्रथम दो प्रसूतियां के लिए प्रति प्रसूति 15,000 रुपये की दर से भुगतान किया जायेगा।

निबंधन पदाधिकारी

अंचल में श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी एवं जिलें में श्रम अधीक्षक। आवेदन विहित प्रपत्र में आधार कार्ड, बैंक खाता, नोमिनी का आधार कार्ड की छायाप्रति तथा 02 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जमा करेंगे। आवेदन का प्रपत्र संबंधित पदाधिकारी से प्राप्त करें या online निबंधन shramadhan.jharkhand.gov.in साइट पर करें। लाभ के लिए आवेदन सभी कागजात के साथ अंचल के श्रम प्रर्वत्तन पदाधिकारी के पास जमा करें।

ख) भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्य में संलग्न निम्नांकित श्रेणी के श्रमिक सदस्य होंगे।

पत्थर काटने, तोड़ने व पिसने वाला, राजमिस्त्री या ईंटों पर रद्दा करने वाले, पुताई करने वाले, बढ़ई, फिटर या बार बेंडर, सड़क के पाईप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मेकेनिक कुआं खोदने वाले, वेल्डिंग करने वाले, मुख्य मजदूर, मिक्सर मैन, लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले, कुंए से तलछट हटाने वाले, हथौड़ा चलाने वाले, छप्पर डालने वाले, मिस्त्री, लोहार, लकड़ी चीरने वाले, कॉलकर, मिश्रण करने वाले, पम्प ऑपरेटर, मिक्सर चलाने वाले, रोलर चलाने वाले, बड़े यांत्रिक कार्य जैसे-मशीनरी, पुल का कार्य आदि में लगे खलासी, चौकीदार, मोजाईक पॉलिस करने वाले, सुरंग कर्मकार, संगमरमर/कड़प्पा पत्थर कर्मकार, सड़क कर्मकार चट्टान तोड़ने वाले, सन्निर्माण कार्य में जुड़े मिट्टी कार्य करने वाले, चूना बनाने की प्रक्रिया में लगा कर्मकार, बाढ़ नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार, बांध, पूल, सड़क या किसी भवन सन्निर्माण संक्रिया के नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार, पंडाल सन्निर्माण में लगे कर्मकार, सिवरेज कार्य, विद्युत कार्य (वायरिंग, वितरण एवं पैनल फिक्सिग इत्यादि सहित), अग्निशमन प्रणाली का स्थापन एवं मरम्मती, कुलिंग तथा हीटिंग प्रणाली का स्थापन एवं मरम्मती, लिफ्ट एस्केलेटर इत्यादि का स्थापन एवं मरम्मती, सुरक्षा द्वारा, उपकरण इत्यादि स्थापन एवं मरम्मती कार्य, लोहा/धातु के ग्रिल, खिड़की, दरवाजे इत्यादि बनाना तथा उसका स्थापन, जल संरक्षण संरचना का निर्माण एवं मरम्मती, अंदरूनी कार्य यथा कारपेंटिंग, फॉल्स सीलिंग, लाईटिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस इत्यादि, ग्लास पैनेल्स की कटाई, ग्लेजिंग तथा स्थापन, सौर पैनेल सहित अन्य उर्जा संरक्षण यंत्र/सयंत्र का अधिष्ठापन, रसोई घर सहित अन्य

स्थानों में प्रयोग होने वाले मोड्यूलर का ईकाईयों का अधिष्ठापन, फ्री-फैब्रीकेटेड कंक्रीट मोड्यूलर का निर्माण तथा अधिष्ठापन, खेल/मनोरंजन सुविधाओं (तरण ताल, गोल्फकोर्स इत्यादि सहित) का निर्माण, संकेत चिन्ह, सड़क उपस्कर, बस पड़ाव, डिपो, स्टैण्ड, संकेत प्रणाली इत्यादि का निर्माण/इंटेक्शन, रोटरी का निर्माण, फाउण्टेन का अधिष्ठापन इत्यादि, पब्लिक पार्क, वाकिंग ट्रैक, लैंड स्केपिंक इत्यादि का निर्माण।

बोर्ड का सदस्य होने की अहर्ता एवं प्रक्रिया

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में 90 दिन कार्य किया हो।
- निर्माण श्रमिक 18 से 60 वर्ष के आयुवर्ग का हो।
- निर्माण श्रमिकों का निबंधन पदाधिकारी : श्रम अधीक्षक/श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी
- वर्तमान में श्रम विभाग के https://shramadhan.jharkhand.gov.in Portal पर श्रमिकों के निबंधन हेतु Online व्यवस्था उपलब्ध है।
- श्रमदान Portal पर Online निबंधन कराते समय निर्माण श्रमिकों को प्रथम बार 10 रूपये निबंधन शुल्क तथा 100 रूपये वार्षिक अंशदान यानि कुल 110 रूपये Net Banking/Debit Card के माध्यम से जमा करना है एवं बोर्ड के सदस्य बने रहने के लिए लाभुक को प्रत्येक वर्ष 100 रूपये वार्षिक अंशदान जमा करना अनिवार्य है।
- Online निबंधन कराने हेतु आवश्यक कागजात यथा-एक पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, नोमिनी के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं नियोजक द्वारा निर्गत नियोजन प्रमाण-पत्र अपलोड करना है।

झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत निबंधित श्रमिकों के लिए लाभकारी योजनाएँ

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	योजना का लाभ
1	श्रमिक औजार सहायता योजना (स्वीकृति पदाधिकारी उप-श्रमायुक्त)	• आयु 18 वर्ष से अधिक • निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेन्टर, कुली, पेन्टर इत्यादि ट्रेड के लाभुकों को योजना का लाभ देय होगा। • लाभुक द्वारा किसी अन्य ट्रेड के लिए औजार-किट प्राप्त नहीं किया गया हो। • निबंधन के तीन माह के उपरांत।	• पात्रता के अनुरूप संबंधित ट्रेड के औजार किट क्रय करने हेतु 3,000 रूपये तक की सहायता राशि उनके बैंक खाते में Direct Cash Transfer किया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत लाभुक के द्वारा राशि प्राप्त होने के 3 माह के भीतर सामग्री क्रय कर रसीद संबंधित श्रम कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>योजना का नाम</th><th>पात्रता</th><th>योजना का लाभ</th></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">साईकिल सहायता योजना (स्वीकृति पदाधिकारी उप-श्रमायुक्त)</td><td>• महिला लाभुकों के द्वारा सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ नहीं लिया हो।</td><td rowspan="3">• पात्रता के अनुरूप साईकिल क्रय हेतु 5,000 रूपये तक की सहायता राशि उनके बैंक खाते में Direct Cash Transfer किया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत लाभुक के द्वारा राशि प्राप्त होने के 3 माह के भीतर सामग्री क्रय कर रसीद संबंधित श्रम कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।</td></tr>
<tr><td>• एक वर्ष से बोर्ड के सदस्य रहे हों एवं उन्होंने अगले एक वर्ष का अंशदान जमा किया हो।</td></tr>
<tr><td>• अन्य किसी योजना से साईकिल प्राप्त नहीं किया हो।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>समेकित आम आदमी बीमा योजना (स्वीकृति पदाधिकारी श्रम अधीक्षक)</td><td>• निबंधित लाभुक</td><td>• इस योजनान्तर्गत सदस्य/लाभुक के मृत्यु, दुर्घटना एवं अन्य आकस्मिकताओं की स्थिति में 4 लाख रूपये तक का देय लाभ तथा इसके अंतर्गत "शिक्षा सहयोग योजना" के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत बच्चों के लिए छात्रवृत्ति।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना (स्वीकृति पदाधिकारी श्रम अधीक्षक)</td><td>• निबंधित लाभुक</td><td>सभी 18-60 वर्ष के निबंधित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु।
योजनान्तर्गत देय लाभ :
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>विवरणी</th><th>देय लाभ</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कामगार की कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु</td><td>रू 5,00,000 का अनुदान।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>दुर्घटना में पूर्ण अपंगता</td><td>रू 3,00,000 का अनुदान।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>दुर्घटना में आंशिक अपंगता</td><td>रू 2,00,000 का अनुदान।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>सामान्य मृत्यु</td><td>रू 1,00,000 का अनुदान।</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>योजना का नाम</th><th>पात्रता</th><th colspan="3">योजना का लाभ</th></tr>
<tr><td rowspan="4">5</td><td rowspan="4">मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना (स्वीकृति पदाधिकारी श्रम अधीक्षक)</td><td>• लाभुकों के दो मेधावी संतानों के लिए।</td><td>क्र.</td><td>कक्षावार विवरण</td><td>सभी छात्र एवं छात्रा</td></tr>
<tr><td rowspan="3">• कक्षा 1 से 5वीं तक को छोड़कर कोई भी परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या 45% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो या किसी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश किया हो।</td><td>1</td><td>कक्षा 1 से 8वीं तक</td><td>5,000/</td></tr>
<tr><td>2</td><td>कक्षा 9 से 12वीं तथा इण्टर स्तरीय या समकक्ष पाठ्यक्रम के लिये</td><td>10,000/</td></tr>
<tr><td>3</td><td>स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय या समकक्ष पाठ्यक्रम के लिये (डिप्लोमा सहित) (इंजीनियरिंग तथा मेडिकल छोड़कर)।</td><td>20,000/</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>इंजीनियरिंग तथा मेडिकल स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स</td><td>50,000/</td></tr>
<tr><td>6</td><td>चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना (स्वीकृति पदाधिकारी उप-श्रमायुक्त)</td><td>• गंभीर बीमारी यथा कैंसर, हृदय रोग (शल्यक्रिया सहित), गुर्दा रोग (शल्यक्रिया सहित), असाध्य मानसिक रोग (शल्यक्रिया सहित), एड्स, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, स्पाईनल सर्जरी, मेजर वेस्कुलर डिजीज, बोन मैरो ट्रांसप्लान्ट, लीवर ट्रांसप्लान्ट, हेपाटोमा, एडवांस सिरोसिस ऑफ लीवर, रेटीनल डिटाचमेंट, प्रोलिफरेटिव डाईबेटिक रेटिनोपैथी, रेटीनल आर्टरी ऑक्लूजन, ईल्स डिजीज, मैकुलर होल से पीड़ित हों।
• जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा के उपरांत योजनान्तर्गत लाभ देय होगें।</td><td colspan="3">• एक बीमारी हेतु लाभुकों को एक ही बार योजना का लाभ।
• स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर रोगों की सूची, चिकित्सीय व्यय की अधिकतम अधिसीमा तथा सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची में किये गये संशोधन/परिमार्जन Mutatis Mutandis इस योजना के प्रयोजनार्थ लागू माने जायेंगे।
• वर्तमान में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा रूपये दो लाख, पचास हजार निर्धारित है।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	योजना का लाभ
7	चिकित्सा सहायता योजना (स्वीकृति पदाधिकारी श्रम अधीक्षक)	• पाँच या उससे अधिक कार्यदिवसों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर।	• अकुशल श्रेणी के श्रमिक हेतु विहित दर पर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान। • अधिकतम 40 कार्यदिवस के समतल्य भुगतान।
8	मातृत्व प्रसुविधा योजना (स्वीकृति पदाधिकारी श्रम अधीक्षक)	• प्रथम दो प्रसुतियों के लिए।	• 15,000 रूपये की सहायता।
9	अंत्येष्टि सहायता योजना (स्वीकृति पदाधिकारी श्रम अधीक्षक)	• निबंधित लाभुक	• मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु मृतक सदस्य के नामित व्यक्तियों/आश्रितों को 10,000 रूपये का भुगतान।
10	विवाह सहायता योजना (स्वीकृति पदाधिकारी श्रम अधीक्षक)	• तीन वर्षों तक लगातार अंशदान करने पर	• दो संतानों/महिला सदस्य के विवाह हेतु 30,000 रूपये की सहायता।
11	पेंशन योजना (स्वीकृति पदाधिकारी उप-श्रमायुक्त)	• तीन वर्षों तक बोर्ड में अंशदान किया हो। • 60 वर्ष की समाप्ति पर।	1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में।
12	निःशक्तता पेंशन (स्वीकृति पदाधिकारी उप-श्रमायुक्त)	• वैसे लाभुक जो कि पक्षाघात, कुष्ठ, यक्ष्मा, दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अशक्त हो।	• निःशक्तता पेंशन 1,000 रूपये प्रतिमाह • अनुग्रह राशि 10,000 रूपये एकमुश्त भुगतान।
13	पारिवारिक पेंशन योजना (स्वीकृति पदाधिकारी उप-श्रमायुक्त)	• पेंशन भोगी की मृत्यु की अवस्था में परिवार के सदस्यों को।	• पेंशन का 50% या 500 रूपये अधिकतम का भुगतान।
14	अनाथ पेंशन (स्वीकृति पदाधिकारी उप-श्रमायुक्त)	• लाभूक/ पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद	• पेंशनभोगी के मृत्यु होने पर अनाथ पेंशन, परिवार पेंशन जैसे दर से देय होगा व 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच समान रूप से विभाजित होगा।

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	योजना का लाभ
15	निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना (स्वीकृति पदाधिकारी श्रम अधीक्षक)	• निबंधित लाभुक	• योजनान्तर्गत बोर्ड के अहर्ता प्राप्त निबंधित लाभुकों/सदस्यों को एक ब्राण्डेड हेलमेट तथा एक जोड़ी सेफ्टी जूते क्रय करने हेतु 1,000 रूपये की सहायता राशि उनके बैंक खाते में Direct Cash Transfer किया जायेगा।
16	शर्ट-पैन्ट/ साड़ी योजना (स्वीकृति पदाधिकारी श्रम अधीक्षक)	• निबंधित लाभुक	• इसके अन्तर्गत प्रत्येक निबंधित पुरूष कामगार को एक शर्ट एवं एक पैन्ट का कपड़ा तथा प्रत्येक निबंधित महिला कामगार को एक साड़ी देय होगी, जिसकी अधिकतम राशि रू0 600 (छ: सौ रूपये) मात्र होगी।

अन्यान्य

- योजना का लाभ हेतु आवेदन की प्रक्रिया shramadhan Portal पर Online है।
- योजना के संबंध में कोई भी विसंगति होने पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

अधिक जानकारी के लिए

- स्थानीय श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी / जिला में पदस्थापित श्रम अधीक्षक / सहायक श्रमायुक्त / उप श्रमायुक्त का कार्यालय से संपर्क करें।
- Toll Free no. 18003456526

नियोजन का प्रमाण पत्र

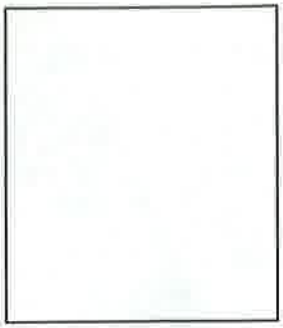

प्राणित किया जाता है कि श्री /श्रीमति/सुश्री ..... पिता/पति .....
..... ग्राम ..... पोस्ट .....
..... थाना ..... प्रखण्ड ..... जिला रांची मेरे नियोजन/ प्रतिष्ठान निर्माण कार्य/ मनरेगा कार्य में
विगत .....

दिनों/माह/वर्षों से मजदेरी का कार्य करते हैं। मैं इन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और ये प्रतिष्ठान में कार्य करते हैं।

आवेदक/ अवेदिका का
हस्ताक्षर /अंगुठे का निशान
आवेदक/अवेदिका का

नियोजक /ठेकेदार/निबंधित
श्रमिकसंघ का हस्ताक्षर एंव मुहर

मोबाईल नं०..... मोबाईल नं० .....

निबंधन के समय साथ में जमा करें :

1. आवेदक का आधार कार्ड की छायाप्रति
2. आवेदक का बैंक पास बुक की छायाप्रति
3. आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो
4. नोमिनी का आधारकार्ड की छायाप्रति
5. 110/- रू० का बैंक रसीद (100/-रू० प्रथम वार्षिक अंशदाय 10/- रू० निबंधन शुल्क) का झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण निधि में जमा करें।

   Online आवेदन करने हेतु www.sharmadhan.jharkhand.gov.in में log in करें।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों का निबंधन
ई-श्रम पोर्टल

असंगठित श्रमिक

निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, खेतीहर मजदूर, घरेलु कामगार, मछुआरा, ईट भट्ठा/क्रेसर में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा मजदूर, धोबी, दर्जी, मोची, नाई, बुनकर, परिवहन में लगे मजदूर, सफाई कामगार, खुदरा सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, फूल विक्रेता, दुकानों में काम करने वाले मजदूर, चरवाहे, दूध दुहने वाले, समाचार पत्र बांटने वाले, ठेका मजदूर, लकड़हारे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, मोटिया मजदूर, लादने-उतारने वाले मजदूर, पशुपालन मजदूर, आशा एवं आंगनबाड़ी कर्मी, राष्ट्रीय ग्रमीण आजीविका मिशन/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वंय सहायता समूह के सदस्य, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा/टेम्पो चालक, मिड-डे-मिल कर्मी, स्वंनियोजित कामगार, फेरी वाले इत्यादि।

निबंधन हेतु पात्रता

1. उम्र 16-59 वर्ष के बीच हो।
2. आयकरदाता न हो।
3. ईपीएफओ/ईएसआईसी का सदस्य न हो।
4. असंगठित श्रमिक श्रेणियों में कार्यरत हो।

निबंधन हेतु आवश्यक

1. आधार संख्या।
2. आधार से जुड़ा एक्टिव मोबाईल नम्बर।
3. आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक खाता नम्बर।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक अगर किसी भी श्रमिक के पास उसका आधार लिंक मोबाईल नम्बर नहीं है तो वह अपने नजदीकी सीएससी कार्यालय में बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या आधार लिंक मोबाईल नम्बर होने पर मे.तंउण्हवअण्पद पर जाकर अपनाै मसि रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते है।

ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लाभ

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बाद, असंगठित कामगारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत् दो लाख का दुर्घटना बीमा से आच्छादित किया जायेगा।
- भविष्य में निबंधित कामगारों को सभी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे।
- यह कार्ड पूरे देश में मान्य होगी तथा असंगठित कामगारों को पहचान मिलेगी।
- आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में, पात्र असंगठित कामगारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जायेगा।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ई-श्रम पोर्टल में असंगठित क्षेत्रा के कामगारों का निबंधन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑगेनाईज्ड वर्कर्स (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार किया जा रहा है। इस हेतु ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों का निबंधन सीएससी (प्रज्ञा केन्द्र) के माध्यम से e-shram.gov.in में निबंधन कराया जा सकता है। पंजीकरण निःशुल्क है।

प्रवासी मजदूरों/दूसरे राज्य में काम करने जाने वाले मजदूरों हेतु महत्वपूर्ण सूचना।

- किसी एजेन्ट/ सरदार/ ठेकेदार आदि के माध्यम से दूसरे राज्य में काम कने हेतु जाने वाले मजदूरों (प्रवासी मजदूर) को उसी दिन से मजदूरी देय है, जिस दिन काम पर ले जाने हेतु समझौता/करार हुआ हो।
- प्रवासी मजदूरों को विस्थापन भत्ता के रूप में आधा महीना के मजदूरी के बराबर राशि संबंधित संवेदक / एजेन्ट द्वारा भुगतान किया जाना है, जो मजदूरी के अतिरिक्त होगा।
- आने-जाने का किराया तथा यात्रा में व्यतीत हुए समय का भी मजदूरी संबंधित सवेदक / एजेन्ट या मुख्य नियोजक को करना है।
- मजदूरी भुगतान एवं अन्य भत्ता का भुगतान कनरे का प्रथम दायितव संबंधित ठेकेदार का है, उसके उपरांत मुख्य नियोजिक का है।
- दूसरे राजय में काम करने हेतु ले जाने वाले ठेकेदारों को पचायत सचिव से लाईसेंस प्राप्त करना है तथा भर्ती किए गए मजदूरों का निबंधन भी पंचायत सचिव के पास करना है।
- ठेकेदार/ऐजेन्ट के माध्यम से जाने वाले मजदूरों को निःशुलक हरा रंग में परियच पत्र पंचायत सविच द्वारा निर्गत किया जाता है।
- अपनी इच्छा से बिना किसी एजेन्ट के माध्यम से दूसरे राज्य में काम करने हेतु जाने वाले मजदूरों को निबंधन कराकर निःशुल्क लाल रंग में परिचय-पत्र पंचायत सविच द्वारा जारी किया जाना है।
- पंचायत सचिव के पास निबंधन कराकर जाने वाले मजदूरों को झारखंड सरकार के निम्नलिखित योजना से आच्छादित किया जाता है:

परिचय - पत्र प्राप्त करने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए		अपंजीकृत (बिना परिचय-पत्र वाले) प्रवासी मजदूरों के लिए		योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी
स्थिति	लाभुकों को देय	स्थिति	लाभुकों को देय	
प्रवासी मजदूर की मृत्यु या स्थायी पूर्ण अशक्त होने पर	1,50,000 रू. आश्रिता/ लाभुकों को भुगतान	प्रवासी मजदूर की मृत्यु या स्थायी पूर्ण अशक्त होने पर	1,00,000 रू. आश्रिता/ लाभुकों को भुगतान	उपायुक्त
दुर्घटना में दो अंग या दोनो आंख या अंग की हानि होने पर	1,50,000 रू. लाभुकों को भुगतान	दुर्घटना में दो अंग या दोनो आंख या अंग की हानि होने पर	1,00,000 रू. लाभुकों को भुगतान	उपायुक्त
दुर्घटना मे एक अंग या एक आंख की हानि होन पर	75,000 रू. लाभुकों को भुगतान	दुर्घटना मे एक अंग या एक आंख की हानि होन पर	50,000 रू. लाभुकों को भुगतान	उपायुक्त
दुर्घटना/ प्राकृतिक आपदा में मजदूर की मृत्यु होने/ अशक्त होने पर	दूसरे राज्य से कर्मकार/ आश्रित परिवार को पैतृक आवास तक पहुंचाने का सम्पूर्ण व्यय	दुर्घटना/ प्राकृतिक आपदा में मजदूर की मृत्यु होने/ अशक्त होने पर	दूसरे राज्य से कर्मकार/ आश्रित परिवार को पैतृक आवास तक पहुंचाने का सम्पूर्ण व्यय	उपायुक्त

- दुसरे राज्य में काम पर जाने के पूर्व पंचायत सचिव के पास निबंधन कराकर तथा परिचय पत्र प्राप्त कर झारखण्ड सरकार की इस योजना से स्वयं को आच्छादित कराएँ।
- किसी भी तरह की अन्य जानकारी हेतु संबंधित पंचायत सविच /श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक से संपर्क किया जा सकता है।

निवेदक : श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

इदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

• उद्देश्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 के आलोक में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे असहाय वृद्ध व्यक्तियों, जिनके पास उनकी खुद की आय भरण-पोषण के लायक नहीं है, उन्हें लक्षित किया गया है।

• लाभार्थी हेतु पात्रता

- आवेदक (पुरूष अथवा स्त्री) की उम्र 60 वर्ष अथवा इससे अधिक हो।
- आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार की सूची में होना चाहिए।
- परिवार के पास कंडिका-2.5 में वर्णित 14 बहिष्कार मानदंडों (संलग्न) में से कोई नहीं हो। आवेदक को इससे संबंधित घोषणा पत्र विहित प्रपत्र में देना अनिवार्य होगा।
- वैसे लाभुक जिन्हें किसी दूसरा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नही प्राप्त हो रहे है.

• आवेदन प्रक्रिया

आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी के कार्यालय में विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी आवश्यक होंगी।

- झारखण्ड राज्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार की सूची में सम्मिलित होने संबंधी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
- **मतदाता पहचान पत्र** की छायाप्रति।
- **आधार कार्ड** की छायाप्रति अथवा आधार कार्ड नहीं होने पर इस आशय का स्वघोषणा पत्र।
- **बैंक खाता** का पासबुक की छायाप्रति।
- **कंडिका-2.5** का घोषणा पत्र।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

• उद्देश्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 के आलोक में 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे असहाय विधवाओं, जिनके पास उनकी खुद की आय भरण-पोषण के लायक नहीं है या भरण पोषण के लिए काफी कम पड़ती है या उनके परिवार के सदस्यों या अन्य श्रोतों से काफी कम वित्तीय सहायता मिलती है, को लक्षित किया गया है। इसी वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना है।

• लाभार्थी हेतु पात्रता

- आवेदक (विधवा स्त्री) की उम्र 40 वर्ष अथवा इससे अधिक हो।

- आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार की सूची में होना चाहिए।
- परिवार के पास कंडिका-2.5 में वर्णित 14 बहिष्कार मानदंडों में से कोई नहीं हो। आवेदक को इससे संबंधित घोषणा पत्र विहित प्रपत्र में देना अनिवार्य होगा।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभुकों को किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ देय नहीं होगा।

• आवेदन प्रक्रिया

आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी के कार्यालय में विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी आवश्यक होंगी :

- झारखण्ड राज्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार की सूची में सम्मिलित होने संबंधी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
- **मतदाता पहचान** पत्र की छायाप्रति।
- **आधार कार्ड** की छायाप्रति अथवा आधार कार्ड नहीं होने पर इस आशय का स्वघोषणा पत्र।
- आवेदक के पति का **मृत्यु प्रमाण-पत्र** की छायाप्रति।
- पारिवारिक **सदस्यता प्रमाण-पत्र** की छायाप्रति।
- बैंक खाता का पासबुक की छायाप्रति।
- कडिका-2.5 का घोषणा पत्र।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना

• उद्देश्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 के आलोक में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे असहाय दिव्यांगजनों जिनके पास उनकी खुद की आय भरण-पोषण के लायक नहीं है या भरण पोषण के लिए कांफी कम पड़ती है या उनके परिवार के सदस्यों या अन्य श्रोतों से काफी कम वित्तीय सहायता मिलती है, को लक्षित किया गया है। इसी वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना है।

• लाभार्थी हेतु पात्रता

- आवेदक(पुरूष/स्त्री) की उम्र 18 वर्ष अथवा इससे अधिक हो।
- आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार की सूची में होना चाहिए।
- आवेदक भारत सरकार के मानदंड के अनुसार "suffering from severeor multiple disabiliti" मे हो। कंडिका-IV में "Disability" एवं "Multiple disability" परिभाषित है एवं कंडिका-V में "Severe disability" परिभाषित है।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ देय नहीं होगा।

• आवेदन प्रक्रिया

आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी के कार्यालय में विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करेंगे. जिसके साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी आवश्यक होंगी

- झारखण्ड राज्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार की सूची में सम्मिलित होने संबंधी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।

- **मतदाता पहचान पत्र** की छायाप्रति।
- **आधार कार्ड** की छायाप्रति अथवा आधार कार्ड नहीं होने पर इस आशय का स्वघोषणा पत्र।
- **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र** की छायाप्रति।
- **बैंक खाता** का पासबुक की छायाप्रति।
- **कडिका-2.5** का घोषणा पत्र।

राज्य योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

- मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना
- स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना
- HIV/AIDS पीड़ित वयक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना
- मुक्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना

राज्य योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों के लिए पात्रता निम्नवत्त होगी -

- 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक का मतदाता पहचान पत्र हो।
- आवेदक का आधार कार्ड हो।
- आवेदक स्वयं या पत्नी/पति, केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रुपसे नियोजित / सेवानिवृत्त और पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए।
- आयकर अदा नहीं करने वाले परिवार।
- आवेदक के परिवार से तात्पर्य है पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे।

1) जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन जना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

- जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा है, उन्हें पूर्ववत् योजना का लाभ प्राप्त होता रहेगा तथा वे इस योजना के लाथार्थी के रूप में माने जाएंगे। वर्तमान स्वरूप योजना के लागू होने के पश्चात् स्वीकृत आवेदन / पेंशनधारी पर लागू होगा।

लाभार्थी हेतु अतिरिक्त पात्रता

क्र.स.	योजना का नाम	अतिरिक्त पात्रता
1	मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना	आवेदक (पुरुष अथवा स्त्री) की उम्र 60 वर्ष अथवा इससे अधिक हो।
2	मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना	आवेदक (क) 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की ऐसी महिला, जिनके पति की मृत्यु हो गई हो, (ख) 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की परित्यक्त महिला, (ग) 45 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की एकल महिला हो।

क्र.स.	योजना का नाम	अतिरिक्त पात्रता
3	स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना	• आवेदक (पुरुष/ स्त्री) की उम्र 05 वर्ष अथवा इससे अधिक हो। • आवेदक Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 Section-2 (r) के अनुसार benchmark disability, 379191 Section-2 (s) "person with disability" अथवा Section-2 (t) "person with disability having high support needsR 379191 Section-2 (zc) "specified disability" ant stuft में आता हो
4	HIV/AIDS पिड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना	आवेदक के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। HIV AIDS पीडित व्यक्ति जो जिला एड्स नियंत्रण सोसाईटी से ART (Antiretroviral Therapy) ARD (Antiretroviral Drugs) प्राप्त कर रहे हैं वे लाभ के हकदार होंगे।

आवेदन प्रक्रिया

राज्य योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नवत् होगीआवेदक ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी के कार्यालय में आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी आवश्यक होंगी -

- 18 वर्ष से अधिक आयुके आवेदक की **मतदाता पहचान पत्र** की छायाप्रति ।
- आधारकार्ड की छायाप्रति अथवा आधार कार्ड नहीं होने पर इस आशय का स्वघोषणा पत्र।
- बैंक खाता का पासबुक की छायाप्रति।
- पात्रता संबंधी स्वघोषणापत्र।

उपरोक्त वर्णित प्रमाण-पत्रों के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ भी संलग्न करनी आवश्यक होंगी :-

क	मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना	आयु प्रमाण पत्र संबंधी कोई दस्तावेज
ख	मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना	• 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की ऐसी महिला, जिनके पति की मृत्यु हो गई हो, के संदर्भ में आवेदक की पति का मृत्यु प्रमाणपत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, अथवा • 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु परित्यक्त महिला, 45 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की एकल महिला के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया एवं पंचायत सचिव तथा शहरी/ नगरीय क्षेत्र के लिए वार्ड पार्षद एवं राजस्व उपनिरीक्षक का संयुक्त प्रमाण पत्र, अथवा माननीय विधायक / सांसद, अथवा किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र / अनुशंसा।

क	मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना	आयु प्रमाण पत्र संबंधी कोई दस्तावेज
ग	स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना	• दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। • आवेदक का आयु प्रमाण पत्र (18 वर्ष से कम उम्र होने पर जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल अथवा कॉलेज से प्रधानचार्य / प्रिन्सिपल का हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र)।
घ	HIV/AIDS पीड़ित वयक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना	• आवेदक के लिए कोई आयुसीमा नहीं होगी। ART (Antiretroviral Therapy)/ ARD (Antiretroviral Drugs) प्राप्त करने संबंधी चिकित्सा प्रमाण-पत्र।

मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना

उद्देश्य: राज्य में निवास करने वाले आदिम जनजाति परिवारों का उत्थान करना है। यह मूलतः परिवार आधारित पेंशन योजना है। इस योजना के लाभान्वित आदिम जन-जाति समूह (असुर, बिरहोर, बिरजीया, हिल-खरिया, कोरवा, माल पहाडिया, परहिया, सौरिया पहाड़िया, सबर एवं अन्य) के सदस्य होंगे।

पात्रता

- आदिम जनजाति परिवार की वयस्क विवाहित महिला हो। यदि परिवार में कोई वयस्क विवाहित महिला न हो तो वैसे परिस्थिति में परिवार के पुरुष मुखिया के नाम से पेंशन स्वीकृत किया जायेगा।
- सरकारी/निजी/सार्वजनिक क्षेत्र में काम नहीं करते हों।
- अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हों।
- बी. पी. एल. सूचि में नाम और वार्षिक आय की सीमा में छुट।

आवश्यक दस्तावेज

- आदिम जनजाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आधार कार्ड की छायाप्रति
- बैंक खाता की छायाप्रति

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी के कार्यालय में विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित सकेंगे, जिसके साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी आवश्यक होगी:-

- आवेदक का जाति प्रमाण पत्र
- मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति
- पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड अथवा आधार कार्ड नहीं होने पर इस आशय का स्वघोषणा पत्र
- आवेदक का बैंक खाता का छायाप्रति

इस योजना के तहत योग्य लाभुकों को रु. 1000/- (एक हजार रूपये) प्रतिमाह प्रति लाभुक की आर्थिक सहायता बैंक खाते में ABPS/PFMS

'कडिका 2.5 / पात्रता सम्बधित स्वघोषणा पत्र' क्या है?

यह 14 बिन्दुओं का अपवर्जन मानक है, यानी यह 14 बिन्दु में से किसी बिन्दु के तहत आप आते है तो आपको पेंशन का लाभ नही मिलेगा।

आवेदक को निम्न बिन्दुओं के नहीं होने संबंधी घोषणापत्र आवेदन पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा-

- मोटर चलित दो पहिया/तिपहिया /चार पहियों वाले वाहन / मछली पकड़ने वाली नाव धारक परिवार।
- मशीन चलित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण धारक परिवार।
- 50 हजार या उससे अधिक मानक सीमा के किसान क्रेडिट कार्ड धारक परिवार।
- सरकारी सेवकवाले किसी परिवार के सदस्य।
- सरकार के पंजीकृत गैर-कृषि उद्योगवाले परिवार।
- परिवार का कोई भी सदस्य 10,000 रुपये एवं उससे अधिक कमाता है।
- आयकर अदा करने वाले परिवार।
- सेवा कर अदा करने वाले परिवार।
- सभी कमरों की पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरे धारक परिवार। (PMAY-IAY के लाभुकों के लिए लागू नहीं होगी)
- रेफ्रीजिरेटर धारक परिवार।
- लैंडलाइन फोन धारक परिवार।
- कमसे कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ एवं उससे अधिक सिंचित भूमिधारक परिवार।
- दो या उससे अधिक फसल के मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा उससे अधिक सिंचित भूमिधारक परिवार।
- कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 7.5 एकड़ एवं उससे अधिक भूमिधारक परिवार।

• कार्यान्वयन प्रक्रिया

- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अचल अधिकारी पेंशन संबंधी आवेदनों के स्वीकृति पदाधिकारी होंगे।
- ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अचल अधिकारी द्वारा आवेदन NSAP&PPSPortal पर Online अथवा offline (हार्ड कॉपी) प्राप्त किया जायेगा।
- प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों से जाँच करायी जाएगी।
- उनकी अनुशंसा के आधार पर प्रखण्ड / अंचल को आवंटित लक्ष्य के अनुरूप Online स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।
- स्वीकृत करने के पश्चात लाभुकों को सूचित किया जायेगा।
- संबंधित सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा NSAP&PPS Portal पर प्रविष्ट लाभुकों के आधार पर प्रतिमाह कोषागार से राशि की निकासी कर ABPS-PFMS के माध्यम से लाभुक के बैंक खाते में भुगतान की जायेगी। आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा Centralised Payment भी किया जा सकता है।

• लाभुकों का वार्षिक सत्यापन

- इस योजनान्तर्गत सभी लाभुकों का वार्षिक सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा करायी जायेगी।
- विभाग इस संबंध में लाभुक से प्रज्ञा केन्द्र / अन्य माध्यम से निर्गत जीवन प्रमाण-पत्र की मांग कर सकता है।
- लाभार्थी का नाम विलोपित करने की प्रक्रिया
- ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर नाम

विलोपित किया जायेगा।

लाभार्थी का नाम विलोपित किये जाने के निम्न आधार होंगे।

- लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में।
- लाभार्थी अपने पते पर एक वर्ष से अधिक समय से नहीं रह रहा हो।
- चयन के समय जो अर्हत्ता निर्धारित थी, वास्तव में लाभार्थी उसकी अर्हत्ता नहीं रखता हो।
- इस योजना के लाभार्थी, इस योजना के अतिरिक्त अन्य पेंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (पूर्व में राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना), मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना (पूर्व में आदिम जनजाति पेंशन योजना), मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना (पूर्व में राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना), मुख्यमंत्री राज्य HIV/AIDS पीडित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना (पूर्व में HIV/AIDS पीडित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना) एवं स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना में से किसी का भी लाभ ले रहा हो।

• लाभुकों का सामाजिक लेखा परीक्षा

- इस योजनान्तर्गत सभी लाभुकों का सामाजिक लेखा परीक्षा वर्ष में दो बार किया जायेगा।

• शिकायत/अपील की प्रक्रिया

- पेंशन से सम्बंधित किसी भी प्रकार के शिकायत अपील ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी (CO) के पास किया जायगा.
- ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी के पेशन संबंधी किसी भी निर्णय के विरूद्ध, अनुमंडल पदाधिकारी प्रथम अपीलीय पदाधिकारी होंगे।
- वनुमंडल पदाधिकारी के पेंशन संबंधी किसी भी निर्णय के विरूद्ध, जिले के उप विकास आयुक्त, पुनरावलोकन पदाधिकारी होंगे। **प्रथम अपीलीय पदाधिकारी एवं पुनरावलोकन पदाधिकारी पेंशन संबंधी ऐसे प्राप्त आवेदनों का निष्पादन, आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर सुनिश्चित करेंगे।**

मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना/मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना/स्वामी विवेकानन्द नि:शक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन पेंशन /HIV/AIDS पीडित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना हेतू

आवेदन पत्र

खण्ड-क

(आवेदक/आवेदिका द्वारा भरा जायेगा)

1. आवेदक/आवेदिका का नाम.....(आधार के अनुसार)
2. पिता/पति का नाम ...
3. आवेदक/आवेदिका का पूरा पता

   मकान संख्या..... ग्राम ..... मुहल्ला .....

   पंचायत/वार्ड ..... पोस्ट..... प्रखण्ड .....

   थाना..... जिला..... पिन .....
4. लिंग (पुरुष/महिला).....
5. कोटि अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/भूमिहीन/दिव्यांग/सामान्य/अन्य
6. आवेदन पत्र देने की तिथि को उन ..... (वोटर कार्ड एवं आधार के अनुसार)
7. बैंक का नाम .....शाखा..... खाता संख्या.....

   आई0एफ0सी0कोड ..... पास बुक की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

   आधार संख्या. .....(स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करे)
8. आवेदक/आवेदिका का मोबाईल संख्या.....
9. मतदाता पहचान पत्र संख्या..... (स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
10. दिव्यांग रहने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या..... ..... दिव्यांगता का प्रकार (शारीरिक/मानसिक/दृष्टिगत/मूक-बधिर/अन्य), दिव्यांगता प्रतिशत..... प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करे)
11. विधवा रहने पर पति का नृत्यु प्रमाण पत्र संख्या.....(मृत्यु प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करे।
12. परित्यक्त एवं एकल महिला रहने पर ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया एवं पंचायत सचिव तथा शहरी क्षेत्र के लिए वार्ड पार्षद एवं राजस्व उप निरीक्षक का संयुक्त प्रमाण पत्र अथवा माननीय विधायक/सांसद अथवा राज पत्रित पदाधिकारी का अनुशंसा प्रमाण पत्र संलग्न करें।
13. ART / ARD Number (सिर्फ HIV / AIDS पीडित व्यक्तियों के लिए) - .....
14. HIV/AIDS पीडित व्यक्ति का ART/ARD प्राप्त करने संबंधी चिकित्सा प्रमाण - पत्र।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि:

1. स्वयं या पत्नी/पति, केन्द्र एवं राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित/सेवानिवृत और पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करता/करती हूँ।
2. आयकर अदा नहीं करने वाले परिवार से हूँ। परिवार का तात्पर्य पति/पत्नी नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे से है।
3. किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाम पुर्व से प्राप्त नहीं कर रहा/रही है।
4. मैं पेंशन हेतु आधार संख्या उपरोक्त पेंशन योजना में उपयोग हेत, सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

खण्ड-ख

(जांच पदाधिकारी/ग्राम पंचायत/नगर निकाय सदस्य द्वारा भरा जायेगा) पंचायत सचिव/राजस्व कर्मचारी/प्रखण्ड स्तरीय पर्यवेक्षक /अंचल निरीक्षक का जॉचोपरांत अनुशंसा

आवेदक/आवेदिक. .....पिता/पति.....प्रखण्ड..... पंचायत/वार्ड. .....ग्राम ..... वृद्ध/वदा/निराश्रित महिला/ दिव्यांग है जिनकी उम्र ..... वर्ष है। आवेदक/आवेदिका द्वारा दिये गये सभी दस्तावेज, विवरणी एवं घोषणा पत्र की जाँच की गई जो जॉचोपरान्त सही पाया गया।

अतः मैं आवेदक/आवेदिका का मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना/मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना/स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन पेंशन योजना की स्वीकृति/ अस्वीकृति की अनुशंसा करता हूँ। (अस्वीकृति की स्थिति में स्पष्ट कारण का उल्लेख करेंगें .....

जांच पदाधिकारी का हस्ताक्षर

खण्ड-ग

(प्रखण्ड/अंचल कार्यालय द्वारा भरा जायगा)

आवेदक/आवेदिका .....पिता/पति.....की जॉच अधीनस्थ कर्मियों के द्वारा करायी गई। जॉच पदाधिकारी द्वारा आवेदक/आवेदिका को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना/मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना/स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन पेंशन योजना में स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है।

जॉच पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर आवेदक/आवेदिका के आवेदन को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना/मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना/स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन पेंशन योजना के तहत स्वीकृति दी जाती है

I. आवेदक/आवेदिका का आवेदन अस्वीकृत की जाती है।

अस्वीकृति का कारण.....

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी

.....

स्वीकृति के पश्चात लामुक का लेखा संख्या एवं तिथि..... (प्रखण्ड/अंचल कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु

आवेदन पत्र

जिला : बोकारो, **अनुमंडल** ..... **प्रखंड** .....

1. आवेदिका/ दावेदार का नाम : .....
2. आवेदिक के पित क नाम : .....
3. आवेदिक क पुर पता : .....
4. आवेदिक कि जाति : .....
5. दावेदार के बैंक से सम्बंधित विवरणी :

Name of Bank	Bank Branch	IFSC Code
Account Number		

6. आवेदिक का आधार संख्या : .....
7. मृतक का नाम : .....
8. मृत्यु के तिथि : ..... मृत्यु का स्थान : .....
9. मृत्यु की तिथि को मृतक की उम्र : .....
10. दावेदार मृतक का कौन है (सम्बन्ध) : .....
11. मृतक परिवार के मुख्य अर्जनकर्ता थे ? - हां / नहीं
12. परिवार की वार्षिक आय : .....
13. पूर्व में इस योजना के तहत लाभ मिला है या नहीं ?

उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सत्य है। मैं अपने आधार संख्या तथा बैंक विवरणी का उपयोग इस कार्य हेतु किये जाने की सहमती देती हूँ। उपरोक्त सूचनाएं गलत होने की स्थिति में दण्ड का भागी बनूँगी।

.....

दावेदार का हस्ताक्षर/निशान

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम. किसान/PM-KISAN) 1 दिसंबर 2018 को भारत सरकार द्वारा देश के सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को कृषि योग्य भूमि रखने के लिए आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 6000/- रुपये प्रति वर्ष का लाभ जारी किया जाता है। यह भुगतान 2000/- रुपये की तीन किस्तों में किया जाता है, जो मई, अक्टूबर, और जनवरी में होते है।

इस योजना में कौनपात्र है?

सभी परिवार जिनके पास झारखंड के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार कृषि योग्य भूमि है,आवेदन कर सकते हैं।

कौन पात्र नहीं है?

पी.एम. किसान के लिए परिवार का एक ही सदस्य पंजीकरण करा सकता है। यदि परिवार में निम्नलिखित श्रेणियों के एक या अधिक लोग हैं,तो वे इस योजना के लिए अपात्र हैं:

- वर्तमान या पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, जिलापंचायतों के अध्यक्ष, नगर निगमों के महापौर रहचुके
- राज्य/केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सभी वर्तमान/पूर्व कर्मचारी और अधिकारी
- सभी रिटायर्ड पेंशनर जिन्हे मासिक पेंशन में रु.10,000 या अधिक मिलती है
- कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान किया हो

आवेदन की प्रक्रिया

- पी.एम. किसान आवेदन प्रक्रिया की कोई समयसीमा नहीं है। यहपूरे वर्ष में आवेदन स्वीकार करता है। ताकि पंजीकरण सही ढंग से हो, किसान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड से ठीक से जुड़ा हुआ है,और उन्होंने ई-के.वाई.सी. (e-KYC) करवा ली है।
- किसान को पता होना चाहिए कि उनका आधार कार्ड किस बैंक खाते से जुड़ा है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आधार कार्ड • सत्यापित वंशावली • बैंक पासबुक • राशन कार्ड

आवेदन कहाँ जमा करना है?

किसान आवेदन को ब्लॉक/प्रखंड कार्यालय में जमा करना होगा। किसान प्रज्ञा केंद्र या सी.एस.सी. जाकर भी अपना आवेदन जमा कर सकते है।

योजना में स्वयं-पंजीकरण

पी.एम, किसान के लिए खुद को पंजीकृत करने के लिए किसान pmkisan.gov.in पर भी लॉग इन कर सकता है। उनके पासपोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति देखने का विकल्प भी है।

पी.एम. किसान पोर्टल

हमपोर्टल में क्या देख सकते हैं औरवहां क्या कर सकते हैं पी.एम. किसान का एक अश्वनलाइन पोर्टल/वेबसाइट है जहां प्रत्येक पंजीकृत लाभार्थी का भुगतान विवरण देखा जा सकता है। पोर्टल लाभार्थियों को अपने विवरण को संपादित करने और अपने आधार रिकॉर्ड को अपडेट करने की अनुमति भी देता है।

आपअपने फोन या कंप्यूटर के इंटरनेट ब्राउजर पर pmkisan.gov.in खोलकर पोर्टल देख सकते हैं।

डैशबोड

भुगतान सफलता प्रतिशत:

Financial Year 2021-2022 Period 3 Dashboard

Period 1: April-July; Period 2: August to November; Period 3: December to March

डैशबोर्ड गांव-वार भुगतान की स्थिति और अन्य विवरण दिखाता है। यहाँ आप किसान का नाम भी चुन सकते हैं और व्यक्तिगत स्थिति और व्यक्तिगत भुगतान विवरण भी देख सकते हैं।

फार्मर्स कॉर्नर

पोर्टल में एक फार्मर्स कॉर्नर' (किसान कॉर्नर) है जहां किसान अपनी भुगतान या आवेदन की स्थिति देख सकता है,अपना विवरण संपादित कर सकता है, अपना आधार सही कर सकता है।

भुगतान

पी.एम. किसान भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाता है, जहां केंद्र सीधे भुगतान बैंक खाते या आधार के माध्यम से किसान के खाते में जमा करता है।

कभी-कभी भुगतान रुक जाता है, और लाभार्थी को उनकी सभी किश्तें मिलना बंद हो जाती हैं। यह 2 प्रकार का हो सकता है।

1. **अस्वीकृत /रिजेक्टेड भुगतान -** अस्वीकृत भुगतान ऐसे भुगतान हैं जो किसी तकनीकी दिक्कत के कारण लाभार्थी तक नहीं पहुंचते हैं। केंद्र पैसा भेजने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते भुगतान खाते में नहीं पहुँचता है। इसमें खाता या आधार सम्बंधित दिक्कतें शामिल हो सकती हैं। किसान पोर्टल पर अपने भुगतान की स्थिति देख सकता है। अगर किसान का पैसा रुका हुआ है, तो वह स्वयं या ब्लॉक से संपर्क करके त्रुटि को ठीक करने का प्रयास कर सकता है।
2. **रुके हुए भुगतान -** भुगतान तब रुकते है जब एक किसान को अपात्र माना जाता है और इसलिए उनका भुगतान रोक दिया जाता है। यदि किसान का भुगतान गलती से रोक दिया गया है, तो वे गलती को ठीक करने के लिए ब्लॉक से संपर्क कर सकते हैं।

शिकयत निवारण

पी.एम. किसान योजना के तहत हर जिले कार्यालय में आने वाली हर शिकायत का निवारण करने के लिए एक जिला स्तरीय शिकायत निवारण निगरानी समिति का गठन करना आवश्यक है। इसलिए किसान शिकायत के लिए इस समिति से संपर्क कर सकते हैं। किसान अपनी शिकायतों के साथ प्रखंड स्तर पर अंचल अधिकारी (सर्कल ऑफिसर) या कृषि अधिकारी को भी मिल सकते है। शिकायत लिखित रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए और एक प्राप्ति रसीद ली जानी चाहिए।

References

https://jharkhandsfc.in/docs/pdf/snp_nfsa.pdf

https://drive.google.com/file/d/1NdnfJeZLLNcigAwLYc811-AxgpipzXvi/view

https://wcd.nic.in/schemes/anganwadi-services-scheme

https://jharkhandsfc.in/pdf/nutrtn_2018/bokaro_nutrition_2019.pdf

https://jharkhandsfc.in/pdf/nutrtn_2018/hazaribagh_nutrition_2019.pdf

https://jharkhandsfc.in/pdf/nutrtn_2018/ramgarh_nutrition_2019.pdf

https://jharkhandsfc.in/dgro.php

https://jharkhandsfc.in/hpdk/

https://www.jharkhandsfc.in/docs/trng/nfsa_ppt.pdf

https://jharkhandsfc.in/forms.php

https://jharkhandsfc.in/docs/pdf/icds_snp_prvn.pdf

https://jharkhandsfc.in/pdf/2020/concr_ntaudit_rprt_27_apr_07_may_2020.pdf

https://jharkhandsfc.in/docs/trng/nfsa_ppt.pdf

https://jharkhandsfc.in/docs/trng/nfs_act_2013.pdf

WHH का लोहरदग्गा विजिट

वार्षिक रिव्यु एवं प्लानिंग, पूरी

कम्युनिकेशन वर्कशॉप

कम्युनिटी बेस्ड मोनिटरिंग सिस्टम वर्कशॉप

चुरचु विजिट

Communication Workshop
के दौरान Ranchi में

SGVK का घगरा विजिट

कम्युनिटी स्कोर कार्ड प्रक्रिया की demonstration

राज्य स्तरीय रिव्यु मीटिंग

विभिन्न प्रकार के योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य
स्तरीय प्रशिक्षण

संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज करने के लिए जन वितरण प्रणाली / खाद्यान से संबंधित शिकायत के लिए (विभाग के द्वारा जारी)

1. टोल फ्री नंबर 18002125512
2. ऑनलाईन के माध्यम - www.dfcajharkhand.in
3. Mail के द्वारा pgms@dfcajharkhand.in
4. Whatsapp द्वारा 8969583111

मध्याह्न भोजन से संबंधित शिकायत के लिए (विभाग के द्वारा जारी)

1. टोल फ्री नंबर 18003457025
2. SMS द्वारा मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी dmreport.jharkhand.gov.in:8071/mdm/exportReport

चाइल्डलाइन 1098

भारत सरकार के सहयोग से 24 घंटे चलने वाली नि+शुल्क, आपातकालीन फोन एवं पहुँच सेवा है। उन बच्चों के लिए है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों तथा कॉरपोरेट के साथ भागीदारी में यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की परियोजना है।

बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए चाइल्डलाइन परियोजना की मदद लें एवं 1098 पर पर फोन करें।

आप यदि देखें :-

» कोई बच्चा बीमार और अकेला हो।
» किसी बच्चे को आश्रय की जरूरत हो।
» कोई बच्चा छोड़ दिया गया हो या गुम हो गया हो, उसका शोषण हो रहा हो।
» कोई बच्चा पीट रहा हो।
» किसी स्थान पर बाल मजदूरी हो रहा हो।
» काम करवा कर बच्चे को उसकी मजदूरी न दी गयी हो।
» रास्ते पर किसी बच्चे का उत्पीड़न हो रहा हो।
» आप चाइल्डलाइन को अपनी सेवाएँ देना चाहें।
» अगर किसी बच्चे का बाल विवाह हो रहा हो।

जब आप देखें कि बच्चे को मदद की जरूरत है तो कॉल करें 1098

NSK की SOP बनाने के दौरान बेतला नेशनल पार्क में

तेजस्विनी महिला संघ के द्वारा जरीडीह भ्रमण के दौरान

दक्षिणी छोटानागपुर और कोल्हान के एनएसके फेलो के विभिन्न सरकारी योजनाओं पर प्रशिक्षण के दौरान

एनएसके की राज्य स्तरीय कार्यशाला

फिया के एनएसके फेलो का एक्सपोजर विजिट

PHIA के NSK साथिओं का प्रशिक्षण के दौरान

वेब-आधारित एमआईएस पर एनएसके फेलो का प्रशिक्षण

संथाल परगना क्षेत्र के एनएसके साथियों का प्रशिक्षण के दौरान